माला, खंड 18, अंक 15

बुधवार, 8 मार्च, 2006

17 फाल्गुन, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी.के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 18, सातवां सत्र, 2006/1927 (शक)
अंक 15, बुधवार, 8 मार्च, 2006/17 फाल्गुन 1927 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	1-2
(एक) वाराणसी में घटित हिंसा के जघन्य कृत्य की निंदा तथा शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं प्रेषित करने के बारे में	1-2
(दो) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में	312
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 242 से 261	2-40
अतारांकित प्रश्न संख्या 1840 से 1986	40-312
सभा पटल पर रखे गए पत्र	312-320
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	320
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुए बम विस्फोट	
श्री शिवराज वि. पाटील	321-322
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	323-324
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	324-330
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	331-332
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	332-334

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 8 मार्च, 2006/17 फाल्गुन, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

(एक) वाराणसी में घटित हिंसा क जघन्य कृत्य की निंदा तथा शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं प्रेषित करने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे विश्वास है कि कल वाराणसी में घटित हिंसा के जघन्य कृत्य की घोर निंदा करने में सदस्यगण मेरे साथ हैं जिसमें 14 निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गयी तथा 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ऐसी घटनाएं हमारे जीवन के ताने-बाने तथा भारत की एकता तथा अखण्डता को क्षति पहुंचाने के लिए की जाती है। हमारे देश के लोगों को आतंकवाद तथा हिंसा की ऐसी घटनाओं के विरुद्ध अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखनी चाहिए। ऐसे आपराधिक कृत्यों के प्रति कभी समझौता न करने के अपने दृढ़संकल्प को दोहराते हुए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने देश के सभी नागरिकों के बीच शांति और सौहार्द बनाए रखेंगे।

हम इस घटना में मारे गए सभी लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं तथा जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं।

अब सभा दिवगंत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे अपना निवेदन करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): माननीय अध्यक्ष जी, कल जो वाराणसी में हुआ, वह अत्यंत ही चिंताजनक है...*(व्यवधान)* बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में...*(व्यवधान)*: वाराणसी में हुए बम ब्लास्ट पर हमारी पार्टी अपना मत रखना चाहती है।...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष जी, यह सरकार...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय श्री श्रीचन्द कृपलानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

कोयला क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***242. श्री मोहन सिंह:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला और लिग्नाइट खनन में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ख) इससे कोयले के घरेलू उत्पादन के कितना प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के क्या कारण है;

(घ) क्या कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण का देश में कोयला उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के पीछे जो उद्देश्य थे वे अब प्रासंगिक नहीं हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री शिबु सोरेन): (क) कोयला और लिग्नाइट की बढ़ती मांग पर विचार करते हुए और अन्वेषण तथा खनन क्रियाकलापों क्षेत्रीय अनुमोदनों/विनियमों के अध्यधीन होने के कारण, सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की नीति की समीक्षा की है। एफ.डी.आई. की सीमा को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार अनुमत विद्युत परियोजनाओं, लौह तथा इस्पात, सीमेंट उत्पादन और अन्य पात्र क्रियाकलापों द्वारा कैप्टिव खपत हेतु कोयला और लिग्नाइट खनन के लिए आटोमेटिक रूट के अंतर्गत इसकी अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

(ख) सरकारी कोयला कंपनियों द्वारा कोयले का वर्तमान स्वदेशी उत्पादन उदारीकृत एफ.डी.आई. नीति से प्रभावित होने की संभावना नहीं है। तथापि, विद्युत उत्पादन, लोहा और इस्पात के उत्पादन और सीमेंट उत्पादन के क्षेत्रों में कैप्टिव खपत हेतु कंपनियों द्वारा कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने की संभावना है।

(ग) से (छ) देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप कोयला संसाधनों का युक्तिमूलक, समन्वित, वैज्ञानिक विकास एवं उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोयला खानों को पुनःसंगठित एवं पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य कारण थे।

कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) के कोयले उत्पादन में कई गुणा वृद्धि हुई है। 1975 में इसकी स्थापना के समय सी.आई.एल. का वार्षिक कोयला उत्पादन 79 मिलियन टन था, जो बढ़कर 2004-05 में 323.58 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 2005-06 में सी.आई.एल. का कोयला उत्पादन 345 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है।

बदलते हुए आर्थिक परिवेश में राष्ट्रीयकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य एक प्रभावी नियामक रूपरेखा के माध्यम से सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में कोयला खनन को प्रोत्साहित करके उपयोगी बनाना ज़ारी रहेगा। तद्नुसार, कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 को 1976 तथा 1993 में संशोधित करते हुए विद्युत, इस्पात एवं सीमेंट क्षेत्रों के लाभ के लिए कैप्टिव खनन की अनुमति दी गई।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता

***243. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:**
श्री शिशुपाल पटले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 2005-06 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को पूरा करने के लिए एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए अब तक प्रदान की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान इस योजना के माध्यम से कुल कितने ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना

***244. चौधरी लाल सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए आबंटित बजट में प्राकृतिक चिकित्सा को अनेक वर्षों से अपना यथोचित हिस्सा नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए कुल बजट में से प्राकृतिक चिकित्सा को कितनी प्रतिशत धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) देश में प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और प्राकृतिक चिकित्सा अथवा प्राकृतिक उपचार जैसी पद्धतियों पर पर्याप्त ध्यान दे रही है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का व्यवस्थित विकास करने के प्रयोजनार्थ 1995 में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) नामक एक पृथक विभाग की स्थापना की गई थी। आयुष से संबंधित राष्ट्रीय नीति का निर्धारण 2002 में किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए अनुमोदित परिव्यय विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए कुल बजट में से प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आबंटित निधियों की प्रतिशतता विवरण-II पर है।

(घ) देश में प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के ब्यौरे विवरण-III पर हैं।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के लिए विस्तृत बजटीय आबंटन

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06
1.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	9056.57	10025.22	12428.83
2.	आयुष विभाग	196.47	225.73	405.98
3.	प्राकृतिक चिकित्सा*	3.54	5.22	4.45

*इसमें राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे तथा केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के लिए निधियां शामिल हैं।

विवरण-II

*गत तीन वर्षों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा हेतु बजटीय आबंटन की प्रतिशतता**

क्र. सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06
1.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आबंटन के संबंध में प्रतिशतता	0.04%	0.05%	0.04%
2.	आयुष विभाग के आबंटन के संबंध में प्रतिशतता	1.80%	2.31%	1.10%

*इसमें केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के लिए निधियां शामिल हैं।

विवरण-III

प्राकृतिक चिकित्सा को प्रचारित करने हेतु भारत सरकार द्वारा किए जा रहे मुख्य प्रयासों के ब्यौरे

क्र.सं.	विवरण
1.	प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए वित्तिय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
2.	आयुष पद्धतियों के बारे में आम लोगों के बीच जनजागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न राज्यों में व्यापक स्वास्थ्य मेले "आरोग्य" का आयोजन किया जा रहा है तथा इन मेलों में प्राकृतिक चिकित्सा को प्रमुख रूप से दर्शाया जाता है।
3.	प्राकृतिक चिकित्सा अभ्यासियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
4.	प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान दिए जाते हैं।
5.	प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिए शोध-पत्रों को मुद्रित, प्रकाशित और प्रदर्शित करने हेतु भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
6.	भारत सरकार के संस्थान लोगों को निःशुल्क परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।
7.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे द्वारा आर्थिक सहायता पर "निसर्गोपचार वार्ता" पत्रिका प्रकाशित की जा रही है।
8.	केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में निःशुल्क सूचना सामग्री प्रकाशित करता है इसके अतिरिक्त इन संस्थानों द्वारा पुस्तकें, चार्ट और उपकरण भी बेचे जाते हैं।
9.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे द्वारा प्रत्येक महीने के तीसरे शनिवार को क्षेत्रीय भाषाओं में मासिक कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

पंचायती राज का क्रियान्वयन

***245. श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या संसाधन जुटाने और धनराशि के प्रबंधन के मामले में पंचायतों को और अधिक शक्तियां देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायतीराज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) झारखंड और पांडिचेरी के अलावा, उन सभी राज्यों जिनमें संविधान 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 लागू होता है, ने चुनाव आयोजित कर लिए हैं और संविधान के भाग IX के प्रावधानों के अनुसार पंचायतें गठित कर ली हैं। तथापि, जैसा कि संविधान में प्रावधान किया गया है कि ये राज्यों के विधानमंडल ही हैं जो पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को शक्तियों और प्राधिकार से संपन्न बनाएंगे, राज्यों ने पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों की सुपुर्दगी विभिन्न परिमाणों में की है।

बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल नामक चौदह राज्यों तथा अण्डमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन व द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों में जिला आयोजना समितियां गठित कर ली गई हैं। झारखंड और पांडिचेरी में जिला आयोजना समितियां गठित नहीं की गई हैं जहां पंचायतों के चुनाव अभी भी आयोजित किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश ने जिला आयोजना समितियों के गठन के लिए कानून बना लिया है किन्तु यहां इन निकायों के गठन के लिए अधिसूचना अभी जारी की जानी है। महाराष्ट्र ने जिला आयोजना समितियों का गठन संविधान के अनुच्छेद-243 जेड डी के अनुसार नहीं किया है किन्तु यहां पंचायतों और नगरपालिकाओं से नामित सदस्यों सहित एक मंत्री की अध्यक्षता वाली जिला आयोजना और विकास परिषदें होती हैं। आंध्र प्रदेश ने जिला आयोजना समितियों के गठन के लिए विधान सभा में संगत विधेयक की स्वीकृति के लंबित रहते हुए भी सितम्बर, 2005 में एक अध्यादेश जारी किया है। पंजाब ने अक्तूबर, 2005 में जिला आयोजना समितियों के गठन पर कानून बनाया है। उत्तरांचल ने मंत्रालय को सूचित किया है कि जिला आयोजना समितियों का गठन अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुसार करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी.ई.एस.ए.) आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और राजस्थान नामक नौ राज्यों में पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में लागू होता है। हालांकि इन सभी राज्यों ने पी.ई.एस.ए. का अनुपालन करने के लिए अपेक्षित कानून बना लिए हैं, पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों से संबंधित अन्य राज्य कानूनों के साथ ऐसे कानूनों के प्रावधानों के सामंजस्य को सुनिश्चित करने तथा जनजातीय लोगों के विशेष अधिकारों के पी.ई.एस.ए. से संबंधित बचाव को सुनिश्चित करने हेतु कार्यकारी आदेश जारी करने की आवश्यकता है।

राज्यों द्वारा संविधान के भाग IX के अक्षरशः कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई और दिसम्बर, 2004 के बीच पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए थे और सर्वसम्मति से लगभग 150 कार्यबिन्दुओं का एक सेट तैयार किया था जिनको एक सार-संग्रह, जिसको जयपुर में अंतिम गोलमेज सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाया गया था, में एकत्र कर लिया गया है। कार्रवाई के संयुक्त कार्यक्रम में यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि गतिविधि मानचित्रण के आधार पर, पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों को निधियों, कार्यों तथा कार्यकर्ताओं की सुपुर्दगी उनको स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में उभरने में समर्थ बनाने के लिए की जाती है। रायपुर में संपन्न तीसरें गोलमेज सम्मेलन के दौरान पी.ई.एस.ए. के कार्यान्वयन के संबंध में और पी.ई.एस.ए.-अनुवर्ती राज्य कानून को सुनिश्चित करने हेतु कार्य-बिन्दुओं पर भी सहमति दी गई थी।

केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में पंचायती राज के राज्य मंत्रियों की एक परिषद् का गठन सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किया गया है। इस परिषद् की पहली बैठक 5-6 अगस्त, 2005 को कोच्चि, केरल में आयोजित की गई थी। सात गोलमेज सम्मेलनों की 150 सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति और पंचायती राज के राज्य मंत्रियों की परिषद् के निर्णयों का अनुवीक्षण करने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों तथा राज्य पंचायती राज सचिवों की समिति की समिति भी सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित की गई है। अब तक इस समिति की चार समीक्षा बैठकें अप्रैल, 2005 जून, 2005, सितम्बर, 2005 तथा नवम्बर, 2005 में आयोजित की गई हैं।

पंचायतों के साथ अन्योन्यक्रिया करने तथा गोलमेज सम्मेलनों में परस्पर सहमत्य कार्य-बिन्दुओं को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति से संबंधित प्राधिकारियों के साथ समीक्षा को कार्यान्वित

करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री के स्तर से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का दौरा करने की एक प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और लक्षद्वीप सहित नौ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कवर किया गया है। प्रत्येक दौरे का समापन संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक निष्कर्ष-वक्तव्य के साथ होता है जिसमें उन मुख्य कार्य-बिन्दुओं की मुख्य विशेषताएं दर्शाई जाती हैं जिन पर राज्य, गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों को संचालित करने का प्रस्ताव करेगा।

विभिन्न संविधियों की समीक्षा, उनको संविधान के भाग IX के प्रावधानों के साथ सुमेलित करने के उद्देश्य से करने के लिए एक प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसी प्रकार, विकास आयोजना और कार्यान्वयन में पंचायतों की केन्द्रीयता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जा रही है। जहां तक नई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संबंध है, पंचायतों के लिए एक केन्द्रीय भूमिका, जहां संगत हो, मुहैया करवाने का प्रस्ताव है। इसी तरह, उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पंचायतों के लिए इस अधिनियम के अधीन योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए "प्रधान प्राधिकरण" बनने का प्रावधान किया गया है। अवसंरचना और क्षमता में क्रिटिकल अंतरालों को पूरा करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि पंचायतें अपनी संवैधानिक भूमिका को प्रभावी रूप से पूरा कर सकें।

(घ) और (ङ) पंचायती राज के राज्य मंत्रियों के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में संकल्प लिया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं को उनके अपने उद्देश्यों के लिए उनके अपने संसाधनों को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 एच. के अनुसार कदम उठाए जाने हैं।

पंचायतों के संसाधनों में बढ़ोत्तरी करने के लिए राज्यों की समेकित निधियों में वृद्धि करने हेतु 2005-10 की अवधि के लिए 12वें वित्त आयोग ने 20,000 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। यह वृद्धि 11वें वित्त आयोग द्वारा इसी उद्देश्य के लिए 2000-05 की अवधि के लिए की गई 8,000 करोड़ रुपये की सिफारिश के अतिरेक में की गई है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् में लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में योजना आयोग द्वारा मार्च, 2003 में ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय और प्रशासनिक सशक्तिकरण पर एक शक्तिसम्पन्न उप-समिति गठित की गई है। इस समिति के सदस्य उपाध्यक्ष, योजना आयोग, वित्त और कंपनी कार्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री तथा असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। इस समिति के विचारार्थ विषय में, अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र और राज्य सरकारों से संसाधनों के हस्तांतरण के जरिए पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय अधिकार क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए रीतियां तैयार करना; राजस्वों तथा अन्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता का आकलन करना तथा इस संबंध में एक कार्य योजना विकसित करना; विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को किए गए वित्तीय आवंटन को लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता का विश्लेषण करना; और पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर राजकोषीय नियंत्रण तथा वित्तीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा विकसित करना शामिल हैं। इस शक्तिसम्पन्न उप-समिति ने अब तक दो बैठकें आयोजित की हैं। अंतिम बैठक 7 अगस्त, 2003 को आयोजित की गई थी। इस शक्तिसम्पन्न उप-समिति को 14 सितम्बर, 2005 को पुनर्गठित किया गया है जिसमें केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री को अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है तथा केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को इस उप-समिति के एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देना

***246. श्री दुष्यंत सिंह:**

श्री टेक लाल महतो:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इस संबंध में राज्यवार क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) उपर्युक्त योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य को वर्षवार कितनी सहायता दी गई है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी हां। देश में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र के संवर्धन हेतु दसवीं योजना के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना - राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एन.बी.एम.एम.पी.) को जारी रखा जा रहा है।

(ख) दसवीं योजना अवधि के लिए पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों हेतु निर्धारित लक्ष्य दस लाख संयंत्रों का था।

(ग) और (घ) योजना के पहले चार वर्षों अर्थात् वर्ष 2002-03 से 2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक) के दौरान प्राप्त किए गए 4.37 लाख पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों और वर्ष 2002-03 से 2005-06 (फरवरी, 2006 तक) के दौरान जारी किए गए 115.88 करोड़ रुपये के संबंध में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 2006-07 के लिए 41.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के साथ 75,000 संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2006-07 के लिए लक्ष्यों और निधियों का आबंटन राज्य नोडल विभागों और कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ परामर्श से वित्त वर्ष के आरंभ में किया जाएगा।

विवरण

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एन.बी.एम.एम.पी.) के अंतर्गत वर्ष 2002-03 से 2005-06 (दिसम्बर 2005 तक) के दौरान संस्थापित पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या और वर्ष 2002-03 से 2005-06 (फरवरी 2006 तक) के दौरान जारी निधियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	वर्ष 2002-03 से 2005-06 (दिसम्बर 2005 तक) के दौरान स्थापित संयंत्रों की संख्या	वर्ष 2002-03 से 2005-06 (फरवरी 2006 तक) के दौरान मंजूर की गई निधियां (करोड़ रु. में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	59067	16.76
अरुणाचल प्रदेश	530	1.13
असम	298	शून्य
बिहार	833	शून्य
छत्तीसगढ़	14944	2.91
गोवा	259	शून्य
गुजरात	23391	7.97
हरियाणा	4735	0.96
हिमाचल प्रदेश	877	0.50
झारखंड	499	0.03
कर्नाटक	42855	8.09
केरल	8480	1.99
मध्य प्रदेश	37690	7.31
महाराष्ट्र	31215	9.34
मणिपुर	266	0.60
मेघालय	612	0.90
मिजोरम	593	0.93
नागालैंड	700	0.24
उड़ीसा	37238	8.95
पंजाब	7537	0.40
राजस्थान	368	0.15
सिक्किम	934	1.38
तमिलनाडु	6642	1.53
त्रिपुरा	450	0.86
उत्तर प्रदेश	28368	3.42
उत्तरांचल	1689	0.49
पश्चिम बंगाल	49140	12.81
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई	54485	16.78
अन्य	22751	9.49

जनसंख्या में वृद्धि

*247. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनांकिकीय दृष्टि से उन कमजोर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया था जिन्हें देश में जनसंख्या वृद्धि में अग्रणी पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों में जन्म दर में कमी लाने के लिए क्या उपाय किए गए है; और

(ग) उन राज्यों में जन्म दर में कमी लाने के लिए किए गए ऐसे उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) भारत सरकार ने स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं पर विशेष ध्यान देने और जनसंख्या स्थिरीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए 8 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, और झारखंड को चुना है। इन राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मार्च, 2001 में एक अधिकार संपन्न कार्य दल गठित किया गया। इन 8 राज्यों की कार्य योजनाओं को एक ही स्थान पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए इस दल ने समग्र तंत्र के रूप में काम किया। ई.ए.जी. ने उच्च शक्ति प्राप्त निकाय के रूप में काम किया जिससे आठ राज्यों में आपूर्तियों, सेवाओं, स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों और आधारभूत सुविधा की अपूरित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों को तैयार करने के कार्य में तेजी आई। इन राज्यों की विशिष्ट अपूरित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 250 करोड़ रुपए की निधियां जारी की गईं। देश में जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य और मातृ जनसंख्या नीति के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र विशिष्ट पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए इन राज्यों को निधियां जारी की गईं। ई.ए.जी. ने मार्च, 2005 तक कार्य किया जिसके बाद इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शामिल कर लिया गया है। इन राज्यों पर एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत विशेष ध्यान दिया जाना है। मार्च, 2005 तक की अवधि के लिए चार विशेष समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं जिनमें इन 8 ई.ए.जी. राज्यों की स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई अनुशंसाएं की गईं। वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक इन राज्यों को वर्ष वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(रुपये लाख में)

2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
2500.00	325.00	6954.03	16809.70

अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रारंभ होने के बाद, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) का संवर्ग तैयार करके, भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के जरिए आकलित बेहतर अस्पताल परिचर्या, अन्तः एवं अन्तर्क्षेत्रीय तालमेल बढ़ाकर और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करके सुलभ, वहनीय, जवाबदेह, प्रभावकारी, भरोसेमंद, और गुणवत्ता युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए इन राज्यों पर और अधिक ध्यान दिया जा रहा है। आशा के चयन एवं प्रशिक्षण के लिए इन सभी राज्यों को निधियां भी जारी की गई हैं। आशा एवं उप-केन्द्रों को अधिकतम स्तर तक काम करने के लायक बनाने के लिए सभी उप-केन्द्रों को 10,000 रुपये प्रति उप-केन्द्र की दर से असंबद्ध निधियां और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का स्तर बढ़ाकर भारतीय जनस्वास्थ्य मानक के अनुरूप करने के लिए प्रत्येक जिले में दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 20 लाख रुपये की निधियां प्रदान की गईं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू किए गए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य में देश में विशेषकर इन राज्यों में जहां ध्यान केन्द्रित किया गया है जनसंख्या स्थरीकरण के उद्देश्य से अपूरित मांगों अर्थात् कण्डोमों का निःशुल्क वितरण, आई.यू.डी. निवेशन, नो स्केलपल वेसेक्टोमी, नसबंदी आदि हेतु गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

पिछले कुछ वर्षों में इन राज्यों में कुल प्रजननता दर में कुछ कमी से संबंधित विवरण में दिया गया है।

विवरण

कुल प्रजननता दर

क्र.सं.	राज्य	1999	2000	2001	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7
	अखिल भारत	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0
1	बिहार*	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2

1	2	3	4	5	6	7
2	मध्य प्रदेश**	3.9	4.0	3.9	3.8	4.1
3	उड़ीसा	2.7	2.8	2.6	2.6	2.6
4	राजस्थान	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8
5	उत्तर प्रदेश***	4.7	4.7	4.5	4.4	4.4

स्रोत : एस.आर.एस. अनुमान महापंजीयक, भारत।

* बिहार की कुल प्रजननता दर में झारखंड शामिल है।

** मध्य प्रदेश की कुल प्रजननता दर में छत्तीसगढ़ शामिल है।

*** उत्तर प्रदेश की कुल प्रजननता दर में उत्तरांचल शामिल है।

नैदानिक परीक्षण

***248. श्री के.एस. राव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में कितने नैदानिक अनुसंधान संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) परीक्षणों में विभिन्न चरणों (फेज लैग) की आवश्यकताओं को समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) नैदानिक परीक्षणों हेतु स्वयं को प्रस्तुत करने वाले स्वयंसेवकों के पंजीकरण में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और उन्हें यदि प्रोत्साहन दिये जाते हैं तो वे क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भोले-भाले व्यक्तियों के शोषण के विरुद्ध कानूनी एवं नैतिक उल्लंघनों का सामना करने के लिए रक्षोपाय के रूप में एक विनियामक प्रणाली स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) क्लीनिकीय अनुसंधान संगठन एक ऐसा संगठन है जिसे प्रायोजक क्लीनिकीय अध्ययन के संबंध में कुछ अथवा सभी कार्य, ड्यूटियां और/अथवा दायित्व स्थानांतरित अथवा विकेन्द्रीकृत कर सकता है।

देश में लगभग 20 क्लीनिकीय अनुसंधान संगठन कार्य कर रहे हैं। औषध खोज अनुसंधान (क्लीनिकीय अनुसंधान जिसका एक प्रमुख घटक है), में काबलियत के रूप में भारत की क्षमता पर विचार करते हुए परीक्षणों में होने वाले विलम्ब (फेस लैग) को दूर कर दिया गया है ताकि भारतीय क्लीनकीय अन्वेषक विश्व बहुकेन्द्रिक क्लीनिकीय परीक्षणों के चरण-II और चरण-III स्तर पर अन्य देशों के अन्वेषकों के सामानान्तर भाग ले सकें। तथापि, चरण-I को (जिसमें मानव पर नए अणु का पहली बार प्रयोग शामिल है), विदेशों में विकसित नए अणुओं के लिए भारत में प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है। भारत में औषध विनियामक प्रणाली से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने वाली माशेलकर कमेटी ने "क्लीनिकीय अनुसंधान हेतु वैश्विक केन्द्र के रूप में भारतीय क्षमता" पर प्रकाश डाला है।

औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के अंतर्गत संशोधित सूची वाई में क्लीनिकीय परीक्षण अध्ययन विषयों के नामांकन हेतु अपनाई जाने वाली क्रियाविधि निर्धारित की गई है। इसमें अध्ययनाधीन व्यक्ति (आब्जेक्ट) से स्वतंत्र तथा होशोहवास में लिखित सहमति लेना शामिल है। अन्वेषक को अध्ययनाधीन व्यक्ति (सब्जेक्ट) को अध्ययन के बारे में मौखिक और रोगी सूचना पत्र में रोगी द्वारा समझी जा सकने वाली गैर-तकनीकी भाषा में सूचना दी जानी चाहिए। रोगी सूचना पत्र और होशोहवास में सूचित सहमति पत्र दोनों को नीतिशास्त्र संबंधी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और उन्हें लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सूचित सहमति दस्तावेजों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तनों को कार्यान्वित करने से पहले उन्हें नीतिशास्त्र संबंधी समिति द्वारा अनुमोदित कराया जाना चाहिए और लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को भेजे जाने चाहिएं।

अच्छे क्लीनिकीय कार्य-व्यवहार (प्रैक्टिसिज) के अंतर्गत

निर्धारित मानकों के अनुसार रोगियों का नामांकन (एनॉराल) करने के लिए पैसा अथवा अन्य प्रकार का निवेश (इनडयूशमेंट) नहीं लेना चाहिए। अनुसूची वाई के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक अध्ययन किए जाने वाले रोगी (सब्जेक्ट) से सहमति लेनी अपेक्षित है। इससे ऐसे रोगियों, जिन पर अनुसंधान किया जाता है, का अधिकार और सुरक्षा पर्याप्त रूप से सुनिश्चित होती है।

सरकार ने औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के अंतर्गत क्लीनिकीय परीक्षणों को परिभाषित करने वाले नियम (122 ए से 122 ई) में संशोधन करके, अच्छे क्लीनिकीय कार्यव्यवहार मार्गनिर्देश प्रकाशित करके और यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्लीनिकीय परीक्षण कानूनी और नैतिक ढंग से आयोजित किए जाते हैं, औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के अंतर्गत सूची वाई, जिसमें "क्लीनिकीय परीक्षण करने के लिए आवश्यकताएं और मार्ग निर्देश" निर्धारित हैं, में संशोधन करके समुचित विनियामक उपाय किए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्लीनिकीय परीक्षण, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत अच्छे क्लीनिकीय कार्य-व्यवहारों के मानकों के अनुरूप किए जाते हैं। इस विनियामक पहलों के अलावा, विनियामक एजेंसी द्वारा क्लीनिकीय परीक्षणों के लेखा परीक्षा हेतु एक कार्यक्रम भी तैयार किया गया है।

सौर ऊर्जा की लागत

*249. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा की लागत कितनी है;

(ख) सौर ऊर्जा के उपयोग के क्या लाभ हैं;

(ग) क्या इसकी लागत अपारंपरिक ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हर तरह के मौसम में इसकी आपूर्ति लगातार बनी रहती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ) सौर ऊर्जा का दोहन दो पद्धतियों नामतः सौर प्रकाशवोल्टीय और सौर तापीय के माध्यम से क्रमशः सीधे बिजली में रूपान्तरण और ताप ऊर्जा के द्वारा किया जा सकता है। इस समय दोनों प्रकार की सौर ऊर्जा प्रणालियों की प्रारंभिक लागत पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और अन्य अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों की लागत की तुलना में अधिक है। तथापि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सौर ऊर्जा प्रणालियों में किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रचालन लागतें अपेक्षाकृत कम हैं। अतः प्रणालियों के कार्यकाल की गणना की जाए तो पारंपरिक ऊर्जा उत्पादों की तुलना में कुछ सौर ऊर्जा प्रणालियों जैसे सौर जल तापकों, सौर कुकरों और सौर लालटेनों की लागत अपेक्षाकृत कम हो सकती है। सौर ऊर्जा प्रणालियों के अन्य लाभों में मॉड्यूलर प्रकृति, लम्बा कार्यकाल, विश्वसनीयता, ईंधन की कोई आवर्ती आवश्यकता न होना, निम्न रख-रखाव और प्रदूषण का न होना शामिल हैं।

(ङ) और (च) उपयुक्त क्षमता की भंडारण प्रणालियों में बिजली और ताप के भंडारण के माध्यम से एक सीमा तक ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाओं संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा

*250. **श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाओं को शासित करने वाले दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अवसंरचना संबंधी अधिकार प्राप्त उप-समिति ने इन परियोजनाओं हेतु बोली लगाने वाली पार्टियों के पूर्व अर्हता संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित करने हेतु एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी निवेश के लिए

विद्यमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की है। महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं:-

(i) ऐसे मामलों में जहां विशेष परिस्थितियों के कारण यह आवश्यक हो, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के लिए अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण (पूंजी अनुदान) को 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के लिए मामला दर मामला रुख अपनाया जाएगा।

(ii) निम्नलिखित की व्यवस्था के लिए आदर्श रियायत करार की समीक्षा की गई है -

जोखिम का अपेक्षाकृत अधिक समान वितरण।

पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करने में और अधिक स्पष्टता

आंशिक यातायात जोखिम भागीदारी

रियायत ग्राहियों के लिए निकास विकल्प के साथ प्रचालन अवधि में क्षमता विस्तार का प्रावधान

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की गलती के कारण समाप्ति की स्थिति में रियायतग्राहियों और ऋणदाताओं के हितों की सुरक्षा की जाएगी।

विवाद के समाधान के लिए मजबूत तंत्र

निवेशकों की सुविधा के लिए संतुलित संस्थागत और विधायी ढांचा

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) अवसंरचना संबंधी समिति की अधिकार प्राप्त उप-समिति द्वारा सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए बोलीदाताओं की पूर्व-अर्हता से संबंधित सिद्धांतों और दिशानिर्देशों की सिफारिश करने हेतु एक अंतर्मंत्रालयी समूह गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस अंतर्मंत्रालयी समूह का गठन कर लिया गया है और इसके अध्यक्ष वित्त सचिव हैं और इसमें आर्थिक कार्य विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नागर विमानन मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग, विधायी विभाग और ऊर्जा मंत्रालय के सचिव सदस्य तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सलाहकार इसके संयोजक हैं।

[हिन्दी]

उपग्रह प्रक्षेपण

***251. श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने प्रक्षेपण केन्द्रों से अन्य देशों के उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू करने वाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य देशों के उपग्रह प्रक्षेपित करने के वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रवेश करके देश को कितना लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या इससे संबंधित प्रौद्योगिकी पूर्णतः स्वदेशी है;

(ङ) क्या भारत ने निकट भविष्य में उपग्रहों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण के संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है या कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) अंतरिक्ष विभाग ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) का उपयोग करते हुए अपने वाणिज्यिक अंग एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को पहले से ही प्रमोचन सेवाएं प्रदान करता रहा है।

(ख) 1999-2001 के समय ढांचे के दौरान चार माइक्रो उपग्रहों-जर्मनी (दो), दक्षिण कोरिया (एक) और बेल्जियम (एक) के लिए प्रमोचन सेवाएं प्रदान की गई। तदनंतर इटली, सिंगापुर, इंडोनेशिया और अर्जेन्टिना के उपग्रहों को प्रमोचित करने हेतु करार किए गए हैं।

(ग) वाणिज्यिक प्रमोचनों से प्रमोचक राकेटों के विविध अवयवों और उप-प्रणालियों की आपूर्ति में भाग लेने वाले उद्योगों को लाभ होगा। यह लाभ वास्तविक रूप में किए गए ठेके तथा प्रतिस्पर्धा और क्षमता के उपयोग पर निर्भर होगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) भारतीय प्रमोचक राकेट कार्यक्रम मुख्य रूप से घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अभिप्रेत है। तथापि, बची हुई क्षमता अन्य देशों के वाणिज्यिक प्रमोचनों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान बाजार परिदृश्य और भारी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए प्रमोचक राकेट और संबंधित सेवाओं के लिए विश्व बाजार में अधिकतम 5 प्रतिशत का ही लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है।

चिकित्सीय उपचार के लिए गरीबों को वित्तीय सहायता

***252. डा. सत्यनारायण जटिया:**

श्री रघुनाथ झा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक चिकित्सीय उपचार के लिए गरीबों को कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता दी गई है और इसके लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ख) इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान रोगवार; राज्यवार और वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई है; और

(ग) गरीबों को उपचार के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय आरोग्य निधि और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान नामक दो स्कीमें चला रहा है जिनके तहत गरीब लोगों को उपचार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान स्कीम का ब्यौरा और प्रक्रिया

इस स्कीम के अन्तर्गत, सरकारी अस्पतालों में बड़े ऑपरेशन और बड़ी बीमारियों के उपचार के लिए भर्ती होने के फलस्वरूप आए खर्च के एक भाग के रूप में गरीब और जरूरतमंद रोगियों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र तथा सरकारी अस्पताल के उपचार करने वाले डाक्टर विभागाध्यक्ष और चिकित्सा अध्यक्ष द्वारा विधिवत संस्तुत उपचार राशि का इस्टीमेट संलग्न कर इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना होता है।

प्रत्येक मामले में अनुदान की राशि 20,000/- रुपये तक सीमित है। यह अनुदान "एक वारगी" अनुदान के रूप में मंजूर किया जाता है और यह उस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को जारी किया जाता है जिसमें रोगी अपना उपचार करवा रहा होता है।

दोनों स्कीमों के अन्तर्गत पहले हुए खर्च की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होती है।

इस वित्तीय सहायता की मन्जूरी के लिए, परिवार की अधिकतम आय केवल 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये) होनी चाहिए तभी आवेदक यह सहायता पाने का पात्र होगा। इस स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त अनुरोधों की स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा तकनीकी दृष्टि से जांच की जाती है और जिन्हें योग्य पाया जाता है उनके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमोदन से सहायता मन्जूर कर दी जाती है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम का ब्यौरा और प्रक्रिया

इस स्कीम के अन्तर्गत, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, जान के जोखिम वाली जटिल बीमारियों से पीड़ित और सरकारी अस्पताल में उपचार करा रहे गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक को सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड की सत्यापित प्रति और सरकारी अस्पताल के उपचार कर रहे डाक्टर, विभागाध्यक्ष और चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विधिवत संस्तुत उपचार पर होने वाले खर्च के इस्टीमेट सहित इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना होता है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि की एक तकनीकी समिति मेडिकल रिपोर्टों की जांच करती है और अपेक्षित वित्तीय सहायता की राशि (क्वाटम) संस्तुत करती है और अन्त में तकनीकी समिति की सिफारिश को राष्ट्रीय आरोग्य निधि की प्रबन्धकीय समिति अनुमोदित करती है। आपरेशन की तारीख/दाखिल होने/उपचार शुरू होने के बारे में पता लगाने और इसकी पुष्टि करने के बाद कि, आवेदक ने उसी बीमारी के उपचार के लिए राज्य की रोग निधि सहायता सोसायटी से सहायता नहीं ली है, सम्बन्धित सरकारी अस्पतालों को सीधे ही वित्तीय सहायता की धनराशि जारी कर दी जाती है।

स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान और राष्ट्रीय आरोग्य निधि दोनों स्कीमों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा गरीब लोगों को उपचार के लिए दी गई वित्तीय सहायता की धनराशि और पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या और दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है। मंत्रालय रोगवार वित्तीय सहायता का रिकार्ड नहीं रखता है।

विवरण-I

स्वास्थ्य मंत्री का विवेकाधीन अनुदान

(रुपये लाख में)

राज्य का नाम	वर्ष 2002-2003		वर्ष 2003-2004		वर्ष 2004-2005		वर्ष 2005-2006*	
	लाभार्थियों की संख्या और राज्य-वार जारी निधि		लाभार्थियों की संख्या और राज्य-वार जारी निधि		लाभार्थियों की संख्या और राज्य-वार जारी निधि		लाभार्थियों की संख्या और राज्य-वार जारी निधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	02	0.04	-	-	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश	01	0.20	-	-	-	-	-	-
असम	04	0.80	01	0.10	01	0.20	-	-
बिहार	103	15.77	63	12.00	49	9.00	41	7.89
दिल्ली	51	8.85	42	7.06	21	4.10	22	4.20
गुजरात	-	-	00				02	0.40
हरियाणा	20	3.20	16	2.63	09	1.70	08	1.60
हिमाचल प्रदेश	00	00	01	0.20	01	0.20	-	-
झारखंड	11	1.82	02	0.30	01	0.20	-	-
छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
जम्मू-कश्मीर	00	00	01	0.20	01	0.20	02	0.30
कर्नाटक	07	1.29	-	-	-	-	-	-
केरल	35	6.34	01	0.20	11	1.74	12	1.78
मध्य प्रदेश	14	2.36	05	0.73	08	1.60	01	0.20
मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	21	4.63	02	0.40	05	1.00	12	2.30
मणिपुर	02	0.27	01	0.10	03	0.50	02	0.20
मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उड़ीसा	05	0.86	07	1.26	08	1.60	08	1.60
पंजाब	03	0.38	01	0.20	01	20.00	-	-
राजस्थान	09	1.51	02	0.30	04	0.80	02	0.40
सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	54	9.81	01	0.20	-	-	01	0.20
त्रिपुरा	02	0.40	00	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	86	14.45	103	18.54	64	12.70	41	7.80
उत्तरांचल	10	1.79	05	0.74	02	0.40	02	0.40
प. बंगाल	155	27.79	49	7.77	38	7.05	65	11.10
लाभार्थियों की कुल संख्या और कुल धनराशि	595	102.93	303	52.93	227	43.19	221	40.36

*28-2-2006 तक

विवरण-II

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

(राशि रुपये में)

राज्य का नाम	वर्ष 2002-2003		वर्ष 2003-2004		वर्ष 2004-2005		वर्ष 2005-2006	
	लाभार्थियों की संख्या	रुपये में जारी धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	रुपये में जारी धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	रुपये में जारी धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	रुपये में जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	01	85000.00	00	-	02	102000.00	01	100000.00
बिहार	11	1340000.00	16	1632632.00	39	4519852.00	60	8393932.00
दिल्ली	02	400000.00	15	1405000.00	21	1771920.00	11	2182500.00
हरियाणा	05	710000.00	10	716000.00	15		14	1526000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	-	-	01	75000.00	00	-	00	-
झारखंड	02	255000.00	00	-	00	-	02	453200.00
मध्य प्रदेश	-	-	03	465000.00	04	512500.00	06	608500.00
उड़ीसा	-	-	01	85000.00	00	-	05	621000.00
पंजाब	-	-	01	65000.00	02	136000.00	02	136000.00
राजस्थान	01	180000.00	01	30000.00	01	45000.00	02	132500.00
उत्तरांचल	-	-	03	690000.00	08	912500.00	05	347500.00
उत्तर प्रदेश	06	935000.00	23	2690000.00	69	6902500.00	57	6189500.00
प. बंगाल	-	-	00	-	03	235000.00	03	347500.00
तमिलनाडु	-	-	-	-	01	450000.00	01	200000.00
चंडीगढ़	-	-	-	-	01	75000.00	02	210000.00
मणिपुर	-	-	-	-	01	300000.00	00	-
जम्मू-कश्मीर	-	-	-	-	-	-	02	280000.00
कुल	26	3905000.00	74	7853632.00	167	17179272.00	173	22028132.00

[अनुवाद]

डायबिटीज मेल्लिट्स का फैसला

*253. **श्री अजय चक्रवर्ती:**

श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डायबिटीज मेल्लिट्स चिन्ताजनक रूप से फैला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रभावित बच्चों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इसके इलाज के लिए दवाओं की कीमतें काफी अधिक हैं और गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन दवाओं की कीमतें कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) देश में मधुमेह की व्याप्तता के संबंध में कोई आंकड़ा संग्रहण नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कराए गए रोग भार (बर्डन डिजीज) अध्ययन के अनुसार वर्ष 2004 में भारत के शहरी क्षेत्रों में मधुमेह के पीड़ित लोगों की संख्या 21.8 मिलियन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 16.4 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया। 1995 में 19.3 मिलियन की अनुमानित संख्या तथा 2025 में 57.2 मिलियन की प्रक्षेपित संख्या के साथ विश्व भर में भारत में सर्वाधिक संख्या में मधुमेह रोगी हैं। शहरी क्षेत्रों के भारतीय वयस्कों में टाइप 2 मधुमेह की व्याप्तता 1970 में 3.0 प्रतिशत से कम जिसके 200 में बढ़कर करीब 12.0 प्रतिशत होने की सूचना मिली है। आई.सी.एम.आर. ने अनुमान लगाया है कि देश में मधुमेह के करीब 10 प्रतिशत रोगी किशोर आयु वर्ग में हैं।

तथापि, देश में किए गए अनेक जानपदिकरोग विज्ञानी अध्ययनों से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टाइप-II मधुमेह की बढ़ती हुई व्याप्तता प्रदर्शित होती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने हृदय रोगों, आघात तथा मधुमेह के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्डियो वास्कुलर एवं मधुमेह रोग निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने तथा कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है। प्रारूप राष्ट्रीय सी.वी.डी., मधुमेह तथा आघात नियंत्रण कार्यक्रम जो पहले योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया था, को अधिक व्यापक बनाने हेतु अद्यतन बनाया जा रहा है।

स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में मधुमेह का उपचार मेडिकल कालेजों और शीर्ष संस्थाओं अर्थात एम्स, पी.जी.आई., एस.जी.पी.जी.आई. आदि के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में उपलब्ध है। सरकारी संस्थानों में उपचार या तो निःशुल्क है या रियायती दर पर है। बिना जटिलता वाले रोगियों को स्वस्थ जीवनशैली परिवर्तन तथा आहार-नियमों और ओरल हाइपोग्लीसेमिक औषधें, जो महंगी नहीं होती, की जरूरत होती है। कुछ रोगियों पर इन उपायों का असर नहीं होता है, उन्हें इसुलिन की जरूरत होती है। इंसुलिन डी.पी.पी.ओ., 1995 सूचीबद्ध अनुसूचित औषध है और इस बल्क औषध पर तैयार फार्मूलेशनें मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत आती हैं। विभिन्न प्रकार के इंसुलिन आधारित फार्मूलेशन पैकों का मूल्य कम्पनियों/आयातकर्ताओं द्वारा डी.पी.सी.ओ., 1995 के फार्म-III (देशी फार्मूलेशनों के लिए) और फार्म IV (आयातित फार्मूलेशनों के लिए) में जमा करवाए गए आवेदन के आधार पर समय-समय पर निर्धारित/संशोधित किये जाते हैं। नियंत्रित मूल्य के अधीन इंसुलिन और अन्य दवाइयां के मूल्य उपलब्ध डाटा और डी.पी.सी.ओ. में निर्धारित मानकों, जिन्हें तर्कसंगत स्तर पर औषध मूल्य निर्धारित करने के लिए तैयार किया गया है, के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। जटिल रोगियों का तृतीयक स्तरीय केन्द्रों में उपचार किया जाता है। निर्धन और जरूरतमंद रोगियों के लिए राष्ट्रीय रूग्णता निधि के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

[हिन्दी]

सुरक्षा परिषद् का विस्तार

***254. श्री जे.एम. आरुन रशीद:**

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान को छोड़कर शेष जी-4 राष्ट्रों ने यू.एन. जनरल असेम्बली में सुरक्षा परिषद् के विस्तार के मुद्दे पर पुनर्विचार करने और इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जापान द्वारा इस संबंध में अन्य राष्ट्रों का साथ न देने के क्या कारण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र आमसभा के पिछले (59वें) सत्र के दौरान 6 जुलाई, 2005 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधार हेतु जी-4 देशों नामतः ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत ने एक संकल्प की रूपरेखा तैयार की थी। उस संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ 6 स्थायी और 4 अस्थायी सदस्यों को जोड़ने के माध्यम से सुरक्षा परिषद का विस्तार करके मौजूदा 15 सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 25 करने का प्रस्ताव किया गया है। इस संकल्प को संयुक्त राष्ट्र आमसभा के 59वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के बीच व्यापक समर्थन मिला है। यह संकल्प सितम्बर 2005 में संयुक्त राष्ट्र की 50वीं आम सभा में समाप्त हो गया। सितम्बर, 2005 में न्यूयार्क में आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी बैठक में जी-4 देशों ने अपनी अखंडता की पुनः पुष्टि की और अपने आशय को आगे ले जाने के लिए सहमति व्यक्त की।

जी-4 के बीच पारस्परिक परामर्शों के उपरांत ब्राजील, जर्मनी और भारत ने 5 जनवरी, 2006 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा के मौजूदा (60वें) सत्र के दौरान जी-4 संकल्प दोबारा प्रस्तुत किया। यद्यपि जापान ने इसे वर्तमान में दोबारा प्रस्तुत करने में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय किया है, तथापि वह जी-4 के सहयोगात्मक स्वरूप में जी-4 संकल्प को पुनः प्रस्तुत करने के पूर्व और पश्चात जी-4 के भीतर होने वाले परामर्शों में सकारात्मक रूप से शामिल रहा है। इस संबंध में 3-4 जनवरी, 2006 के बीच जापान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान हुई सार्थक चर्चाओं का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधार के मुद्दे पर जी-4 और अन्य सदस्य राज्यों के साथ संपर्क बनाए हुए है।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों द्वारा आत्महत्या

***255. डा. के.एस. मनोज:**

श्री प्रबोध पाण्डा:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में, विशेषतः खाड़ी के देशों में, भारतीय कामगारों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं में चिंताजनक रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और देश-वार ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(घ) क्या सरकार ने विदेश गए देशवासियों को सहायता देने के लिए परामर्श केन्द्र खोलने की व्यवस्था की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दवाओं की कमी

***256. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:**

श्री महेश कनोडीया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दवाओं की आपूर्ति के लिए अब तक कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) अनिवार्य एवं जीवन रक्षक औषधें उपलब्ध हैं और केन्द्र सरकार के विभिन्न अस्पतालों में ऐसी औषधों की कमी नहीं है। केन्द्र सरकार के विभिन्न अस्पतालों के लिए औषधों का प्रापण सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडारों से तथा वार्षिक निविदाओं के जरिए भी किया जाता है। यदि उपर्युक्त स्रोतों के जरिए ये उपलब्ध न हों तो अपेक्षित औषधों की स्थानीय खरीद भी की जाती है।

[अनुवाद]

कोयले की उत्पादन लागत

***257. श्री चंद्रकांत खैरे:**

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा उत्पादित कोयले और लिग्नाइट की उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उत्पादन लागत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की औसत उत्पादन लागत कितनी है;

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड में कोयले की औसत उत्पादन लागत कितनी है;

(घ) क्या कोयला उत्पादन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने हेतु प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री शिबु सोरेन): (क) से (ग) चूंकि विश्व की कोयला कंपनियां उत्पादन की लागत के मानदंडों को प्रकट नहीं करती हैं इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन की लागत और भारत में उत्पादन की औसत लागत के बीच कोई विश्वसनीय तुलना नहीं की जा सकती है।

कोयले के उत्पादन की लागत स्ट्रिपिंग अनुपात, सीमों की मोटाई आदि जैसी भू-खनन परिस्थितियों पर निर्भर करती है जो देश-वार अलग-अलग होती हैं। कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2004-05 के दौरान उत्पादन की औसत लागत 589 रुपए प्रति टन थी।

चूंकि सी.आई.एल. लिग्नाइट का उत्पादन नहीं करती है इसलिए सी.आई.एल. द्वारा लिग्नाइट के उत्पादन की लागत का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कोयले की कीमत को और अधिक प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से सी.आई.एल. ने उत्पादन की लागत में कमी लाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इस संबंध में सी.आई.एल. द्वारा किए गए प्रयास नीचे दिए गए अनुसार है:-

(i) उच्च क्षमता के उपकरण तथा सतही खनिकों को लगाना।

(ii) शटल कारों के संयोजन से सतत खनिक के साथ उत्पादन की प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर लागू करना।

(iii) जनशक्ति का यौक्तिकीकरण।

(iv) उच्च क्षमता वाली अधिक ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को खोलना।

(v) भूमिगत खानों में यंत्रीकृत लदान को लागू करके मनुष्य द्वारा लदान कार्य को धीरे-धीरे समाप्त करना।

(vi) कोयला उत्पादन/ओवरबर्डन रिमूवल की आउटसोर्सिंग।

(vii) मूल उपकरण निर्माताओं के साथ हैवी अर्थ मूविंग मशीन (हैम) का अनुरक्षण ठेका करना।

पोत-निर्माण और पत्तन-टर्मिनल-संचालन में दूसरे देशों की कंपनियां (ग्लोबल प्लेयर्स)

*258. **श्री जुएल ओराम: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पोत-निर्माण और पत्तन-टर्मिनल-संचालन में अन्य देशों की कंपनियों (ग्लोबल प्लेयर्स) को भाग लेने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके अनुसरण में किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) पोत-निर्माण और पत्तन-टर्मिनल-संचालन से संबंधित काम-काज के संबंध में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जाना पहले से ही अनुमत है, जिससे वैश्विक कंपनियां इन क्षेत्रों से संबंधित काम-काज में हिस्सा ले सकती हैं।

(ग) और (घ) पोत-निर्माण के संबंध में अभी तक निवेश से संबंधित किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। पत्तन-क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी से युक्त 13 परियोजनाएं, महापत्तनों में पहले से ही चल रही हैं। ऐसी चार और परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनके संबंध में महापत्तनों और संबंधित गैर सरकारी संचालकों के बीच करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन में जल-विद्युत का हिस्सा

*259. **श्री अशोक कुमार रावत: क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत के हिस्से का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दसवीं योजना में जल, विद्युत के हिस्से से संबंधित निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है;

(ग) क्या ताप-विद्युत परियोजनाओं की तुलना में जल-विद्युत परियोजनाओं से अधिक विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत की बढ़ती मांग के मद्देनजर कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत के हिस्से में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां। 10वीं योजना के आरंभ में सरकार ने योजना के अंत में कुल विद्युत क्षमता तथा इसमें जल विद्युत के हिस्से का अनुमान लगाया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्राप्त होने वाली अनुमानित क्षमता तथा अब प्रत्याशित क्षमता निम्नानुसार है:-

10वीं योजना के अंत में	मेगावाट में कुल संस्थापित क्षमता	मेगावाट में कुल हाइड्रो संस्थापित क्षमता	कुल संस्थापित क्षमता में हाइड्रो पावर का प्रतिशत के रूप में हिस्सा
अनुमानित क्षमता	1,44,520	40,654	28.13%
अब प्रत्याशित	1,37,434	36,435	26.51%

10वीं योजना के दौरान कुल 41,110 मे.वा. क्षमता की अभिवृद्धि का अनुमान था, जिसमें से जल विद्युत (हाइड्रो पावर) का हिस्सा 14,393 मे.वा. था। किन्तु, 10वीं योजना के दौरान अनुमानित जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि 10,174 मे.वा. होगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) सरकार 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में जल विद्युत का हिस्सा, जो 9वीं योजना के अंत में 25.4 प्रतिशत था, उसे 10वीं योजना के अंत तक बढ़ाकर 26.5 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण हेतु किरणन प्रौद्योगिकी

***260. श्री सुबोध मोहिते:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए किरणन प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किरणन से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) देश में इस सुविधा को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के एक संघटक यूनिट भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी.ए.आर.सी.) ने खाद्य-पदार्थों और कृषि उत्पादों का विकिरण की सहायता से परिरक्षण करने और उन्हें स्वास्थ्यकर बनाने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित की है, खाद्य-पदार्थों को विकिरण की भिन्न-भिन्न मात्राओं की सहायता से प्रसंस्करण करने पर प्राप्त किए जा सकने वाले प्रमुख प्रौद्योगिकीय लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- भंडारित अनाजों, दालों और उनके उत्पादों का विग्रसन।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संगरोधन अवरोधों को दूर करने के लिए फलों और सब्जियों का विग्रसन।
- कंदों, बल्बों और प्रकंदों में अंकुरण का संदमन।
- फलों और सब्जियों के पकने और जीर्ण होने में विलम्ब।
- खाद्य-पदार्थों के खराब होने के लिए उत्तरदायी रोगाणुओं को नष्ट करना।
- खाद्य-पदार्थों में जन-स्वास्थ्य के महत्व की दृष्टि से परजीवियों और रोगाणुओं को निकालना।

वर्ष 1994 में, भारत सरकार 'खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (1954) नियमावली' में संशोधन किया था और प्याजों, आलुओं तथा मसालों के किरणन को अनुमोदित किया था। अतिरिक्त मदों को अप्रैल, 1998 और मई, 2001 (विवरण) में अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2004 में, कृषि मंत्रालय ने, कृषि उत्पादों के निर्यात/आयात के लिए एक संगरोध उपचार के रूप में किरणन को शामिल किए जाने के वास्ते, पौधों की संरक्षा और संगरोध विनियमों में संशोधन किया है। 17 फरवरी, 2006 को, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने और संयुक्त राज्य अमरीका के कृषि विभाग ने, भारत से आमों के निर्यात हेतु किरणन का उपयोग संगरोध उपचार के रूप में करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण

'भारतीय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (पी.एफ.ए.) नियमावली' के अधीन किरणन के लिए अनुमत खाद्य-पदार्थ

क्र.सं.	खाद्य पदार्थ का नाम	किरणन की मात्रा (किलो ग्रे)		प्रयोजन
		न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5
1.	प्याज	0.03	0.09	अंकुरण का संदमन

1	2	3	4	5
2.	आलू	0.06	0.15	अंकुरण का संदमन
3.	शैलॉट (छोटा प्याज), लहसुन, अदरक	0.03	0.15	अंकुरण का संदमन
4.	चावल	0.25	1.0	कीट विग्रसन
5.	सेमोलिना (सूजी या रवा), गेंहू का आटा तथा मैदा	0.25	1.0	कीट विग्रसन
6.	दालें	0.25	1.0	कीट विग्रसन
7.	शुष्क समुद्री-खाद्य पदार्थ	0.25	1.0	कीट विग्रसन
8.	किशमिश, अंजीर तथा शुष्क खजूर	0.25	0.75	कीट विग्रसन
9.	आम	0.25	0.75	शैल्फ लाइफ बढ़ाने तथा संगरोध उपचार
10.	मांस तथा मांस के उत्पाद, जिनमें चिकन शामिल है	2.5	4.0	शैल्फ लाइफ बढ़ाने और रोगाणुओं पर नियंत्रण
11.	ताजे समुद्री-खाद्य पदार्थ	1.0	3.0	शैल्फ लाइफ बढ़ाने
12.	हिमशीतित समुद्री-खाद्य पदार्थ	4.0	6.0	रोगाणवीय रोगाणु नियंत्रण
13.	मसाले	6.0	14.0	रोगाणवीय विसंदूषण

(ग) जी, हां।

(घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में पिछले चार दशकों में किए गए अनुसंधान तथा विकास कार्य से, कृषि तथा खाद्य उत्पादों के परिरक्षण तथा उन्हें स्वास्थ्यकर बनाने में विकिरण प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी की क्षमता सिद्ध हुई है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने, स्थानीय कृषि तथा खाद्य उत्पादों के परिरक्षण और उन्हें स्वास्थ्यकर बनाने के लिए इस प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के मूल्यांकन हेतु विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य को भी प्रायोजित किया है। प्रौद्योगिकी को अपेक्षाकृत बड़ें वाणिज्यिक पैमाने पर प्रदर्शित करने के लिए, परमाणु ऊर्जा विभाग ने खाद्य और संबद्ध उत्पादों का विकिरण द्वारा प्रसंस्करण करने के लिए दो प्रौद्योगिकी प्रदर्श यूनिट स्थापित किए हैं। वाशी, नवी मुंबई में एक 'विकिरण प्रसंस्करण संयंत्र' जनवरी, 2000 से काम कर रहा है। यह मसालों और अन्य शुष्क अवयवों को स्वास्थ्यकर बनाने में सक्षम-एक 30 मीटरी टन प्रतिदिन की क्षमता वाला उच्च डोज का किरणन यूनिट है- जिसका परिचालन परमाणु ऊर्जा विभाग के मुंबई स्थित एक अन्य संघटक यूनिट विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट) द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में नासिक के निकट लासलगांव में 'कृषक' (कृषि उत्पादन संरक्षण केन्द्र), प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए एक निम्न डोज वाली किरणन सुविधा है, जिसका परिचालन प्याजों में अंकुरण को रोकने और कृषि उत्पादों के कीट विग्रसन के लिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के खाद्य-प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा किया जाता है। यह यूनिट जुलाई, 2003 से परिचालनरत है और यह प्रति घंटा लगभग 4-5 मीटरी टन प्याज और आलुओं को प्रसंस्करण कर सकती है। प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन, बड़े वाणिज्यिक पैमाने पर वास्तविक उपयोगकर्ताओं को शामिल करके किया गया है।

(ङ) यह विभाग, विकिरण प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए निजी तथा सहकारी क्षेत्रों के उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा है। निजी तथा सहकारी दोनों क्षेत्रों से कई उद्यमी सामने आए हैं और उन्होंने विकिरण प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से कुछेक संयंत्र पहले ही कमीशन किए जा चुके हैं या निर्माण की प्रगत अवस्था में हैं।

सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में गिरावट

*261. श्री रेवती रमन सिंह:

श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में रक्षा और पूंजी व्यय की तुलना में सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सामाजिक क्षेत्र पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की सीधी निगरानी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए परिव्यय तथा राज्य सरकारों के लिए केन्द्रीय सहायता को अंतिम रूप देते समय सामाजिक क्षेत्रक को प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06 तक सामाजिक क्षेत्रक में व्यय (संशोधित अनुमान) तथा 'रक्षा सेवाएं' एवं 'पूंजी व्यय' के अंतर्गत तदनुरूपी अनुमान की तुलना में वर्ष 2006-07 के लिए बजट अनुमान नीचे तालिका में दिए गए हैं।

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	शीर्ष	2003-04 (संशोधित अनुमान)	2004-05 (संशोधित अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2006-07 में % वृद्धि
1.	सामाजिक क्षेत्रक	46136.73	51537.76	66016.45	85131.40	84.52
2.	रक्षा सेवाएं	60300.00	77000.00	81700.00	89000.00	47.60
3.	पूंजी	111367.44	119722.46	68410.23	75798.78	-31.94

स्रोत : संबंधित वर्षों के केन्द्रीय बजट

* सामाजिक क्षेत्रक में सामाजिक क्षेत्र स्कीमों को लागू करने वाले मंत्रालयों/विभागों की योजना और गैर-योजना व्यय के संशोधित अनुमान शामिल हैं, अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजातीय मामले, शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन, संस्कृति एवं श्रम व रोजगार मंत्रालय और ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल आपूर्ति विभाग तथा चयनित सामाजिक क्षेत्र स्कीमों जैसे जनजातीय उपयोजना, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान, किशोर बालिकाओं हेतु पोषाहार कार्यक्रम (एन.पी.ए.जी.) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.), स्लम विकास और जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के लिए राज्य/संघ राज्य योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता शामिल है।

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि सामाजिक क्षेत्रों में व्यय का बजटीय अनुमान 'रक्षा सेवाओं' पर व्यय में 47.60 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2003-04 के संशोधित अनुमान से वर्ष 2006-07 (बी.ई.) में 84.52 प्रतिशत तक बढ़ा है तथा इसी अवधि में पूंजी व्यय में 31.94 प्रतिशत घटा है।

(घ) से (च) सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम/स्कीमों को संबंधित कार्यक्रम मार्गदर्शी सिद्धान्तों के भाग के रूप में कार्यान्वित करने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा मॉनीटरिंग और मूल्यांकन तंत्र बनाए गए हैं। योजना आयोग योजना स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा/अर्धवार्षिक/तिमाही निष्पादन समीक्षा पद्धति के माध्यम से तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ वार्षिक योजना चर्चा के दौरान करता है। योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन डिलीवरी प्रणाली की प्रभावोत्पादकता तथा कार्यक्रम/स्कीमों के प्रभाव का भी मूल्यांकन करता है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग शीर्ष कार्यक्रमों के निष्कर्ष के महत्व पर बल देने के लिए संसद में प्रतिवर्ष 'आऊटकम बजट' प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

असफल परिवार कल्याण ऑपरेशन से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा

1840. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असफल परिवार कल्याण ऑपरेशन से प्रभावित जोड़ों को बीमा कवर प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 29-11-2005 से परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की है। इस योजना को पहले ही सभी राज्यों/संघ क्षेत्र की सरकारों को परिचालित कर दिया गया है। इस बीमा योजना में रोगी की अस्पताल में मृत्यु होने के मामले में एक लाख रुपये, अस्पताल से छुट्टी मिलने के 30 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर 30,000/- रुपये, नसबंदी असफल होने के लिए 20,000/- रुपये और चिकित्सीय समस्याओं के लिए 20,000/- रुपये के मुआवजे की व्यवस्था है। नसबंदी की असफलता, मृत्यु अथवा नसबंदी के आपरेशन से पैदा होने वाली चिकित्सीय समस्या के परिणाम स्वरूप क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत दावों के लिए सभी डाक्टरों केन्द्रीय, राज्य/स्थानीय स्व-सरकारों/अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के सभी डाक्टरों/स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान कर रहे गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त डाक्टरों/स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को प्रति डाक्टर/स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र पर 2 लाख रुपये तक की अधिकतम राशि का बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है। इस स्कीम का ब्यौरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.एम ओ एच एफ डब्ल्यू.एन.आई.सी.आईएन पर उपलब्ध है।

पश्चिम बंगाल को धनराशि

1841. श्री बीर सिंह महतो: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान पश्चिम बंगाल को जिस कोष से धनराशि प्रदान की गई उसका ब्यौरा क्या है और राज्य को कितनी धनराशि दी गई;

(ख) इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस प्रगति से सन्तुष्ट है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना 2004-05 को वित्त पोषित करने की स्कीम की एक प्रति विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) वार्षिक योजना 2004-05 के दौरान पश्चिम बंगाल के निष्पादन को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) उपरोक्त (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण-II में ब्यौरे दे दिए गए हैं।

विवरण-I

पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना 2004-05 को वित्त पोषित करने की स्कीम

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	मद	वार्षिक योजना 2004-05
1	2	3
क.	**राज्य के अपने संसाधन (1 से 12)**	**1586.51**
1.	मौजूदा राजस्व से शेष	-6558.99
	(ए.आर.एम. से)	0.00
2.	सार्वजनिक उद्यमों से अंशदान	-218.12
	(i) राज्य विद्युत बोर्ड	0.00

1	2	3
	(ए.आर.एम. से)	0.00
	(ii) सड़क परिवहन निगम	-218.12
	(ए.आर.एम.)	0.00
	(iii) अन्य उद्यम (निर्देशित करे)	0.00
	3. राज्य भविष्य निधियां	414.85
	4. विभिन्न पूंजी प्राप्तियां (शुद्ध)	-3157.60
	5. एफ.सी. के तहत विशेष अनुदान उन्नयन	106.37
	(i) उन्नयन एवं विशेष समस्यायें	106.37
	6. लघु बचतों के प्रति ऋण	8395.00
	7. निवल बाजार उधार (एस.एल.आर. आधारित)	716.00
	8. तय किए गए ऋण और अन्य वित्त	1889.00
	(i) एल.आई.सी.	10.00
	(ii) जी.आई.सी.	5.00
	(iii) नाबार्ड	440.00
	(iv) आर.ई.सी.	250.00
	(v) आई.डी.बी.आई.	0.00
	(vi) हुडको	164.00
	(vii) अन्य (निर्देशित करे)	1020.00
	9. डीबेंचर्स/बॉडस (गैर एस.एल.आर. आधारित)	0.00
	10. उपाध्यक्ष स्तर बैठक में सहमत ए.आर.एम.	0.00
	11. खाता शुरू करने का समाधान	0.00
	12. स्थानीय संस्थाओं से शुद्ध अधिशेष	0.00
ख.	केन्द्रीय सहायता (13 से 15)	#आर.ई.एफ.
	13. सामान्य केन्द्रीय सहायता	1397.43
	14. ई.ए.पी. के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1056.68
	15. अन्य (क) से (घ)	#आर.ई.एफ.
	(क) विशेष केन्द्रीय सहायता	97.04

1	2	3
	(i) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	39.56
	(ii) पार्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	22.33
	(iii) जनजातीय उप योजना	19.82
	(iv) अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	15.32
	(v) विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00
	(ख) विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ए.सी.ए.	819.86
	(i) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	40.00
	(ii) त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम	215.26
	(iii) अदला बदली बुवाई का नियंत्रण	0.00
	(iv) राष्ट्रीय सम विकास योजना	120.00
	(v) शहरी ढांचे को मजबूत करने हेतु पहल	39.40
	(vi) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता एवं अन्नपूर्णा कार्यक्रम	41.55
	(vii) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	184.90
	(viii) ग्रामीण विद्युतीकरण	60.00
	(ix) सड़कें एवं पुल	32.59
	(x) स्लम विकास	70.75
	(xi) किशोर बालिकाओं हेतु पोषाहार कार्यक्रम	15.41
	(ग) विशेष योजना सहायता	0.00
	(घ) विशिष्ट परियोजनाओं के लिए एक बारगी ए.सी.ए.	#आर.ई.एफ.
	(i) गंगा क्षरण	22.10
	(ii) मैगासिटी परियोजना	10.00
	(iii) सुदरवनों का विकास	10.00
	(iv) उत्तरबंगा उन्नयन परिषद	10.00
	(v) पश्चिमांचल उन्नयन परिषद	10.00
ग.	**सकल आंतरिक योजना संसाधन (क+ख)**	**#आर.ई.एफ.**
घ.	**कुल योजना परिव्यय**	**5019.62**

विवरण-II

प्रत्याशित व्यय 2004-05

विभागों के विकास शीर्ष

(लाख रुपये में)

विकास शीर्ष	दसवीं योजना 2002-07 परियोजना परिव्यय	वास्तविक व्यय 2003-04	वार्षिक योजना 2004-05	
			सहमत परिव्यय	प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5
I. कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप				
1. फसल कृषि				
कृषि विभाग	15128.39	830.02	2163.00	1226.30
हथकरघा एवं लघु उद्योग विभाग		1.12	11.50	3.18
कुल - फसल कृषि	**15128.39**	**831.14**	**2174.50**	**1229.48**
2. बागवानी				
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी विभाग	2331.12	118.69	266.00	362.08
3. मृदा एवं जल संरक्षण				
कृषि विभाग	920.66	2.34	48.00	43.20
विकास एवं योजना विभाग	58.07	9.42	9.00	9.57
वन विभाग	293.67	11.94	12.20	12.20
कुल - मृदा एवं जल संरक्षण	**1272.40**	**23.70**	**69.20**	**64.97**
4. पशु पालन				
पशु संसाधन विकास विभाग	11033.27	198.42	752.00	560.65
5. दुग्ध विकास				
पशु संसाधन विकास विभाग	3214.85	175.12	325.00	146.35
6. मत्स्य पालन				
मत्स्य पालन विभाग	17560.57	2702.29	3195.00	3345.00

1	2	3	4	5
7. वानिकी एवं वन्य जीव				
वन विभाग	16443.14	428.53	1940.95	1440.95
8. वृक्षारोपण				
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी	179.34	247.51	183.00	33.92
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	1306.63	142.50	170.00	170.00
कुल - वृक्षारोपण	**1485.97**	**390.01**	**353.00**	**203.92**
9. खाद्य, भंडारण एवं भाण्डारागार				
कृषि विपणन विभाग	300.68	5.14	13.00	13.00
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग			3.07	3.07
कुल - खाद्य, भंडारण एवं भाण्डारागार	**300.68**	**5.14**	**16.07**	**16.07**
10. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा				
कृषि विभाग	4786.58	341.45	610.00	549.00
वन विभाग	147.48	5.86	6.10	6.10
कुल - कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	**4934.06**	**347.31**	**616.10**	**555.10**
11. कृषि वित्तीय संस्थान				
वित्त (आई.एफ.) विभाग	2522.07		186.00	100.00
12. सहकारिता				
सहकारिता विभाग	9034.38	712.88	689.73	1492.75
13. अन्य कृषि कार्यक्रम				
कृषि विपणन विभाग	3921.86	167.03	179.00	179.00
कृषि विभाग			10.00	9.00
कुल - अन्य कृषि कार्यक्रम	**3921.86**	**167.03**	**189.00**	**188.00**
कुल I - कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	89182.76	6100.26	10772.55	9705.32
II. ग्रामीण विकास				
1. ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम				
(क) कृषि विभाग (डी.पी.ए.पी.)	90.15			

1	2	3	4	5
(ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (आई.आर.ई.पी.)	282.07	0.51	15.00	15.00
(ग) पी. एवं आर.डी. विभाग (एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम)		7.50	10.00	14.30
(घ) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (एस.जी.एस.वाई.)	7072.07	1247.45	2500.00	
(ङ) पी. एवं आर.डी. विभाग (डी.आर.डी.ए. प्रशासन)				
(च) विकास एवं योजना विभाग (आर.एस.वी.वाई.)			12000.00	12000.00
कुल - ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	**7444.29**	**1255.46**	**14525.00**	**13763.55**
2. ग्रामीण रोजगार				
(क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (एस.जी.आर.वाई.)	29792.01	7484.47	10432.00	7930.00
3. भूमि सुधार				
भूमि एवं भूमि सुधार विभाग	2171.92	72.14	140.00	250.62
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम				
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग	322779.57	17767.04	17875.00	17130.70
भूमि एवं भूमि सुधार विभाग	56.41		1.00	1.00
कुलः अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	**322835.98**	**17767.04**	**17876.00**	**18131.70**
कुलः II - ग्रामीण विकास	362244.20	26579.11	42973.00	40075.87
III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
(क) पर्वतीय क्षेत्र				
पशु संसाधन विकास विभाग	135.04	6.00	25.00	25.00
कृषि विभाग	192.69		25.00	22.50
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	1190.15	117.65	150.00	140.00
शिक्षा (जन) विभाग	36.29	1.00	0.10	0.10
शिक्षा (विद्यालय) विभाग	787.97		10.00	10.00
मात्स्यिकी विभाग	331.39	15.00	15.00	15.00
वन विभाग	597.86	18.44	30.75	30.75

1	2	3	4	5
पर्वतीय मामले विभाग	11248.27	3176.69	2544.00	2544.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	460.65	45.00	150.00	150.00
सूचना एवं सांस्कृतिक मामले विभाग	20.89		1.22	1.22
सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग	237.16	12.20	13.00	13.00
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	610.42	32.00	130.00	130.00
लोक निर्माण (सड़क) विभाग	223.0		20.00	20.00
पर्यटन विभाग	158.87	10.00	10.00	10.00
शहरी विकास विभाग	87.03	2.12	3.75	3.75
जल अन्वेषण एवं विकास विभाग	182.15	8.00	35.00	35.00
कुल - पर्वतीय क्षेत्र	**16500.13**	**3444.10**	**3162.82**	**3150.32**
(ख) अन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम				
(i) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)				
गृह (राजनीति) विभाग	14499.00	3137.34	3956.00	5151.00
(ii) अनुच्छेद 275(I) के तहत अनुदान				
पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग				
(iii) अन्य				
कृषि विभाग	2626.15	218.53	20.00	18.00
विकास एवं योजना विभाग (पी.यू.पी., यू.बी.यू.पी., बी.ई.यू.पी.)	62741.31	8201.72	10743.58	11399.47
सुन्दरबन मामले विभाग (सुंदरबन विकास)	10603.42	1602.15	3200.00	3750.00
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (सी.ए.डी.सी.)			1900.00	1684.75
कुल: अन्य (iii)	**75974.88**	**10022.40**	**15863.58**	**16852.22**
कुल: अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	**90473.88**	**13159.74**	**19819.58**	**22003.22**
कुल: III - विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	106974.01	16603.84	22982.40	25153.54
IV. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण				
1. मुख्य एवं मध्यम सिंचाई				
सिंचाई एवं जल मार्ग विभाग	89847.7	6539.50	8945.00	9872.56

1	2	3	4	5
जल अन्वेषण और विकास विभाग	871.86	147.80	180.00	303.86
कुलः मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	**90719.56**	**6687.30**	**9125.00**	**10176.42**
2. लघु सिंचाई				
जल अन्वेषण और विकास विभाग	22977.20	3513.93	3535.00	3411.14
3. कमान क्षेत्र विकास				
जल अन्वेषण और विकास विभाग	5204.30	501.05	750.00	750.00
सिंचाई एवं जल मार्ग विभाग	187.46		10.00	6.00
कुलः कमान क्षेत्र विकास	**5391.76**	**501.05**	**760.00**	**756.00**
4. बाढ़ नियंत्रण				
सिंचाई एवं जल मार्ग विभाग	70777.27	6788.66	12738.00	11314.44
कुलः IV - सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	189865.79	17490.94	26158.00	25658.00
V. ऊर्जा				
1. विद्युत				
विद्युत विभाग	**784645.34**	**65202.40**	**156748.00**	**128825.00**
2. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत				
विद्युत विभाग	904.57	281.18	400.00	336.00
कुलः V - ऊर्जा	785549.91	65483.58	157148.00	129161.00
VI. उद्योग एवं खनिज				
1. ग्राम एवं लघु उद्योग				
हथकरघा एवं लघु उद्योग विभाग	28301.89	1279.93	1438.50	3056.82
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी विभाग				
कुलः ग्राम एवं लघु उद्योग	**28301.89**	**1279.93**	**1438.50**	**3056.82**
2. अन्य उद्योग (वी.एस.आई. के अलावा)				
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	81701.17	1835.01	3407.20	2709.20

1	2	3	4	5
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग			150.00	1130.00
वित्त (आई.एफ.) विभाग	8839.9	109.22	303.00	289.00
औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग	7496.58	595.96	773.00	773.00
विद्युत विभाग	5427.41	400.00	100.00	1700.00
सार्वजनिक उद्यम विभाग	12442.63	20.00	6663.00	10571.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग	4588.64	53.51	460.00	260.00
कुल : अन्य उद्योग (वी.एस.आई. के अलावा) खनिज	**120496.33**	**2813.70**	**11856.20**	**17432.20**
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	5352.43	232.84	420.00	305.00
कुल: VI - उद्योग एवं खनिज	154150.65	4326.47	13714.70	20794.02
3. सड़कें एवं पुल				
VII. परिवहन				
2. नागर विमानन				
परिवहन विभाग	384.19	9.31	50.00	5.06
लोक निर्माण (सड़क) विभाग	152546.75	15118.14	37598.00	21099.00
लोक निर्माण विभाग	36355.04	2345.68	6068.00	5368.00
परिवहन विभाग	1130.58	176.90	125.00	135.00
कुल - सड़कें एवं पुल	**190208.15**	**17641.58**	**43791.80**	**26602.80**
4. सड़क परिहवन				
परिवहन विभाग	**41877.00**	**8644.52**	**4946.00**	**12924.94**
5. आंतरिक जल परिवहन				
परिवहन विभाग	**4841.69**	**93.60**	**220.00**	**275.00**
6. अन्य परिवहन सेवाएं				
सार्वजनिक उद्यम विभाग	761.63		3.00	3.00
कुल: VII - परिवहन	238072.66	26388.99	49010.80	39810.80

1	2	3	4	5
VIII. संचार				
IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण				
1. वैज्ञानिक अनुसंधान				
पर्यावरण विभाग	117.18	47.23		240.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1687.21	98.11	112.00	112.00
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	5970.73	497.34	1262.00	1282.00
परिवहन विभाग			40.00	
कुल : वैज्ञानिक अनुसंधान	**7775.12**	**642.68**	**1414.00**	**1634.00**
2. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण				
पर्यावरण विभाग	1571.06	454.44	251.00	11.00
कुल: IX - विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	9346.18	1097.12	1665.00	1645.00
X. सामान्य आर्थिक सेवाएं				
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं				
विकास एवं योजना विभाग	746.47	48.09	42.97	79.17
2. पर्यटन				
पर्यटन विभाग	4380.80	142.41	401.00	201.00
3. जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकीय				
विकास एवं योजना विभाग	225.31	25.16	23.60	23.60
4. नागरिक आपूर्ति				
उपभोक्ता मामले विभाग	1119.2	195.48	350.64	350.64
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	621.47	0.16	15.00	15.00
कुल: नागरिक आपूर्ति	**1740.67**	**195.64**	**365.64**	**365.64**
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवा				
(क) तोल एवं माप				
उपभोक्ता मामले विभाग	219.40	13.24	41.38	

1	2	3	4	5
(ख) (i) जिला योजना				
विकास एवं योजना विभाग	18555.26	1570.15	1428.65	
(ख) (ii) अन्य (सामान्य आर्थिक सेवाएं)				
गृह (पुलिस) विभाग		140.72	100.00	468.00
कुल - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	**18774.66**	**1724.11**	**1570.01**	**1871.36**
कुल: X - सामान्य आर्थिक सेवाएं	25867.91	2135.41	2403.22	2540.77
XI. सामाजिक सेवाएं				
1. सामान्य शिक्षा				
शिक्षा (उच्च) विभाग	7979.83	483.72	457.20	1298.10
शिक्षा (जन) विभाग	9966.31	601.22	929.80	1056.90
शिक्षा (विद्यालय) विभाग	61535.21	7586.78	44645.30	39880.15
कुल - सामान्य शिक्षा	**79481.35**	**8671.72**	**46032.30**	**42235.15**
2. तकनीकी शिक्षा				
शिक्षा (उच्च) विभाग	5024.05	249.29	110.45	1475.65
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग	6253.59	258.45	375.19	169.69
कुल - तकनीकी शिक्षा	**11277.64**	**507.74**	**485.64**	**1645.34**
3. खेल एवं युवा सेवाएं				
शिक्षा (उच्च) विभाग	397.5	29.59	9.45	32.95
शिक्षा (विद्यालय) विभाग	724.5	28.08	31.75	46.90
खेल विभाग	5616.63	327.50	742.00	742.00
युवा सेवा विभाग	3479.4	2307.10	2622.00	2622.00
आई. एंड सी.ए. विभाग	20.41			1.00
कुल - खेल एवं युवा सेवाएं	**10238.44**	**2692.27**	**3405.20**	**3444.85**
4. कला एवं संस्कृति				
शिक्षा (उच्च) विभाग	1291.48	135.82	54.90	243.30

1	2	3	4	5
सूचना एवं सांस्कृतिक मामले विभाग	2092.08	546.09	472.17	647.47
कुल - कला एवं संस्कृति	**3383.56**	**681.91**	**527.07**	**890.77**
उप जोड़ - शिक्षा	**104380.99**	**12553.64**	**50450.21**	**48216.11**
5. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
निगम मामले विभाग		975.88	198.00	1500.00
श्रम विभाग (ई.एस.आई.)	901.05	2.23	48.80	94.69
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	102268.62	17606.76	23493.00	17667.00
कुल - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	**103169.67**	**18584.87**	**23739.80**	**19261.69**
6. जलापूर्ति एवं स्वच्छता				
शहरी विकास विभाग			15.00	15.00
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	73317.00	9017.47	13520.00	12869.00
कुल - जलापूर्ति एवं स्वच्छता	**73317.00**	**9017.47**	**13535.00**	**12884.00**
7. आवास (पुलिस आवास सहित)				
सहकारिता विभाग	22.64		0.05	0.05
वित्त (कर) विभाग	111.16	6.19	5.00	5.00
आवास विभाग	8303.73	239.62	1772.00	1430.00
गृह (पुलिस एवं ए.आर.) विभाग	1597.52	37.80	41.30	41.30
न्यायिक विभाग	597.64	45.84	71.00	103.33
श्रम विभाग	11.95		0.30	0.30
संसदीय मामले विभाग	29.82	1.50		
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	70.4	0.15	1.00	1.00
गृह (पुलिस) विभाग	1672.23	2.43		32.00
गृह (रक्षा) विभाग	78.11	0.13		0.20
लोक निर्माण विभाग	603.87	11.44		
(i) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)				
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	17524.70	1737.78	650.00	4090.00
कुल - पुलिस आवास एवं आई.ए.वाई. को मिलाकर	**30623.70**	**2082.78**	**2540.65**	**5703.18**

1	2	3	4	5
8. राज्य राजधानी परियोजनाओं सहित शहरी विकास				
विकास एवं योजना विभाग	1197.94		1.20	1.19
निगम मामले विभाग	265483.03	7277.66	41663.00	20827.00
शहरी विकास विभाग	81111.37	3932.95	4873.25	5873.25
दमकल सेवा विभाग	1078.10	274.99	1390.00	1190.00
कुल - राज्य राजधानी परियोजनाओं सहित शहरी विकास	**348870.44**	**11485.60**	**47927.45**	**27891.44**
9. सूचना एवं प्रचार				
सूचना एवं सांस्कृतिक मामले विभाग	**2148.28**	**429.18**	**325.61**	**549.31**
10. अनु. जाति, अ.ज. जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण				
पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग	**41034.29**	**4608.10**	**10401.00**	**8581.00**
11. श्रम एवं रोजगार				
क. श्रमिक कल्याण				
श्रम	1123.83	33.23	156.04	154.44
सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग	102.58			
कुल - श्रमिक कल्याण	**1226.41**	**33.23**	**156.04**	**154.44**
ख. रोजगार सेवाएं				
विकास एवं योजना विभाग	40.27			
श्रम विभाग	2379.56		2.00	2.00
कुल - रोजगार सेवाएं	**2419.83**		**2.00**	**2.00**
ग. दस्तकारी प्रशिक्षण				
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग	**2029.66**	**44.01**	**87.81**	**193.31**
कुल - श्रम एवं रोजगार	**5675.90**	**77.24**	**245.85**	**349.75**
12. सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण				
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	6172.86			
शिक्षा (जन) विभाग	1051.97	233.62	522.10	295.00
पंचायत एवं ग्रामीण विकास (एन.एस.ए.पी.)	19245.12	4530.56	7155.00	11271.00

1	2	3	4	5
शरणार्थी सहायता एवं पुनर्वास विभाग	.5183.79	99.46	649.00	149.00
सहायता विभाग	265.93	7.49	31.00	631.00
महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण विभाग	25283.39	2689.56	1710.00	4920.00
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (एन.एस.ए.पी.)		541.00	1634.00	2418.00
कुल - सामाजिक सुरक्षा एवं समाज कल्याण	**57203.06**	**8101.69**	**11701.10**	**19684.00**
13. पोषाहार				
शिक्षा (विद्यालय) विभाग	50.43	719.44	84.95	1034.95
महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग	26778.53	6590.51	9715.00	9695.00
कुल - पोषाहार	**26828.96**	**7309.95**	**9799.95**	**10729.95**
14. अन्य सामाजिक सेवाएं				
सहकारिता विभाग	11.59	0.09	0.22	0.20
वित्त (कर) विभाग	8638.59	3748.75	200.00	4450.00
अल्पसंख्यक विकास एवं कल्याण विभाग	5908.96	524.39	599.00	599.00
श्रम विभाग	3062.43	695.93	3792.86	3748.57
कुल - अन्य सामाजिक सेवाएं	**17621.57**	**4969.16**	**4592.08**	**8797.77**
XI - कुल सामाजिक सेवाएं	810873.93	79219.68	175258.70	162648.20
XII. सामान्य सेवाएं				
1. कारागार				
गृह (कारागार) विभाग	**2986.80**	**110.69**	**64.00**	**184.00**
2. स्टेशनरी एवं मुद्रण				
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	**85.22**	**10.71**	**44.00**	**29.00**
3. लोक निर्माण				
गृह (सिविल डिफेंस) विभाग	99.1/		5.00	5.00
उत्पाद विभाग	426.07	69.83	19.00	19.00
वित्त (लेखा परीक्षा) विभाग	118.95	61.86	12.00	65.19

1	2	3	4	5
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	1670.00	5.59	81.93	81.93
वित्त (कर) विभाग	801.61	5.37	100.00	100.00
गृह (पुलिस) विभाग	17022.35	646.28	1045.00	2991.00
गृह (पी. एंड ए.आर.) विभाग	1884.72		130.20	130.20
न्यायिक विभाग	3017.99	399.77	475.00	662.87
भूमि एवं भूमि सुधार विभाग	2366.63	15.66	59.00	48.38
संसदीय कार्य विभाग	888.79	6.69	26.81	426.81
लोक निर्माण विभाग	52277.98	4664.17	7632.00	4632.00
राहत विभाग	500.24	32.40	69.00	69.00
गृह (रक्षा) विभाग	36.07		5.00	4.80
गृह (कारागार) विभाग	974.22	242.25	326.00	426.00
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	28.40	1.12	8.00	6.00
कुल - लोक निर्माण	**82113.19**	**6150.99**	**9993.94**	**9668.18**
4. अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
दमकल सेवा विभाग		36.79	50.00	50.00
वित्त (लेखा परीक्षा) विभाग	1465.04	440.25	288.00	453.81
वित्त (कर) विभाग	2195.11	141.33	295.00	295.00
गृह (पी. एंड ए.आर.) विभाग	1126.96	11.53	27.50	27.50
न्यायिक विभाग	1782.08	579.32	750.00	1087.80
संसदीय कार्य विभाग	217.60	40.58	22.19	22.19
गृह (पुलिस) विभाग			1346.00	
कुल - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	**6786.79**	**1249.80**	**2778.69**	**1936.30**
XII - कुल सामान्य सेवाएं	91972.00	7522.19	12900.63	11817.48
कुल जोड़	2864100.00	252947.59	514987.00	469010.00

[अनुवाद]

विदेश में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना

1842. श्रीमती मेनका गांधी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने दूतावासों में कोई सांस्कृतिक अताशे नियुक्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की विदेश में भारतीय संस्कृति के बारे में जागरुकता किस तरह बढ़ाने की योजना है;

(ग) क्या सरकार को इस्कॉन मंदिरों को रूस में भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में आ रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना और मेजबान देश के साथ सांस्कृतिक क्रिया-कलापों का विकास करना विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों की गतिविधियों का अभिन्न अंग हैं। विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों के प्रमुख सक्रिय रूप से अपने मेजबान देशों में भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता का संवर्धन करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मिशन में एक अधिकारी विशिष्ट रूप से पदनामित होता है, जिसकी ड्यूटी में सांस्कृतिक कार्य शामिल रहता है।

(ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने विदेशों में भारतीय संस्कृति के संवर्धन हेतु 18 सांस्कृतिक केन्द्रों और 2 उप केन्द्रों की स्थापना की है।

परिषद के क्रियाकलापों का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिनमें छात्रवृत्तियों, भारतीय सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन, मंचीय कलाकारों की सांस्कृतिक मंडलियों का आदान-प्रदान, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, व्याख्यानों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन, सांस्कृतिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, गणमान्य अतिथियों का आदान-प्रदान, भारतीय संस्कृति पर मुद्रित एवं श्रव्य - दृश्य प्रचार सामग्री का वितरण और एक नई वेबसाइट तैयार करना इत्यादि शामिल हैं।

भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सांस्कृतिक राजनय के तहत्व को सरकार स्वीकार करती है। सरकार विदेशों में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के बुनियादी ढांचे को अधिक मजबूत बनाने और क्रियाकलापों का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार करने का प्रयास करेगी।

(ग) रूस में भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार तथा व्यवहार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मास्को में इस्कॉन मंदिर 1989 से जून, 2004 तक खुला था, जब इसे मंदिर के प्राधिकारियों की सहमति से नए स्थान पर स्थानांतरित किया गया था। तत्पश्चात, मास्को प्रॉसीक्यूटर जनरल के कार्यालय ने यह आदेश जारी किया कि इस्कॉन मंदिर की पुनर्स्थापना गैर कानूनी थी। ऐसा समझा जाता है कि इस्कॉन के प्रतिनिधि इस संपदा संबंधी मसले का हल निकालने के लिए मास्को की नगर सरकार के साथ कार्य कर रहे हैं।

(घ) सरकार द्वारा यह मामला रूस के प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया था। बाद में यह मामला मास्को नगर सरकार को सौंप दिया गया है।

आयु सीमा की निर्धारित तारीख में परिवर्तन

1843. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छात्र संगठनों से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं हेतु आयु सीमा की निर्धारण तारीख को 1 अगस्त की बजाय पहले की किसी तारीख में परिवर्तित करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ग) सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयु के निर्धारण के संदर्भ में निर्णायक तारीख को परिवर्तित करने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग के मत मांगे गए हैं।

[हिन्दी]

खारे पानी को पीने के योग्य पानी में बदलना

1844. श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भावी पेयजल समस्या से निपटने के लिए समुद्र के खारे पानी को पीने के योग्य पानी में बदलने संबंधी कोई परमाणु ऊर्जा आधारित कार्य योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और उस पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी ही परियोजनाओं पर काम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के एक संघटक यूनिट भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी.ए.आर.सी.) ने, विलवणीकरण संयंत्रों का डिजायन तैयार करने और उनका निर्माण करने के लिए तकनीकी क्षमता विकसित कर ली है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने, समुद्री-जल के विलवणीकरण के लिए कलपाक्कम, तमिलनाडु में 'नाभिकीय विलवणीकरण प्रदर्श परियोजना (एन.डी.डी.पी.)' के एक भाग के रूप में अठारह (18) लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक 'प्रतिलोम परासरण (आर.ओ.) विलवणीकरण संयंत्र' स्थापित किया है। पैंतालीस लाख (45 लाख) लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक बहु-चरणीय फ्लैश (एम.एस.एफ.) वाष्पन संयंत्र (एन.डी.डी.पी. का एक और भाग) निर्माणाधीन है।

समुद्री-जल के विलवणीकरण के लिए अपशिष्ट उष्मा को काम में लाकर 'निम्न ताप वाष्पन (एल.टी.ई.) प्रौद्योगिकी' भी विकसित की गई है। ट्राम्बे स्थित नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर (साइरस) के साथ जोड़कर एक प्रदर्श संयंत्र (30,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला) स्थापित किया गया। यह यूनिट अपनी तरह का पहला ऐसा यूनिट है जो समुद्री जल से बहुत ही शुद्ध आसवित क्वालिटी के जल का उत्पादन कर रहा है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने बोर-वैल/खारे पानी के स्रोतों से पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर (राजस्थान) के सहयोग से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे स्थित संयंत्रों सहित, बाड़मेर जिला, राजस्थान में शीलगांव ग्राम, (30,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले) और जोधपुर जिला, राजस्थान में सतलाना ग्राम में भी (30,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले) कई विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किए हैं।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने, पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए तमिलनाडु के 'सुनामी' प्रभावित क्षेत्रों में तीन (3) विलवणीकरण संयंत्र (प्रत्येक की क्षमता 5,000 लीटर प्रतिदिन की) स्थापित किए हैं।

(ग) जोधपुर, बाड़मेर जिलों और 'सुनामी' प्रभावित क्षेत्रों में ये परियोजनाएं पहले ही से परिचालनरत हैं। कलपाक्कम, तमिलनाडु स्थित प्रतिलोम परासरण (आर.ओ.) विलवणीकरण संयंत्र भी परिचालनरत है। बहु-चरणीय फ्लैश (एम.एस.एफ.) वाष्पन संयंत्र, जोकि एन.डी.डी.पी. का ही एक हिस्सा है, निर्माणाधीन है। कलपाक्कम, तमिलनाडु स्थित एन.डी.डी.पी. परियोजना पर 49.97 करोड़ रुपये (उनचास करोड़ सत्तानवे लाख रुपये) की राशि व्यय किए जाने की संभावना है। जहां तक जोधपुर और बाड़मेर जिलों में स्थित विलवणीकरण संयंत्रों का संबंध है, उन पर 30 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। जहां तक 'सुनामी' प्रभावित क्षेत्रों में विलवणीकरण संयंत्रों का संबंध है, ऐसे तीन संयंत्रों की स्थापना के लिए कुल 24 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

(घ) विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा विभाग के पास उपलब्ध है, जिसे किसी भी सरकारी एजेंसी को उपलब्ध कराया जा सकता है।

(ङ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, 100 एम.एल.डी. समुद्री-जल विलवणीकरण संयंत्र के लिए चैन्नई मैट्रो वाटर का परामर्शदाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बड़े आकार के समुद्री-जल विलवणीकरण संयंत्रों के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा है और मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने कवारत्ती, लक्षद्वीप में (एन.आई.ओ.टी.) द्वारा स्थापित 100,000 एल.पी.डी. क्षमता के निम्न ताप समुद्री-जल विलवणीकरण संयंत्र के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.) को डिजायन के संबंध में परामर्श स्वरूप सहायता भी दी है।

[अनुवाद]

प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति

1845. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ए.एस.एच.ए.) की नियुक्ति हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं, उनके क्या मुख्य कार्य हैं और देश के विभिन्न भागों में राज्यवार कितने ए.एस.एच.ए. वर्तमान में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या बढ़ती मांग से निपटने के लिए ए.एस.एच.ए. की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन ए.एस.एच.ए. की नियुक्ति कब तक की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राज्यों को जारी किए गए सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार आशा 25-45 आयुवर्ग की शादीशुदा/विधवा/तलाकशुदा होनी चाहिए जो गांव की निवासी हो और जिसने VIIIवीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की हो। आशा को एक समुदाय आधारित प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है जिसमें ग्राम सभा, ग्राम स्वास्थ्य समिति, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी संस्थान, ब्लाक नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी आदि शामिल होते हैं।

आशा के कार्यों में सार्वभौमिक प्रतिरक्षण को बढ़ावा, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य हेतु एस्कोर्ट एवं रेफरल सेवाओं समेत स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाना, स्वास्थ्य परामर्श और घरेलू शौचालय के निर्माण हेतु अभिप्रेरित करना आदि शामिल है। वह ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, आई.एफ.ए. गोलियों, क्लोरोक्वीन, डिस्पोजेबल डिलीवरी किटों और गर्भनिरोधकों आदि जैसी आवश्यक दवाइयों हेतु डीपो होल्डर के रूप में भी कार्य करेंगी।

चुनी गई आशा की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	राज्य	चुनी गई आशा की संख्या
1	2	3
1.	झारखण्ड	1416
2.	मध्य प्रदेश	2194
3.	राजस्थान	20605
4.	बिहार	29119
5.	उत्तरांचल	1206
6.	छत्तीसगढ़	60631
7.	उत्तर प्रदेश	9548
8.	उड़ीसा	11262
9.	जम्मू-कश्मीर	
10.	असम	8444

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्यों अर्थात् बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, असम और जम्मू और कश्मीर में प्रत्येक गांव में प्रत्येक एक हजार जनसंख्या के लिए एक आशा के होने पर जोर देता है। तथापि अन्य राज्य भी आशा जैसे स्वास्थ्य से जुड़े कार्यकर्ता रखने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि वे उनके प्रशिक्षण एवं चिकित्सीय किटों पर होने वाली लागत को उन्हें प्रदान की गई प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य निधियों में से वहन करने के लिए तैयार हों।

(घ) यह मिशन कुल 2.5 लाख आशा चुनने पर जोर देता है जिसमें से कम से कम 40 प्रतिशत आशा मिशन के प्रथम वर्ष के दौरान चुनी जाएंगी तथा शेष दूसरे एवं तीसरे वर्ष के दौरान चुन ली जाएंगी। आज की तिथि में विभिन्न राज्यों में लगभग 1.44 लाख आशा चुनी जा चुकी हैं।

पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

1846. श्री रनेन बर्मन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल द्वारा केन्द्र सरकार से योजनावार और वर्षवार कुल कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की गई और उसे योजनावार, वर्षवार कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) राज्य सरकार द्वारा पूरी वित्तीय सहायता प्रदान न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) राज्य के लिए कुल वित्तीय सहायता का निर्धारण राज्यों में योजना निधियों के आवंटन हेतु वर्तमान फार्मूले के आधार पर उपाध्यक्ष, योजना आयोग और राज्य के मुख्य मंत्री के बीच हुई चर्चा के माध्यम से किया गया था। अतः राज्य सरकार द्वारा मांगी गई कुल वित्तीय सहायता प्रदान न करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष	स्कीम	राशि (करोड़ में)
1	2	3
2003-04	पी.एम.जी.वाई.	184.90
	सड़क व पुल	36.18
	स्लम विकास	35.72
	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	40.00
	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	41.55
	त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम	211.94
	शहरी अवसंरचना सुदृढ़ करने हेतु पहल	39.40
	राष्ट्रीय सम विकास योजना	60.00
	किशोर बालिकाओं हेतु पोषाहार कार्यक्रम	14.59
	ग्रामीण विद्युतीकरण	60.00
	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत गंगा पदमा कटाव	20.00
	सुंदरबन क्षेत्र का विकास	5.00
	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरी बंगाल जिला हेतु क्षेत्रीय असंतुलन में कमी	5.00
2004-05	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	40.00
	त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम	215.26
	राष्ट्रीय सम विकास योजना	120.00
	शहरी अवसंरचना सुदृढ़ करने हेतु पहल	39.40
	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं अन्नपूर्णा	41.55
	पी.एम.जी.वाई.	184.90
	ग्रामीण विद्युतीकरण	60.00
	सड़क एवं पुल	32.59
	स्लम विकास	70.75
	किशोर बालिकाओं हेतु पोषाहार कार्यक्रम	15.41
	गंगा कटाव	22.10

1	2	3
	सुंदरवन का विकास	10.00
	पश्चिमांचल उन्नयन परिषद	10.00
	उत्तरवंग उन्नयन परिषद	10.00
	मेगा सिटी प्रोजेक्ट	10.00
	गंथला, मुर्शिदाबाद में पुल निर्माण	3.00
	अतिरिक्त एन.एस.ए.पी.	38.34
	दोपहर का भोजन	86.79
	राष्ट्रीय ई गवर्नेंस (एन.ई.जी.ए.पी.)	2.12
2005-06	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	40.00
	त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम	35.26
	राष्ट्रीय सम विकास योजना	120.00
	शहरी अवसंरचना सुदृढ़ करने हेतु पहल	39.40
	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं अन्नपूर्णा	79.89
	ग्रामीण विद्युतीकरण	60.00
	सड़क एवं पुल	32.59
	स्लम विकास	70.75
	किशोर बालिकाओं हेतु पोषाहार कार्यक्रम	15.41
	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस (एन.ई.जी.ए.पी.)	2.12
	पश्चिमांचल उन्नयन परिषद	10.00
	उत्तर बंग उन्नयन परिषद	10.00
	सुंदरवन विकास	10.00
	द्वारका में नदी पर पुल	2.00
	दार्जिलिंग जल आपूर्ति स्कीम	10.00
	शहरी विकास	13.00
	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	45.00
	चन्द्रकोना में स्कूल भवन का निर्माण	0.60

दंत चिकित्सकों की कमी

1847. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दंत-चिकित्सकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में इस समय राज्यवार कितने पंजीकृत दंत-चिकित्सक हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) देश में दंत चिकित्सकों की कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 31-12-2005 को पंजीकृत दन्त चिकित्सकों की संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

31-12-05 को पंजीकृत दंत चिकित्सकों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2541
2.	असम	762
3.	बिहार	1032
4.	गुजरात	1453
5.	हरियाणा	1648
6.	हिमाचल प्रदेश	469
7.	जम्मू-कश्मीर	536
8.	केरल	4844
9.	कर्नाटक	16058
10.	मध्य प्रदेश	1246
11.	महाराष्ट्र	10092
12.	मणिपुर	अभी तक कोई पंजीकरण नहीं हुआ
13.	मेघालय	अभी तक कोई पंजीकरण नहीं हुआ
14.	नागालैंड	अभी तक कोई पंजीकरण नहीं हुआ
15.	उड़ीसा	307
16.	पंजाब	4159
17.	राजस्थान	अभी तक कोई पंजीकरण नहीं हुआ
18.	सिक्किम	अभी तक कोई पंजीकरण नहीं हुआ
19.	तमिलनाडु	5109
20.	त्रिपुरा	अभी तक कोई पंजीकरण नहीं हुआ
21.	उत्तर प्रदेश	1763
22.	पश्चिम बंगाल	1539
23.	गोवा	417
संघ राज्य क्षेत्र		
24.	अं. और निकोबार द्वीप समूह	7
25.	अरुणाचल प्रदेश	अभी तक कोई पंजीकरण नहीं हुआ
26.	चंडीगढ़	107
27.	दादरा एवं नगर हवेली	अभी तक कोई पंजीकरण नहीं हुआ
28.	दिल्ली	1030
29.	लक्षद्वीप	अभी तक कोई पंजीकरण नहीं हुआ

1	2	3
30.	मिजोरम	अभी तक कोई पंजीकरण नहीं हुआ
31.	पांडिचेरी	225
	कुल योग	55344

[हिन्दी]

भारतवंशीय ज्ञान नेटवर्क

1848. श्री संतोष गंगवार: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विकासात्मक प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु भारतीय डायसपोरा की विशेषज्ञता और दक्षता का दोहन करने हेतु "भारतवंशीय ज्ञान नेटवर्क" गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) हां। भारतीय मूल के लोगों के ज्ञान को समायोजित करने क एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जो भारतीय मूल के लोगों के ज्ञान संसाधनों का प्रयोग कर सकता है और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल के माध्यम से शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, उद्योग और सरकारी कार्यक्रमों जैसे क्षेत्रों में ज्ञान दाताओं और भारत में इनके प्रयोक्ताओं के मध्य तालमेल को सरल बना सकता है। भारतीय मूल के लोगों के ज्ञान का समायोजन संयुक्त राष्ट्र, डायसपोरा ज्ञान केन्द्रों, निजी क्षेत्र के साझीदारों और भारत में सम्बन्धित राज्य सरकारों जैसे सम्बन्धित दावेदारों से परामर्श करके स्थापित किया जाएगा।

[अनुवाद]

एटोमिक पार्क

1849. श्री सुबोध मोहिते: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में एटोमिक पार्क स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) परमाणु विद्युत क्षमता को तेज गति से और मितव्ययतापूर्ण तरीके से बढ़ाने की दृष्टि से, सरकार का विचार अपनी क्षमता का उपयोग, प्रत्येक स्थल पर अपेक्षाकृत अधिक संख्या में यूनिटों की स्थापना करके, विभिन्न स्थलों पर नई क्षमता वृद्धि हेतु करने का है। सरकार ने हाल ही में, रावतभाटा, ककरापार, जयतापुर तथा कुडनकुलम के लिए तथा प्रारंभिक परियोजना-पूर्व कार्य के लिए 'सिद्धांततः' अनुमोदन दे दिया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

1850. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगले पांच वर्षों में "लाखों गृहस्थों" को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लाने हेतु एक फ्रांसीसी मॉडल शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त मॉडल का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी. वी.आई.) ने राजस्व स्थायित्व को सुनिश्चित करने के विचार से, ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रेन्चाइजियों की तैनाती को योजना के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया गया है। फ्रैंचाइजी गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.), प्रयोगकर्त्ता संगठन, सहकारी और व्यक्तिगत व्यवसायी हो सकते हैं। इसमें पंचायतों को भी शामिल किया जा सकता है। फ्रैंचाइजी व्यवस्था सब स्टेशन से फीडरों से अधिक और सहित अथवा वितरण ट्रांसफार्मर से और सहित प्रणाली के लिए हो सकती है।

फ्रैंचाइजी प्रणाली वाणिज्यिक हानियों को कम करने, राजस्व एकत्रीकरण दक्षता में सुधार तथा उपभोक्ताओं को द्वार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी राज्य सरकारों/विद्युत यूटिलिटियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जानी हैं। फ्रैंचाइजी निर्धारित अवधि के लिए अभिज्ञात क्षेत्र के भीतर विद्युत के वितरण और उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष रूप से राजस्व की वसूली के लिए उत्तरदायी होंगे। उपभोक्ता मिश्रण और प्रचालित उपभोक्ता टैरिफ और सम्भाव्य भार के आधार पर, फ्रैंचाइजी के लिए बल्क सप्लाई टैरिफ (बी.एस.टी.) फ्रैंचाइजी की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के पश्चात ही निर्धारित किया जाएगा।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) लिमिटेड

ने सभी राज्य सरकारों/राज्य विद्युत यूटिलिटियों के फ्रैंचाइजी विकास के लिए प्रारूप दिशानिर्देश प्रचारित किए हैं जिसमें फ्रैंचाइजियों के विभिन्न माडलों को संबंधित राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार संबंधित विद्युत यूटिलिटी द्वारा चयनित किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों में मुख्य मामले उदाहरणार्थ उत्तरदायित्व, दायित्व एवं अधिकार, योग्यताएं, चयन प्रक्रिया, टैरिफ निर्धारण, फ्रैंचाइजियों की व्यावसायिक योजना और पंचायत को शामिल करना भी शामिल है।

पश्चिम बंगाल हेतु विकास परियोजनाएं

1851. **श्री अधीर चौधरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए कुछ विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी परियोजनाएं कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाओं हेतु कितनी राशि जारी की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) जी, हां। योजना आयोग ने वर्ष 2005-06 के लिए मूल रूप से 6476.00 करोड़ रुपये के अनुमोदित योजना परिव्यय के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल हेतु एक और परियोजना को स्वीकृति दे दी है।

(ख) पहले से ही अनुमोदित परियोजना चन्द्रकोना, मिदनापुर जिला, पश्चिम बंगाल में स्कूल भवन के निर्माण के लिए है।

(ग) उपर्युक्त परियोजना के लिए जारी की गई राशि 60.00 लाख रुपये है।

बायोगैस/बायोडीजल/सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन संबंधी अनुसंधान

1852. **श्री एम. अप्पादुरई:**

डा. के.एस. मनोज:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बायोगैस, बायोडीजल और सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु कोई अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे अनुसंधान करने के लिए सरकार द्वारा संस्थानों को कितनी अनुदान राशि दी गई है;

(घ) क्या सरकार ने ताप विद्युत केन्द्र में विद्युत उत्पादन हेतु नारियल खोल (कोकोनेट शेल) के उपयोग के संबंध में कोई अनुसंधान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा बायोगैस, बायोडीजल/बायोफ्यूल और सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं आदि द्वारा आरंभ की जाने वाली अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इनका संबंध कुशलता में वृद्धि, लागत में कमी और डिजाइन में संशोधन सहित बायोगैस प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाओं और फीड सामग्री के लिए उपयुक्त बायोगैस संयंत्रों की लागत को कम करने; परिवहन, पोर्टेबल और स्थैतिक अनुप्रयोगों के लिए बायोफ्यूल के उपयोग; और सौर ऊर्जा प्रणालियों एवं युक्तियों की कुशलता को बढ़ाने और लागत को कम करने के अतिरिक्त नई सौर ऊर्जा सामग्रियों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के विकास से है।

(ग) मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे अनुसंधान कार्य को आरंभ करने के लिए विभिन्न उद्योगों/संस्थाओं में 4.80 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

	बायोगैस	सौर ऊर्जा	बायो-फ्यूल
2002-03	0.27	1.48	0.45
2003-04	0.47	0.59	0.75
2004-05	0.21	0.48	0.10
कुल	0.95	2.55	1.30

(घ) और (ङ) नारियल खोल (कोकोनेट शेल) का उपयोग, उसकी उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, कुछ किवा. से लेकर कुछ मेवा. तक की क्षमता श्रेणियों में विद्युत उत्पादन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं

को सहायता दी है। कोयम्बटूर, तमिलनाडु में नारियल खोल पर आधारित 1.00 मेवा. के विद्युत संयंत्र को कमीशन किया गया है।

पासपोर्ट हेतु दूरभाष पूछताछ प्रणाली

1853. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पासपोर्ट संबंधी जानकारी के लिए देश में कई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में दूरभाष पूछताछ प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवेदकों को क्या सुविधाएं दी गई है;

(ग) क्या देश के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करायी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) पूरे भारत में स्थित कुल 30 पासपोर्ट कार्यालयों में से 21 क्षेत्रीय कार्यालयों ने पहले से पासपोर्ट संबंधी सूचना हेतु दूरभाष - पूछ-ताछ प्रणाली आरंभ कर दी है। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जहां दूरभाष - पूछताछ प्रणाली कार्य कर रही है-

अहमदाबाद

बंगलौर

बरेली

भोपाल

कालीकट

चंडीगढ

चेन्नई

कोचीन

दिल्ली

गाजियाबाद

हैदराबाद

जयपुर

जालंधर

कोलकाता

लखनऊ

मुंबई

पुणे

ठाणे

त्रिचि

त्रिवेन्द्रम

विशाखापट्टणम

दूरभाष - पूछताछ प्रणाली के तहत पासपोर्ट जारी करने और अलग-अलग व्यक्तियों के आवेदनों की स्थिति से संबंधित नियमों और विनियमों के बारे में सूचना उपलब्ध है।

(ग) और (घ) इस सुविधा को धीरे-धीरे बचे हुए 9 पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जोकि वास्तविक कार्यभार और प्रकार्यात्मक अपेक्षाओं पर निर्भर करेगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय महिलाओं हेतु परामर्श केन्द्र

1854. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रवासियों से विवाहित भारतीय महिलाओं को सहायता देने के लिए विभिन्न देशों में विशेष परामर्श केन्द्र स्थापित करने का है जैसा कि दिनांक 19 फरवरी, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां ऐसे केन्द्र खोले जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसे केन्द्रों के कब तक काम शुरू करने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) प्रवासी केन्द्र खोलने के एक प्रस्ताव पर विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है। प्रारम्भ में तीन केन्द्र संयुक्त राज्य अमेरिका मलेशिया, और खाड़ी में प्रत्येक में एक-एक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इसके शीघ्रतिशीघ्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है। ये केन्द्र अन्य बातों के अलावा कानूनी, औषधीय परामर्शी सेवाएं प्रदान करेंगे।

प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम

1855. प्रो. एम. रामदास: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम से भारत को किस प्रकार लाभ मिला है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार महाअधिवेशन में भाग ले रहे राज्यों का प्रतिभागिता शुल्क माफ करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) हैदराबाद में 7 से 9 जनवरी, 2006 के दौरान आयोजित चौथे प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान शुरू किये गये और कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

अप्रवासी भारतीय नागरिकता योजना शुरू की गई थी और अप्रवासी भारतीय नागरिकता के पहले दो दस्तावेज प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय मूल के लोगों को सौंपे गए थे।

भारतीय मूल के कामगारों के लाभ के लिए एक अधिक उदार प्रवासी भारतीय बीमा योजना - 2006, शुरू की थी। इसी प्रकार एक अन्य सुविधा, समेकित इलेक्ट्रानिक, रेमिटेंस सुविधा भी शुरू की गई और इसके अगले वित्तीय वर्ष से पूर्णतः संचालित हो जाने की आशा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजीशियन ऑफ इण्डियन ओरिजिन (ए.ए.पी.आई.) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे और इसके शीघ्र संचलन में आने की संभावना है।

ऐसे देशों में, जहां भारतीय मूल के लोग/अप्रवासी भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं और वहां उच्च शिक्षा के अवसर कम हैं, भारत को एक शैक्षिक केन्द्र के रूप में प्रचालित करने के लिए अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के बच्चों के लिए एक योजना शैक्षिक वर्ष 2006-07 से कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

आयात सत्यापन

1856. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने भारत से कहा है कि वह तीसरी दुनिया के देशों से भी किसी भी प्रकार का आयात करते समय अमरीका के वाणिज्य विभाग से स्वीकृति तथा अंतिम उपयोग सत्यापन सुनिश्चित करें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) सितम्बर, 2004 से भारत और अमरीका ने एक ऐसी व्यवस्था की है जो अमरीकी, लाइसेंस की आवश्यकताओं अथवा प्रतिषेध के अध्यधीन चुनिंदा दोहरे-उपयोग की वस्तुओं के लिए "इंड - यूज" का सत्यापन करने हेतु अमरीकी सरकार को अनुरोध करने की अनुमति प्रदान करता है। यह व्यवस्था अमरीका से सीधे आयातित अमरीकी मूल की वस्तुओं अथवा अन्य देशों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से आयात की गई वस्तुओं के बीच विभेद नहीं करता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत इसमें वे सभी सामग्री शामिल हैं जो अमरीकी निर्यात प्रशासन विनियमों के अनुसार लाइसेंस की आवश्यकताओं के अध्यधीन हैं।

(ग) इस व्यवस्था से भारतीय उद्योग पर लाभकारी प्रभाव पड़ा है। अधिक पूर्वानुमेय एवं उदारीकृत लाइसेंस जारी करने से भारत और अमरीका के बीच विस्तारित उच्च-प्रौद्योगिकी वाणिज्य संभव हुआ है। इसके अतिरिक्त अमरीका को इसके प्रभावी कार्यान्वयन से चुनिंदा "इंड-यूजर्स" के लिए लाइसेंस की छूट की घोषणा मार्च, 2006 में करने का विश्वास मिला है।

पथकर संग्रहण

1857. **श्री भर्तृहरि महताब:**

श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग के चयनित मार्ग खंड पर पथकर संग्रहण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितना वार्षिक पथकर संग्रहण किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार स्वचालित पथकर संग्रहण प्रणाली शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए फीस-लोक वित्तपोषित परियोजनाएं) 1997 और राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/स्थायी पुल के प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस संग्रहण) नियमावली, 1977 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों और राष्ट्रीय राजमार्गों पुलों व सुरंगों पर सरकार की ओर से निष्पादन एजेंसियों द्वारा प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) वसूल किया जा रहा है।

(ख) प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) राजमार्ग खंडों, पुलों और सुरंगों के प्रयोग के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं/लाभों के लिए लगाया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुधार/निर्माण कार्य पूरे होने और शुल्क अधिसूचना के पश्चात् पथकर वसूल किया जा रहा है।

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान संग्रहीत प्रयोक्ता शुल्क की वार्षिक धनराशि के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, 2 और 8 के कुछ स्थानों पर और अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग के टाल प्लाजाओं पर प्रायोगिक परियोजना के तौर पर इलेक्ट्रानिक पथकर व्यवस्था लागू किए जाने की योजना है।

विवरण

(लाख रुपये)

क्र.	राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1950.29	4174.04	5998.07
2.	असम	153.01	194.25	93.61
3.	बिहार	948.91	991.86	1145.44
4.	छत्तीसगढ़	147.81	133.98	173.58
5.	गुजरात	2896.03	5426.72	6689.85
6.	हरियाणा	10305.00	12274.00	13042.00
7.	केरल	457.10	306.54	411.36
8.	कर्नाटक	320.54	386.89	364.11
9.	मध्य प्रदेश	1386.70	1346.86	1740.82
10.	महाराष्ट्र	809.08	3340.41	6365.50

1	2	3	4	5
11.	मणिपुर	9.26	6.38	5.16
12.	उड़ीसा	795.15	786.18	907.97
13.	पंजाब	1800.16	2375.09	2731.16
14.	राजस्थान	3954.57	4985.82	6211.63
15.	तमिलनाडु	282.44	546.24	643.59
16.	उत्तरांचल	111.66	147.38	69.36
17.	उत्तर प्रदेश	3742.02	4270.60	4744.45
18.	पश्चिम बंगाल	2974.00	2159.00	2019.00
	जोड़	33043.73	43852.14	53356.66

सड़कों का जाल

1858. श्री मोहन रावले: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सड़कों का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव स्तरीय नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सड़कों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया के विशालतम सड़क नेटवर्कों में से एक है जिसकी लंबाई इस समय लगभग 3.31 मिलियन कि.मी. है। इस सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंड बढ़ते यातायात की मांग को पूरा नहीं कर सकते। इस समय देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 65,569 कि.मी. है। इसमें नौवीं और दसवीं योजना अवधि में घोषित लगभग 31,271 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने से पहले ये राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यीय सड़कें थी और इनमें खराब ज्यामिति, अपर्याप्त पेवमेंट, क्षतिग्रस्त पुल और पुलिया, भीड़ वाले खंड आदि जैसी अंतर्निहित खामियां थी। इन राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। राज्यीय सड़कों और अन्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं।

(ङ) सरकार ने चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता को जोड़ने के लिए तथा उत्तर-दक्षिण (श्रीनगर से कन्याकुमारी) और पूर्व-पश्चिम (सिल्चर से पोरबंदर) महामार्गों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-I और II के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों को चार/छः लेन का बनाने, महापत्तनों के लिए सड़क संपर्क में सुधार तथा अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने के लिए एक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसकी कुल लंबाई लगभग 14,234 कि.मी. है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत सरकार ने 4000 कि.मी. को चार लेन का बनाने तथा अन्य 6000 कि.मी. के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण-क के अंतर्गत 1310 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय सड़कों के लिए भी अनुमोदन प्रदान कर दिया

है। यह कार्य केंद्र सरकार की एजेंसी के तौर पर राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन द्वारा किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण कार्यों के अतिरिक्त है।

[हिन्दी]

राज्यों को योजना सहायता

1859. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की स्वीकृत योजना में से खर्च नहीं की गयी राशि के अनुपात में राज्यों की योजना सहायता में से कोई कटौती की गयी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कटौती का आधार क्या है;

(ग) क्या राज्यों को आबंटित योजना सहायता योजना के आकार से संबंधित नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्यों की योजना सीमा का निर्धारण योजना आयोग द्वारा अनुमानित संसाधनों के आधार पर किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो स्वीकृत योजना आकार में कटौती किए जाने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) जी, हां। अनुमोदित योजना परिव्यय/संशोधित योजना परिव्यय की तुलना में व्यय में किसी प्रकार की कमी होने पर तथा पिछले वर्ष में निर्धारित परिव्यय में कमी होने के कारण भी, केन्द्र द्वारा अनुवर्ती वर्ष में सामान्य केन्द्रीय सहायता की अंतिम किस्त जारी करते समय केन्द्रीय सहायता में आनुपातिक कटौती की जाती है। यदि पिछले वर्ष के व्यय के लेखा परीक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो एक प्रतिशत सामान्य केन्द्रीय सहायता (एन.सी.ए.) रोक ली जाती है। पिछले वर्ष (2004-05) के दौरान केन्द्रीय सहायता में कटौती की गई/रोकी गई राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) वार्षिक योजना में राज्य के अपने संसाधन और केन्द्रीय सहायता शामिल होती है। राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता मोटे तौर से निम्नलिखित तीन उप-शीर्षों के अंतर्गत आवंटित की जाती है - (i) सामान्य केन्द्रीय सहायता (एन.सी.ए.), (ii) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ई.ए.पी. के लिए ए.सी.ए.) और, (iii) विशेष और अन्य कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता। राज्यों को राज्य योजनाओं के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता का आबंटन वर्ष 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के आधार पर किया जाता है।

(च) अनुमोदित योजना के निर्धारित परिव्यय की तुलना में वास्तविक व्यय में कमी के कारण की गई कटौती इस बात को सुनिश्चित करती है कि योजना की प्राथमिकताओं को सामान्य रूप से कार्यान्वयन के समय अनुरक्षित किया जाता है तथा यह कि समग्र योजना व्यय योजनानुसार किया जाता है।

विवरण

राज्यों को 2004-05 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहातया में कटौती

क्र.सं.	राज्य	2004-05	
		आबंटित एन.सी.ए.	कुल कटौती/रोक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1239.04	33.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	588.36	35.88
3.	असम	1449.59	44.50
4.	बिहार	1734.81	412.34
5.	छत्तीसगढ़	484.29	30.00
6.	गोवा	72.41	30.57
7.	गुजरात	636.96	21.37
8.	हरियाणा	290.11	17.90
9.	हिमाचल प्रदेश	716.34	42.54
10.	जम्मू-कश्मीर	1420.06	24.20
11.	झारखंड	547.52	30.00
12.	कर्नाटक	708.23	100.16
13.	केरल	531.36	8.34
14.	मध्य प्रदेश	1100.92	30.22

1	2	3	4
15.	महाराष्ट्र	1108.02	325.04
16.	मणिपुर	433.33	34.33
17.	मेघालय	360.02	58.50
18.	मिजोरम	414.81	34.15
19.	नागालैण्ड	438.59	34.39
20.	उड़ीसा	862.25	38.62
21.	पंजाब	348.90	33.49
22.	राजस्थान	901.70	24.02
23.	सिक्किम	279.75	22.97
24.	तमिलनाडु	958.69	11.99
25.	त्रिपुरा	610.93	36.11
26.	उत्तर प्रदेश	3120.26	409.61
27.	उत्तरांचल	707.60	30.00
28.	पश्चिम बंगाल	1397.43	28.97
	योग	23462.68	1983.81

एन.सी.ए. : सामान्य केन्द्रीय सहायता

पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के लेबल पर संघटकों और कीटनाशियों का उल्लेख

1860. श्री अजीत जोगी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के लेबल पर संघटकों और कीटनाशियों का उल्लेख करना अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आवश्यक आदेश के कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 32 (ख) के अनुसार प्रत्येक खाद्य पैकेट में लेबल होगा जिसमें इस उत्पाद में प्रयोग किए गए तत्वों को भार या मात्रा, जैसी भी स्थिति हो, के हिसाब से अवरोही क्रम में दर्शाया जाएगा।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के तहत पैकेट बंद खाद्य उत्पाद के लेबल पर घटकों और कीटनाशकों का उल्लेख करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि खाद्य उत्पाद में घटक के रूप में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

अलघ समिति की सिफारिशें

1861. श्री पी. मोहन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिविल सेवाओं की चयन प्रक्रिया तथा इसकी संरचना में परिवर्तन के संबंध में अलघ समिति द्वारा अक्तूबर 2002 के दौरान दी गयी रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अलघ समिति की मुख्य बातें/सिफारिशें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसे अब तक लागू नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(घ) अलघ समिति की सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (घ) समिति के मुख्य बिन्दु/सिफारिशें, अन्य बातों के साथ-साथ, सिविल सेवाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के पात्रता मानदण्डों, प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षाओं की योजनाओं, व्यक्तित्व परीक्षण, सेवाओं का आबंटन और सेवा में शामिल होने के पश्चात् सेवाओं के प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन से जुड़ने वाले मुद्दों से संबंधित हैं।

सरकार ने लोक प्रशासन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के आशय से विस्तृत रूप रेखा तैयार करने के लिए एक, प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया है। यह आयोग, अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय, अलघ समिति सहित विभिन्न समितियों द्वारा विगत में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखेगा।

[हिन्दी]

दोहरी नागरिकता

1862. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता दिए जाने के बाद उन्हें प्राप्त होने वाले अधिकारों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जो वर्तमान में दोहरी नागरिकता धारण किए हैं तथा साथ ही देश में विभिन्न पदों पर आसीन हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों में भारतीय मूल के लोग, जो कतिपय शर्तों को पूरा करते हैं, संसद के एक अधिनियम (भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2005) के अंतर्गत प्रवासी भारतीय नागरिक बनने के पात्र हैं। यह नागरिकता की एक विशेष श्रेणी है और इसका अर्थ दोहरी नागरिकता नहीं है। अप्रवासी भारतीय नागरिक बहुप्रवेश, बहुप्रयोजन, आजीवन वीजा के पात्र हैं जिसमें पुलिस के पास पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। अप्रवासी भारतीय नागरिक मतदान करने, संवैधानिक पद धारण करने अथवा सरकार में रोजगार पाने के पात्र नहीं हैं। हालांकि वे निजी क्षेत्र में कार्य करने के पात्र हैं। प्रवासी भारतीय नागरिकों को कृषि और बागान संपत्तियों के अधिग्रहण को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा के क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों के बराबर समानता प्राप्त है।

(ख) एक मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार भारतीय मूल के लोगों को जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा से हैं, को 4278 प्रवासी भारतीय नागरिकता दस्तावेज जारी किए गए हैं। कोई भी अप्रवासी भारतीय नागरिक भारत में किसी पद पर आसीन नहीं है।

[अनुवाद]

पत्रकारों के लिए वीजा मुक्त सुविधा

1863. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 2005 में दक्षिण एशिया क्षेत्र के पत्रकारों के लिए वीजा मुक्त सुविधा शुरू करने के संबंध में लिए गए निर्णय को अभी कार्यान्वित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस पर सार्क के अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) 11 नवंबर, 2005 को ढाका में आयोजित सार्क मंत्रिपरिषद के छब्बीसवें सत्र में निर्णय लिया गया कि सार्क वीजा छूट योजना के अंतर्गत पात्र लोगों की सूची का विस्तार किया जाए और उसमें अन्यों के साथ सार्क सदस्य देशों से पांच वर्ष के लिए प्रत्यायित पत्रकारों को भी शामिल किया जाए। 12-13 नवंबर, 2005 को ढाका में हुए 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में मंत्री परिषद की रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया गया था।

(ख) से (घ) इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए सरकार कदम उठा रही है।

एच.आई.वी. संक्रमण

1864. श्री निखिल कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी में दिन-प्रतिदिन एच.आई.वी. संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजधानी में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को इन रोगियों से उनकी निकटता वाला पेशा होने के कारण संक्रमित होने का काफी खतरा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राजधानी में अस्पतालों में एच.आई.वी. संक्रमण के ऐसे खतरों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) देश में एच.आई.वी. संक्रमण के रुझान को एड्स के रोगियों की वार्षिक निगरानी करके और उनकी सूचना देकर निर्धारित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रसव पूर्व क्लीनिकों (ए.एन.सी.) जनसंख्या और एस.टी.डी. जनसंख्या और एड्स के सूचित किए गए रोगियों में एच.आई.वी. की व्याप्तता दर इस प्रकार है:

वर्ष	प्रसवपूर्व क्लीनिकों (एएनसी) में एचआईवी की व्याप्तता दर	यौन संचारित रोगों में एचआईवी की व्याप्तता दर	सूचित किए गए एड्स के रोगी
1	2	3	4
2003	0.13%	7.20%	114

1	2	3	4
2004	0.38%	7.98%	68
2005	0.25%	9.15%	1027

उपलब्ध रूझान से किसी बहुत बड़े परिवर्तन का पता नहीं चलता है। वर्ष 2005 के दौरान सूचित किए गए एड्स के रोगियों की संख्या रिट्रोवायरल रोधी उपचार की सुविधाओं की व्यवस्था में विस्तार के कारण बढ़ सकती है।

(ग) और (घ) डाक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अस्पतालों में कार्य करते समय व्यापक पूर्वोपाय करने के लिए सलाह दी गई है। रक्त और इसके उत्पादों के साथ दुर्घटनावश सम्पर्क होने तथा सभी सरकारी अस्पतालों में सुई से लगने वाली चोट (नीडल स्टिक इन्जरी) के पश्चात् स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए औषधों के पोस्ट एकसपोजर प्रोफिलेक्सिज के लिए भी प्रावधान किया गया है।

केरल की लंबित जल विद्युत परियोजनाएं

1865. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजना से संबंधित कई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल की ऐसी किसी परियोजना को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, नहीं। केरल की हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.), विद्युत मंत्रालय के पास तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टी.ई.सी.) हेतु लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। एक जल विद्युत परियोजना अर्थात् एथिरापिल्ली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना (163 मेगावाट) को सी.ई.ए. द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना को 2004-05 के कीमत स्तर पर 385.63 करोड़ रुपये की उत्पादित लागत से 31 मार्च, 2005 को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इससे 234.33 मि.यू. का वार्षिक ऊर्जा उत्पादन होगा।

[हिन्दी]

दाभोल विद्युत परियोजना

1866. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

श्रीमती मेनका गांधी:

डा. चिंता मोहन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र की दाभोल विद्युत परियोजना द्वारा ईंधन के रूप में नाफ्था के उपयोग से अक्तूबर, 2006 से विद्युत उत्पादन शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) परियोजना शुरू होने के बाद उत्पादन की जाने वाली विद्युत की लागत कितनी होगी; और

(घ) उक्त परियोजना के बंद होने के समय विद्युत उत्पादन की प्रस्तावित लागत कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) 2150 मे.वा. की कुल क्षमता के तीन विद्युत ब्लॉकों में से, लगभग 740 मे.वा. की क्षमता के प्रथम विद्युत ब्लाक के मई, 2006 तक और अन्य दो विद्युत ब्लॉकों के नवम्बर, 2006 तक उत्पादन के लिए तैयार हो जाने की संभावना है। सभी तीन ब्लॉकों का वास्तविक आरंभन मुख्य ईंधन अर्थात तरल प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

तथापि, चूंकि एल.एन.जी. टर्मिनल के केवल दिसम्बर, 2006 तक प्रचालनगत होने की संभावना है इसलिए इस अवधि के बीच में ईंधन के रूप में नाफ्था का प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि, महाराष्ट्र विशेष रूप से व्यस्ततम घंटों के दौरान भारी विद्युत कमियां झेल रहा है, और चूंकि रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राइवेट लि. (आर.जी.पी.पी.एल.) के पास पहले से ही नाफ्था का 34000 के एल का स्टाक है, इसलिए नाफ्था के उपलब्ध स्टाकों को नवीन क्रयों के माध्यम से इस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है कि पूल्ड मूल्य महाराष्ट्र को स्वीकार्य हो।

(ग) उत्पादन की लागत एल.एन.जी. के क्रय मूल्य पर निर्भर करेगी जोकि सर्वोत्तम प्रयास आधार पर होगी। इस अवधि के बीच नाफ्था का प्रयोग करने वाले उत्पादन की लागत यदि महाराष्ट्र को स्वीकार्य होती है तो यह उस सीमा तक निर्भर

करेगी जिस तक नाफ्था का वर्तमान स्टाक नाफ्था के नवीन क्रय के माध्यम से बढ़ाया जाता है। इसके अलावा, विद्युत टैरिफ समुचित विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(घ) मई 2001 में पूर्व दाभोल विद्युत संयंत्र के बंद होने के समय उत्पादन का मूल्य 8.75 कि. वा./घं. था जोकि मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण थाः-

(1) नाफ्था मूल्य में वृद्धि हुई थी जिससे विद्युत के परिवर्तनीय मूल्य में वृद्धि हुई।

(2) विद्युत के निर्धारित मूल्य पर विनिमय दर घटाव-बढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(3) महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एम.ई.आर.सी.) ने दिनांक 5-5-2000 के अपने आदेश द्वारा निदेश दिया कि दाभोल विद्युत संयंत्र से महंगी मेरिट आदेश डिस्पैच के अनुसार आखिरकार क्रय की जानी चाहिए। अतः दाभोल विद्युत संयंत्र को बहुत न्यून सब-आपटिमल क्षमता पर प्रचालित किया गया, जिससे विद्युत के प्रति यूनिट मूल्य में वृद्धि हुई।

[अनुवाद]

एम.बी.बी.एस. पाठ्यचर्या हेतु नया पाठ्यक्रम

1867. श्री राम कृपाल यादवः
श्री जुएल ओरामः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार इस अकादमिक वर्ष से एम.बी.बी.एस. पाठ्यचर्या के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रिक पम्प कनेक्शन के लिए किसानों को अनुदान

1868. श्री गणेश सिंहः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इलेक्ट्रिक पम्प कनेक्शन प्राप्त करने के लिए किसानों को अनुदान प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कई राज्यों द्वारा इलेक्ट्रिक पम्प कनेक्शन नहीं प्रदान किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) जी, नहीं। राज्य में इलेक्ट्रिक पम्प कनेक्शनों समेत सर्विस कनेक्शन वितरण लाइसेंस धारकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जो संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों से शामिल होते हैं।

कृषि के विशेष संदर्भ में इलेक्ट्रिक पम्प कनेक्शन उपलब्ध कराना, राज्य द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों पर निर्भर करेगा।

मट्टानचेरी गोदी को क्षति

1869. श्री मित्रसेन यादवः क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में कोचीन-पत्तन-न्यास के अंतर्गत आने वाली मट्टानचेरी गोदी क्षतिग्रस्त हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोचीन-पत्तन-न्यास को इस गोदी के क्षतिग्रस्त होने के कारण काफी वित्तीय नुकसान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मट्टानचेरी गोदी का पुनर्निर्माण कर दिया गया है; और

(च) यदि नहीं तो पुनर्निर्माण-कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। मट्टानचेरी घाट में चल रहे चार घाटों में से क्यू-4 घाट, 13-11-2005 को धंस गया और ढह गया तथा उस पर कार्य संचालित करना बंद कर दिया गया है। उपर्युक्त घाट, मूलतः, स्थिर इस्पात की चादर के लट्ठे के धक्के की दीवार (एकर्ड स्टील शीट

पाइल क्वे वॉल) से बनवाया गया था। उपर्युक्त क्यू-4 घाट के धंस जाने और ढह जाने के संभावित कारण, निम्नानुसार हैं:-

(i) जंग लग जाने के कारण इस्पात की चादर के लट्ठे और लंगर-लट्ठों का प्राकृतिक रूप से क्षरण हो जाना और उपर्युक्त ढांचे के बहुत समय से काम में लिए जाते आने के कारण उसका चूर-चूर हो जाना; और

(ii) अप्रत्याशित रूप से मूसलाधार वर्षा हो जाने के कारण, उपर्युक्त क्षेत्र में इकट्ठा किए गए नमक के माल द्वारा पानी सोख लिए जाने के कारण उपर्युक्त चादर के लट्ठे पर पार्श्विक रूप से डाले जाने वाले दबाव में बढ़ोतरी होना।

(ग) और (घ) मट्टानचेरी घाट में क्यू-4 घाट के ध्वस्त हो जाने के कारण कोचीन-पत्तन को राजस्व (धन) की कोई हानि नहीं हुई है, क्योंकि मट्टानचेरी घाट में क्यू-4 घाट पर संभाले जाने वाले जहाजी माल के संचालन से संबंधित काम-काज, कोचीन-पत्तन पर जहाजी माल संभालने वाले शेष 15 घाटों पर संभाला जा सकता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) मट्टानचेरी घाट पर क्यू-4 घाट के पुनर्निर्माण से संबंधित कार्य के प्रति अनुमोदन मिलने की तारीख से उसे पूरा करने में लगभग दो वर्ष लगने संभावित हैं।

[अनुवाद]

शल्य चिकित्सकों की कमी

1870. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हृदय विज्ञान के क्षेत्र में शल्य चिकित्सकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार हृदय विज्ञान से सम्बद्ध सुविख्यात विदेशी अस्पतालों को देश में ऐसे अस्पताल स्थापित करने की अनुमति देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, राज्य सरकार राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में विभिन्न स्नातकोत्तर/अति विशिष्ट पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए ऐसे पाठ्यक्रम आरम्भ करने की आवश्यकता के आधार पर अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर रही है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनिवार्यता प्रमाण पत्र और एम.सी.आई. के मानकों के अनुसार अन्य आवश्यकताओं के आधार पर, केन्द्र सरकार, भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात ऐसे पाठ्यक्रम आरम्भ करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर रही है।

(घ) और (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अमरीकी राजदूत द्वारा की गई कथित टिप्पणी

1871. श्रीमती सी.एस. सुजाता:

श्री इलियास आजमी:

श्री एस. अजय कुमार:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आई.ए.ई.ए. में भारत के मतदान के संबंध में अमरीकी राजदूत द्वारा की गई कथित टिप्पणी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) सरकार ने आई.ए.ई.ए. में ईरान परमाणु मुद्दे पर मतदान के संबंध में भारत स्थित अमरीका के राजदूत द्वारा दी गई टिप्पणियों को देखा है।

(ख) 25 जनवरी, 2006 को सरकार ने यह स्पष्ट किया कि आई.ए.ई.ए. में इस मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोण भारत के अपने स्वतंत्र निर्णय पर आधारित होगा। भारत असैनिक ऊर्जा सहयोग पर प्रस्तावित उस भारत-अमरीका समझौते के साथ इसे जोड़ने के किसी भी प्रयास को स्पष्ट रूप अस्वीकार करता है जिसका आधार उसकी स्वयं की विशेषताएं हैं। जहां तक प्रस्तावित भारत अमरीका असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर बातचीत का प्रश्न है, भारत इसमें अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर आगे बढ़ेगा, जैसाकि अमरीका के राजदूत ने स्वयं कहा है।

(ग) 26 जनवरी, 2006 को विदेश सचिव ने अमरीका के

राजदूत से यह व्यक्त करने के लिए मुलाकात की कि उनके द्वारा पी.टी.आई. को दिए साक्षात्कार में की गई टिप्पणियां उचित नहीं थी और यह हमारे दो स्वतंत्र लोकतंत्रों के बीच सुदृढ भागीदारी का निर्माण करने के लिए अनुकूल नहीं है। विदेश सचिव ने राजदूत को यह सूचित किया कि आई.ए.ई.ए. में ईरान परमाणु मुद्दे पर किसी संभावित संकल्प पर भारत के मतदान का निर्धारण इस मामले की गुणावगुणों के आधार पर भारत के स्वयं के निर्णय द्वारा होगा। प्रस्तावित भारत अमरीका राज्य असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते के संबंध में विदेश सचिव ने भारत के इस दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि की कि दोनों देशों को 18 जुलाई 2005 के संयुक्त वक्तव्य के आशय के अनुरूप और उसमें निहित सदृश प्रतिबद्धताओं के कड़े अनुपालन में कार्य करने की आवश्यकता है। राजदूत ने इसके लिए खेद व्यक्त किया और कहा कि उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर देखा जा रहा है। उनका विभिन्न मुद्दों पर भारत के स्वयं के राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेने के भारत के अधिकार पर प्रश्नचिन्ह लगाने का कोई आशय नहीं था।

[हिन्दी]

नर्स प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान

1872. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इस समय सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त नर्स प्रशिक्षण केन्द्र अथवा संस्थान स्थित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

अस्पतालों में परिवाद प्रकोष्ठ

1873. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोगियों की उपचार संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु विभिन्न सरकारी अस्पतालों में परिवाद प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में स्थापित इन प्रकोष्ठों को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ङ) क्या पिछले छः महीनों के दौरान उक्त शिकायतों के आधार पर किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल तथा सम्बद्ध अस्पतालों जैसे जिपमेर, पांडिचेरी, पी.जी.आई.एम.ई.आर., चंडीगढ़ और एम्स, नई दिल्ली का संबंध है, इन अस्पतालों में किसी भी मरीज या उसके रिश्तेदारों की तरफ से आई शिकायतों का निपटान करने के लिए परिवाद प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं। मामले में की गई प्रत्येक कार्रवाई की सूचना शिकायतकर्ता को दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों में प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नलिखित है।

1.	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	51
2.	सफदरजंग अस्पताल	11
3.	लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध अस्पताल	5

(ङ) और (च) सफदरजंग अस्पताल में, पंजीकरण काउंटर से एक कर्मचारी का स्थानांतरण किया गया तथा चार मामलों में शिकायतकर्ताओं को सहायता हेतु संबंधित चिकित्सक से मिलने की सलाह दी गई।

लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल में, प्रशासन से जुड़े एम्बुलैंस चालक को चेतावनी पत्र जारी किए गए।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, एक वरिष्ठ हड्डी रोग चिकित्सक को निलम्बित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का खोला जाना

1874. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री मदन लाल शर्मा:

श्री रशीद मसूद:

श्री दानवे रावसाहेब पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे कितने गांव हैं जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं और उनमें से कितने इस समय काम कर रहे हैं;

(ख) क्या मूल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवंटित की जा रही धनराशि कभी भी गांवों तक नहीं पहुंचती;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु अधिक धनराशि प्रदान करने, निर्धन लोगों के लिए निःशुल्क वितरण हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाओं की आपूर्ति करने तथा उचित संख्या में चिकित्सकों की तैनाती हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मैदानी क्षेत्र के लिए 30,000 और पहाड़ी/आदिवासी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 20,000 की आबादी से संबंधित मानदण्ड के अनुसार की जाती है। देश में सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार 23109 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

म्यांमार को विमानों की आपूर्ति

1875. श्री पंकज चौधरी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत द्वारा म्यांमार को विमानों की आपूर्ति के संबंध में कथित रूप से कुछ प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

युवाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कैम्प

1876. डा. एम. जगन्नाथ:

श्री रामदास आठवले:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से युवाओं विशेषकर छात्रों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कैम्प आयोजित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विशेष वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए कोई सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन की योजना के अंतर्गत युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर हेतु वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) निधि की कमी की वजह से ये प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किए गए। तथापि 2006-07 के बजट में संबंधित शीर्षों के अंतर्गत पर्याप्त वृद्धि का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र. सं.	संगठना का नाम	प्राप्ति की तिथि
1	2	3
1.	निरंतर विकास हेतु सोसायटी, इंफाल, मणिपुर	25-07-2005

1	2	3
2.	वाईस, उधमपुर जम्मू व कश्मीर	26-08-2005
3.	ग्राम सेवा, दाहोद, गुजरात	07-09-2006
4.	बरंगुरी मिलन क्लब, पाथीभरल, नागांव, असम	23-09-2005
5.	असम या सरद माया महिला समिति, मिदनापुर पश्चिम बंगाल	17-11-2005
6.	सामाजिक उत्थान समूह संगठन, इंफाल, मणिपुर	13-12-2005
7.	कस्तूरबा गांधी सेवा आश्रम, इंफाल, मणिपुर	20-01-2006

[हिन्दी]

प्रसाधन सामग्रियों का बुरा प्रभाव

1877. श्री काशीराम राणा:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टैलकम पाउडर, परफ्यूम, साबुन, तेल, पॉलिस और लिपस्टिक इत्यादि जैसी सामान्य प्रसाधन सामग्रियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और इनसे कैंसर भी हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को इस प्रसाधन सामग्रियों के बुरे प्रभाव के संबंध में चेतावनी देने के लिए कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस कृत्रिम अजैविक प्रसाधन सामग्रियों के उत्पादन और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) औषध और प्रसाधन सामग्री नियम की अनुसूची 'एस' के अनुसार टेल्कम पाउडर, परफ्यूम, साबुन या पॉलिस और लिपिस्टिक आदि जैसी चीजों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित भारतीय मानक विनिर्देशों का अनुपालन करना पड़ता है। प्रसाधन सामग्री की त्वचाविज्ञान सुरक्षा को भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के आई एस 4011 के तहत कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो के आई एस 4707 (भाग-I) एवं (भाग-I) के अनुसार मानव उपयोग के लिए सुरक्षित माने गए तत्वों को ही प्रसाधन सामग्री तैयार करने में प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना

1878. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों विशेषकर उत्तर प्रदेश से इन्हें राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के दायरे में लाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) भारतीय खेल प्राधिकरण युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का स्वायत्तशासी निकाय है, जो राष्ट्रीय खेल प्रतिमा प्रतियोगिता योजना का संचालन करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से इस योजना से संबंधित प्राप्त कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

एशियाई राजमार्ग की स्थिति

1879. डा. टोकचोम मैन्या: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत, म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर को जोड़ने वाले एशियाई राजमार्ग की वर्तमान में क्या स्थिति है; और

(ख) इसके कब तक शुरू होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) एशियाई राजमार्ग रूट संख्या एएच 1 और एएच 2 भारत को म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर से जोड़ते हैं। ये रूट विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यीय सड़कें हैं। इन एशियाई राजमार्ग रूटों का विकास एशियाई राजमार्ग संबंधी अंतर-सरकारी करार जो लागू हो चुका है, के अनुसार संबंधित देशों के राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा में शुरू किया जाना है। भारत में एएच 1 और एएच 2 के एशियाई राजमार्ग रूट का विकास राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यीय सड़कों के विभिन्न कार्यक्रमों के अनुसार किए जा रहे हैं। इन एशियाई राजमार्ग रूटों के विकास के लिए करार में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग

1880. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में काकीनाडा से मरक्कानम तक की बंकिघम नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) जी, नहीं। फिर भी, काकीनाडा नहर, इलुरू नहर, कोम्मामुर नहर और बकिंघम नहर से समन्वित कृष्णा नदी के वजीराबाद-विजयवाड़ा-खंड के साथ, गोदावरी नदी के भद्राचलम-राजामुंदरी-खंड को एक राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किए जाने के एक प्रस्ताव की जांच-पड़ताल की जा रही है। उपर्युक्त प्रस्तावित जलमार्ग कुल 1095 किलोमीटर लम्बा है, जिसमें गोदावरी नदी के 171 किलोमीटर लम्बे जलमार्ग, कृष्णा नदी के 157 किलोमीटर लम्बे जलमार्ग, काकीनाडा नहर के 50 किलोमीटर लम्बे जलमार्ग, इलुरू के 139 किलोमीटर लम्बे जलमार्ग, कोम्मामुर नहर के 113 किलोमीटर लम्बे जलमार्ग और उत्तर बकिंघम नहर के 277 किलोमीटर लम्बे जलमार्ग से युक्त 907 किलोमीटर लम्बा जलमार्ग, आंध्र प्रदेश-राज्य में पड़ता है।

(घ) उपर्युक्त घोषणा से संबंधित प्रस्ताव के बारे में इस समय अन्तर मंत्रालयी परामर्श किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इस बारे में, इस समय, कोई समय-सीमा विशेष निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि उपर्युक्त घोषणा, संसद के एक अधिनियम द्वारा की जानी है।

[हिन्दी]

वीजा मुक्त प्रवेश

1881. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने म्यांमार के पास वीजा मुक्त प्रवेश के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों को पासपोर्ट के बिना यात्रा की अनुमति दी जाएगी;

(घ) क्या वीजा मुक्त प्रवेश के क्षेत्र में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) इस समय किलोमीटर में कितना क्षेत्र ऐसा है जो वीजा मुक्त प्रवेश के लिए खुला हुआ है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (च) भारत-म्यांमा भू-सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मूल आदिवासी सीमा के पार वीजामुक्त आवाजाही करते रहते हैं। भारत, जबकि अपने भू-प्रदेश के भीतर 40 कि.मी. तक आने की अनुमति देता है, म्यांमा केवल 16 कि.मी. तक की ही अनुमति देता है। उपर्युक्त मसले पर एक समझौता ज्ञापन के बारे में दोनों देश विचार-विमर्श कर रहे हैं।

आर्सेनिक प्रदूषण से होने वाली बीमारियां

1882. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्सेनिक प्रदूषण से होने वाली बीमारियों में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में प्राप्त विदेशी सहायता यदि कोई हो, सहित केन्द्र सरकार द्वारा आर्सेनिक प्रदूषण से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से उक्त प्रयोजनार्थ धनराशि आबंटित करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को कितनी धनराशि दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) बढ़ती हुई जागरूकता और अन्वेषण के कारण भू-जल के आर्सेनिक मिलावट की घटनाओं के प्रकाश में आने की ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। आर्सेनिक प्रदूषण केवल जियोजेनिक है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम से आर्सेनिक प्रदूषण की सूचना दी गई है। प्रभावित जिलों के नामों सहित वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पीने के आर्सेनिक प्रदूषित पानी के लम्बे समय तक प्रयोग से आर्सेनिकोसिस, डर्मेटोसिस, केरेटोसिस, कन्जक्टीवाइटिस, श्वसनीशोथ और जठरान्त्रशोथ इत्यादि जैसे रोग होते हैं। राज्य सरकारों ने ऐसे रोगों से प्रभावित रोगियों के निदान और उपचार के लिए उपाय किए हैं।

पीने के पानी की आपूर्ति करना राज्य का एक विषय है और केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को आबंटित किए गए 15 प्रतिशत धन को विशिष्ट रूप से जल की गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का सामना करने के लिए निश्चित किया गया है। 1998 से पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने 44,795.49 लाख रुपये की लागत से 10 उप-मिशन परियोजनाओं को मंजूरी देने की सूचना दी है। इसमें केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 33596.62 लाख रुपये है।

विवरण

देश में वर्षवार आर्सेनिक प्रदूषण की घटनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	घटना का वर्ष	सबसे अधिक प्रभावित जिले	प्रभावित ब्लाकों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	पश्चिम बंगाल	1983+	मुर्शिदाबाद	19
			नाडिया	17
			उत्तरी 24 परगनाज	19
			दक्षिणी 24 परगनाज	9
			मालदा	7
			बर्दवान	5
			हावड़ा	2
			हुगली	1
2.	छत्तीसगढ़	1998+	राजनन्द गांव	3
3.	बिहार	2002+	भोजपुर, बक्सर, पटना, छपरा, वैशाली	अनुपलब्ध

1	2	3	4	5
4.	झारखंड	2002+	साहेबगंज	1
5.	असम	2004+	करीमगंज	अनुपलब्ध
			हेलाखंडी	
			धेमाजी	
6.	उत्तर प्रदेश	2004+	बलिया	3

[अनुवाद]

आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए मानदंड

1883. श्री अनन्त नायक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. अधिकारियों की राज्यों से केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या कुछ आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. अधिकारी अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) केन्द्र में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सचिवालीय पदों और कुछ महत्वपूर्ण गैर सचिवालीय पदों पर प्रतिनियुक्ति पर चयन और नियुक्ति के संबंध में मानदण्ड और प्रक्रिया, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में इस सिद्धांत का पालन करते हुए अभिकल्पित है कि इस तरह सेवा पर उधार लिए गए सभी अधिकारी, प्रतिनियुक्ति पर निर्धारित कार्यकाल के लिए भारत सरकार की सेवा करेंगे और तदुपरांत अपने मूल संवर्ग को लौट जाएंगे।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय सेवाओं के कुछ अधिकारियों का केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति-कार्यकाल, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया गया है।

(घ) से (च) सामान्य निर्धारित अवधि से परे केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को सामान्य रूप से बढ़ाने नहीं दिया जाता। प्रतिनियुक्ति-कार्यकाल को बढ़ाए जाने से संबंधित ऐसे सभी अनुरोधों की जांच-पड़ताल की जाती है और प्रत्येक मामले के गुण-अवगुण के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर निर्णय किया जाता है।

एड्स जागरूकता कार्यक्रम

1884. श्री कीरेन रिजीजू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005-06 के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र की एड्स जागरूकता कार्यक्रम के लिए विशेष पैकज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) एच.आई.वी. संक्रमण की व्याप्तता और विशिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य एड्स सोसायटियों ने अन्य बातों के साथ-साथ वांछित व्यवहार परिवर्तन करने के उद्देश्य से एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सेवाओं के समेकित पैकेज वाली राज्यों की योजना पर विचार किया और इसका अनुमोदन किया। पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में शुरू किए गए प्रमुख जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल हैं जन साधारण में एच.आई.वी./एड्स और अन्य संबंधित विषयों और माता-पिता से बच्चों में रोग के संचरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी गर्भवती महिलाओं को

यह बताने के उद्देश्य से सम्पूर्ण जागरूकता अभियान कि सभी जिला अस्पतालों, सरकारी मेडिकल कालेजों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क जांच, दवा एवं परामर्श की व्यवस्था है।

समुद्रीय अकादमी की स्थापना

1885. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समुद्रीय अकादमी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अकादमी की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) इसकी स्थापना कब तक होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) वर्ष, 1985 में स्थापित किए गए राष्ट्रीय पत्तन-प्रबन्धन-संस्थान का नाम बदलकर 07-02-2006 से राष्ट्रीय समुद्रीय अकादमी कर दिया गया है।

राष्ट्रीय पत्तन-प्रबन्धन-संस्थान के मुख्य उद्देश्य, पत्तन-क्षेत्र और उससे सम्बद्ध उद्योगों में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रशिक्षण सुलभ करवाना तथा पत्तन-उद्योगों के विकास और प्रबन्धन के बारे में अनुसंधान-कार्यक्रम संचालित करना था। सन्, 1990 से उपर्युक्त संस्थान ने व्यापारिक नौसेना-बेड़े में कार्यरत कार्मिकों हेतु नौचालन-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम भी संचालित करने आरंभ कर दिए। उपर्युक्त संस्थान अब समुद्रीय इंजीनियरी से संबंधित कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम संचालित करने की भी योजना बना रहा है। उपर्युक्त संस्थान के कार्य-कलापों को ठीक तरह से प्रतिबिंबित करने की दृष्टि से उसका नाम बदल दिया गया है और राष्ट्रीय समुद्रीय अकादमी के उद्देश्यों में समुद्रीय शिक्षण, अनुसंधान और उसका अनुप्रयोग करना, उसका संवर्धन करना और उसमें समन्वय कायम करना शामिल करने हेतु उपर्युक्त अकादमी के उद्देश्यों का दायरा बढ़ा दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

1886. श्री पी.सी. थामस: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मिशन के अन्तर्गत राज्य को शामिल करने के लिए क्या मानदंड हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केरल सहित पूरे देश के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। तथापि, इस मिशन का विशेष जोर स्वास्थ्य संबंधी कमजोर बुनियादी ढांचे और जनांकिकी सूचकों वाले 18 राज्यों पर है। केरल अधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले राज्यों नहीं है।

महिलाओं में स्तन कैंसर

1887. डा. बाबू राव मिडियम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में स्तन कैंसर की घटनाएं बढ़ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) वर्ष, 1982-1996 के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित की गई जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री से प्रकट होता है कि शहरी स्थानों पर स्तन के कैंसर में वृद्धि हो रही है।

(ख) वर्ष 1975 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। बाद में इसे स्तन कैंसर सहित कैंसर के प्रारंभिक रोकथाम और इसका शुरू में ही पता लगाने पर जोर देते हुए वर्ष 1984-85 में संशोधित किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में कैंसर नियंत्रण से संबंधित कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई थीं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मौजूदा सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजनाओं को संशोधित किया गया है। देश में व्यापक कैंसर परिचर्या प्रदान करने के लिए भौगोलिक अन्तरों को कवर करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

खेल संघों को धनराशि

1888. श्री अब्दुल्लाकुट्टी: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के खेल संघों को खिलाड़ियों के प्रदर्शन

और प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार हेतु धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान इस धनराशि के किसी दुरुपयोग या अन्यत्र उपयोग का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और दोषी संघों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान खिलाड़ियों/टीमों के प्रदर्शन के सुधार के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को आबंटित धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय खेल परिसंघ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी सोसायटी है। भारत सरकार देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आयोजन के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को, विदेशी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में सहभागिता, उपस्करों की खरीद, भारतीय/विदेशी कोचों आदि के अंतर्गत राष्ट्रीय टीमों/खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करती है। सरकार से प्राप्त धनराशियों के दुरुपयोग के बारे में राष्ट्रीय खेल परिसंघों के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं। संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ की टिप्पणियों की पुष्टि होने के पश्चात धनराशियों आदि के दुरुपयोग के बारे में किसी राष्ट्रीय खेल परिसंघ के विरुद्ध किसी शिकायत पर शीघ्र कार्यवाही की जाती है। सरकारी सहायता के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगिता प्रमाण पत्र और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से लेखा परीक्षित लेखों के वितरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है और इन प्रलेखों की प्राप्ति होने पर ही आगे सहायता जारी की जाती है। इसके अलावा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने उन राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए, जो एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मार्फत लेखा परीक्षा कराने की स्वीकृति जारी कर दी है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ	15.01	6.63	14.25
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ	116.81	166.82	111.90
3.	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ	27.95	15.99	119.36
4.	अखिल भारतीय कराटे-डो परिसंघ	15.11	0	0
5.	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद	8.72	11.78	30.02
6.	भारतीय एमेच्योर एथलेटिक परिसंघ	90.70	70.25	215.08
7.	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ	7.00	16.00	12.50
8.	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ	14.75	17.75	14.00
9.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ	17.37	34.86	25.00
10.	भारतीय तीरंदाजी संघ	26.26	68.83	58.95

1	2	3	4	5
11.	भारती आत्यापात्या परिसंघ	12.00	16.50	7.50
12.	भारतीय बैडमिंटन संघ	131.55	159.81	160.16
13.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	12.40	10.50	5.50
14.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ	32.33	43.96	49.61
15.	भारतीय बिलियर्डस और स्नूकर परिसंघ	30.09	24.16	23.52
16.	भारतीय साईकल पोलो परिसंघ	12.51	10.00	6.75
17.	भारतीय साईकल परिसंघ	26.40	28.08	16.38
18.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ	68.06	25.39	32.76
19.	भारतीय फेंसिंग संघ	80.66	19.60	17.07
20.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ	126.87	36.06	18.88
21.	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ	89.85	108.42	81.28
22.	भारतीय शरीर शौष्ठव परिसंघ	0.50	0	0
23.	भारतीय गोल्फ संघ	33.44	18.54	32.48
24.	भारतीय हाकी परिसंघ	70.17	128.78	194.21
25.	भारतीय कयाकिंग और केनोइंग संघ	20.86	27.21	16.06
26.	भारतीय ओलंपिक संघ	444.92	58.77	1241.45
27.	भारतीय पोलो संघ	1.77	202.42	1.62
28.	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ	12.00	17.50	13.00
29.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ	34.88	59.95	79.88
30.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ	35.10	30.87	110.35
31.	भारतीय जूडो परिसंघ	29.87	44.36	56.37
32.	भारतीय खो-खो परिसंघ	14.50	12.50	18.92
33.	भारतीय कोर्फ बाल परिसंघ	13.34	11.50	12.50
34.	अखिल भारतीय टेनिस संघ	70.85	59.18	136.87
35.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ	174.36	174.55	218.37
36.	भारतीय नेटबाल परिसंघ	12.00	16.46	7.50

1	2	3	4	5
37.	भारतीय रोलरस्केटिंग परिसंघ	0	9.00	15.00
38.	भारतीय रोइंग परिसंघ	36.43	48.39	118.43
39.	भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ	14.85	19.62	0
40.	भारतीय सेपकटकारो परिसंघ	12.00	10.00	7.50
41.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ	0	21.00	12.00
42.	भारतीय साफ्टबाल परिसंघ	16.99	10.00	14.00
43.	भारतीय स्क्वैश राकेट परिसंघ	96.47	18.59	119.37
44.	भारतीय तैराकी परिसंघ	46.03	60.13	11.76
45.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ	71.01	74.91	116.78
46.	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ	17.57	23.22	6.00
47.	भारतीय टेनीकोइट परिसंघ	12.00	11.50	10.50
48.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ	16.50	12.00	7.00
49.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ	16.50	11.50	12.50
50.	भारतीय वालबाल परिसंघ	50.61	76.55	32.17
51.	भारतीय महिला क्रिकेट संघ	3.00	0	5.00
52.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	109.77	234.89	225.35
53.	भारतीय यार्टिंग संघ	105.49	159.88	159.88
54.	भारतीय वुशू संघ	7.50	1.50	10.50
55.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ	2.12	12.27	9.64
	कुल	2565.8	2568.88	4053.43

यू.के. में भारतीय डाक्टर

1889. डा. के. धनराजू:
श्री अर्जुन सेठी:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री ए. साई प्रताप:
श्री पी. मोहन:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री अनन्त नायक:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में बेहतर रोजगार की तलाश में ब्रिटेन गए करीब 3000 डाक्टरों को रोजगार नहीं मिला है जैसा कि दिनांक 7 फरवरी, 2006 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सर्वमान्य समाधान के लिए इस मामले को ब्रिटिश अधिकारियों के साथ उठाने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन डाक्टरों को वापस लाने और देश में ही उचित रोजगार प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में ही रहने के लिए डाक्टरों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार को जानकारी है कि भारतीय दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स ने 7-2-06 को यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि युनाइटेड किंगडम में कुछ ऐसे भारतीय डाक्टर हैं जो वहां पर प्रोफेशनल एंड लिंगुइस्टिक असैस्मेंट बाउंड टेस्ट (पी.एल.ए.बी.) को उत्तीर्ण करने के बाद भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। मार्च 2005 में, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यू.के. में भारतीय उच्च आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों वाले एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल की एक बैठक यू.के. की सामान्य चिकित्सा परिषद के अधिकारियों के साथ हुई जिसमें आवेदकों पर वित्तीय भार को कम करने के लिए पी.एल.ए.बी. टेस्ट को भारत में ही कराने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। यू.के. में भारतीय उच्च आयोग ने सूचित किया है कि परिषद पी.एल.ए.बी. टेस्ट के भाग-II को प्रायोगिक आधार पर भारत में ही करवाने पर विचार कर सकती है।

(घ) से (च) हालांकि भारत सरकार की यू.के. में बेरोजगार भारतीय डाक्टरों को भारत में नौकरी प्रदान करने की कोई नीति नहीं है, परन्तु देश में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षण एवं क्लिनिकल क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा व्यावसायियों के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।

[हिन्दी]

एड्स के हाइ रिस्क ग्रुप में सेना और अर्द्ध सैनिक बलों को शामिल किया जाना

1890. श्री रशीद मसूद: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास एड्स के हाइ रिस्क ग्रुप में सेना और अर्द्ध सैनिक बलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय एड्स समिति ने इस संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट सौंपी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव के कब तक स्वीकृत और लागू होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। उच्च जोखिम वाले समूहों/वर्गों में सैनिक और अर्ध-सैनिक बलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

अरुणाचल प्रदेश में एन.एच.पी.सी. परियोजना

1891. श्री तूफानी सरोज: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम (एन.एच.पी.सी.) ने अरुणाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु अपर-सियांग परियोजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसने परियोजना का आकार और प्रस्तावित उत्पादन क्षमता कम कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एन.एच.पी.सी.) ने जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सियांग और सुबंसिरी बेसिन परियोजनाओं के स्थानांतरण के पश्चात् अपर सियांग परियोजना (11000 मेगावाट) पर सर्वेक्षण एवं जांच कार्य शुरू कर दिया था। किंतु, चूंकि, अपर सियांग परियोजना का प्रस्तावित जलाशय से दिबांग-दिहांग बायोस्पीयर रिजर्व और ट्यूटिंग मोनेस्ट्री का एक भाग डूब जाता, अतएव 257 मीटर की बांध ऊंचाई को कम करना अपेक्षित था जिसके बाद नियंत्रण व्यवस्था और विद्युत उत्पादन दोनों के लिए अपर्याप्त स्टोरेज होती। तदनुसार, एक वैकल्पिक स्थल अर्थात गेकू गांव के निकट इंटरमीडीएट सियांग जो यिनकियांग शहर की 49 किलोमीटर डाऊनस्ट्रीम पर है, को परियोजना के लिए चिन्हित किया गया था और व्यवहार्यता

रिपोर्ट तैयार करने के लिए जांच की गई थी। परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता केवल तभी स्थापित की जा सकती है जब व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो जाए।

[अनुवाद]

बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

1892. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनुमानित 120 लाख बायोगैस संयंत्रों की संभावना के विपरीत मात्र 36.70 लाख संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य को हासिल न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमार): (क) जी हां। देश में 120 लाख बायोगैस संयंत्रों की अनुमानित संभाव्यता की तुलना में केन्द्रीय प्रायोजित योजना - राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एन.बी.एम.एम.पी.) के अंतर्गत वर्ष 1981-82 से अब तक संचयी रूप से कुल लगभग 38 लाख पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं।

(ख) 120 लाख संयंत्रों का अनुमान एक संभाव्यता है और न कि लक्ष्य। संभाव्यता, उपलब्धि, संसाधनों और राज्य सरकारों एवं एजेंसियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हुए वार्षिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2005-06 के लिए 25000 संयंत्रों के मूल लक्ष्य को संशोधित करके दिसम्बर, 2005 में लगभग 66000 संयंत्र किया गया। दिसम्बर, 2005 तक 33700 संयंत्रों की उपलब्धि हो गई है।

(ग) वर्ष 2005-06 के लिए बढ़ाए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे जनजागरूकता अभियान, प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया और साथ ही स्थानीय कला रूपों के माध्यम से प्रचार, गांवों में महिला उपयोगकर्त्ताओं और जिला स्तर पर राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण, राज्य स्तरीय बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता और लाभार्थियों को केन्द्रीय सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता; गैर-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक निगमित निकायों और सोसाइटियों तथा उद्यमियों को प्रथम तीन वर्षों के लिए निःशुल्क रखरखाव वारंटी के साथ टर्न-की जॉब फीस; और राज्य नोडल विभागों तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को सेवा प्रभार राशि उपलब्ध कराना।

वैश्विक परमाणु ऊर्जा साझेदारी

1893. श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को वैश्विक परमाणु ऊर्जा साझेदारी (जी.एन.ई.पी.) में शामिल होने का आमंत्रण दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) अमरीका ने अपनी योजनाओं पर चर्चा की कि भारत वैश्विक परमाणु ऊर्जा साझेदारी में शामिल हो। यह चर्चा फरवरी, 2006 में अमरीकी ऊर्जा अंडर सेक्रेटरी के भारत दौरे के दौरान हुई।

(ग) सरकार ने इस प्रगति को नोट कर लिया है।

एड्स जागरूकता कार्यक्रमों हेतु धनराशि

1894. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एड्स जागरूकता कार्यक्रमों हेतु विदेशों से प्राप्त धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान केरल स्थित किसी एजेंसी को कोई ऐसी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, सारे देश में विभिन्न राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) विवरण में क्रम संख्या 11 पर यथा उल्लिखित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा दी जाने वाली निधियों के अलावा, वर्ष 2004-05 में केरल निरोध प्रोत्साहन परियोजना के लिए डी.एफ.आई.डी. द्वारा भी 130.72 लाख रुपये की धनराशि सीधे उपलब्ध कराई गई है।

विवरण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना-चरण-II

जारी निधियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2002-03 के दौरान जारी निधि	2003-04 के दौरान जारी निधि	2004-05 के दौरान जारी निधि	2002-03 के दौरान जारी निधि	2003-04 के दौरान जारी निधि	2004-05 के दौरान जारी निधि	2002-03 के दौरान जारी निधि	2003-04 के दौरान जारी निधि	2004-05 के दौरान जारी निधि
			विश्व बैंक			डी.एफ.आई.डी.		सी.आई.डी.ए.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1290.00	1075.00	1692.45	800.00	1100.00	1360.00			
2.	अरुणाचल प्रदेश	130.50	150.00	285.50						
3.	असम	614.50	475.00	1241.50						
4.	बिहार	600.00	700.00	1079.50			150.00			
5.	गोआ	170.00	200.00	163.50						
6.	गुजरात	136.00	550.00	565.00	906.64	600.00	992.00			
7.	हरियाणा	315.00	300.00	266.00						
8.	हिमाचल प्रदेश	236.50	250.0	423.50						
9.	जम्मू-कश्मीर	295.50	150.00	279.50						
10.	कर्नाटक	975.00	950.00	1664.50				50.0	15.0	200
11.	केरल	470.00	450.00	553.00	385.00	400.0	551.00			

12.	मध्य प्रदेश	521.50	490.00	855.50			150.00			
13.	महाराष्ट्र	1025.50	1000.00	1625.50						
14.	मणिपुर	787.50	1100.00	1847.75						
15.	मेघालय	90.50	50.0	15.50						
16.	मिजोरम	311.50	450.00	571.50						
17.	नागालैंड	626.50	675.00	1065.25						
18.	उड़ीसा	148.00	300.00	430.0	300.00	200.00	100.00			
19.	पंजाब	403.60	250.00	371.50						
20.	राजस्थान	358.50	250.00	867.50				0.0	0.0	0.0
21.	सिक्किम	64.00	75.00	179.0						
22.	तमिलनाडु	1298.50	1150.00	2043.50						
23.	त्रिपुरा	71.00	75.00	221.00						
24.	उत्तर प्रदेश	1674.50	7.0	1070.80			200.00			
25.	पश्चिम बंगाल	1503.00	1200.00	2028.00		130.0	365.00			
26.	दिल्ली	431.00	500.00	604.00						
27.	पांडिचेरी	74.00	100.00	114.00						
28.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	89.50	100.00	180.50						
29.	चंडीगढ़	156.50	225.00	228.50						
30.	दादर, नगर हवेली	17.00	67.00	76.00						
31.	दमन व द्वीव	56.0	100.00	101.00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	लक्षद्वीप	25.50	50.00	29.50						
33.	एम.डी.ए.सी.एस.	603.00	520.00	775.0						
34.	अहमदाबाद एम.सी.	129.55	150.00	208.30	108.00	145.00	232.00			
35.	चेन्नई एम.सी.	186.45	300.00	157.45						
36.	उत्तरांचल	162.00	200.00	429.0						
37.	छत्तीसगढ़	243.50	250.00	429.50						
38.	झारखंड	193.00	200.00	256.00						
	योग	16462.00	15777.00	24837.00	2499.64	2575.00	41000.0	50.0	150.00	200.00

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03 के दौरान जारी निधि	2003-04 के दौरान जारी निधि	2004-05 के दौरान जारी निधि
	यू.एस.एड. सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
1.	तमिलनाडु में ए.पी.ए.सी. परियोजनाएं	725.00	1091.00	1684.00
2.	महाराष्ट्र में 'एवर्ट' परियोजना	665.00	600.00	885.00

[हिन्दी]

महाराष्ट्र को बिजली

1895. **श्री बापू हरी चौरे:**

श्री संजय धोत्रे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र को 100 मेगावाट बिजली प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिजली को किस प्रशुल्क/दर पर प्रदान किया जाएगा; और

(ग) इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) महाराष्ट्र को विद्युत के आवंटन में 12-02-2006 से पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों के अनावंटित कोटे से 70 मे.वा. की तथा पूर्वी क्षेत्र के अनावंटित एवं छोड़ी गई विद्युत में से 30 मे.वा. की वृद्धि की गई है। पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्र में स्थिति केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से महाराष्ट्र को विद्युत की आपूर्ति की कुल दर केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों की तथा विभिन्न केन्द्रों से निर्धारित विद्युत की मात्रा की उपलब्धता पर निर्भर होगी। जनवरी, 2006 के लिए महाराष्ट्र को विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र स्रोतों से हुई विद्युत आपूर्ति की दरें निम्नानुसार हैं-

(i) पश्चिमी क्षेत्र में एन.टी.पी.सी. स्टेशन	
सुपर थर्मल पावर स्टेशन-	84.26-158.52 पैसे/कि.वा. घं.
गैस/तरल आधारित स्टेशन-	168.87-710.69 पैसे/कि.वा. घं.
(ii) पूर्वी क्षेत्र में एन.टी.पी.सी. स्टेशन	
सुपर थर्मल पावर स्टेशन	145.14-220.09 पैसे/कि.वा. घं.
(iii) पश्चिमी क्षेत्र में एन.पी.सी. आई.एल. स्टेशन	260.24-260.48 पैसे/कि.वा. घं.

पासपोर्ट आवेदन पत्रों की उपलब्धता

1896. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**

श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रमुख शहरों में पासपोर्ट आवेदन पत्र उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) पासपोर्ट हेतु आवेदन पत्र पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, जिला पासपोर्ट सैलों तथा विनिर्दिष्ट स्पीड - पोस्ट केन्द्रों में बिक्री के लिए पहले से ही उपलब्ध है। आवेदन पत्र वेबसाइट : http;//passport.nic.in./ से भी निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एक्यूबेरा का नैदानिक परीक्षण

1897. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:**

श्री बालेश्वर यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फाइजर ने सरकार को एक्यूबेरा इनहेलर के नैदानिक परीक्षण कराने हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फाइजर ने देश में इस औषध के उत्पादन में रूचि प्रदर्शित की है; और

(घ) यदि हां, तो भारत में इस औषध को कब तक बाजार में उतारने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) एक्जूबेरा (इनहेलर इनसूलिन) का क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए मैसर्स फाइजर इंडिया से अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

पिछड़े जिलों में विकास कार्य

1898. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय समविकास योजना के अन्तर्गत देश के पिछड़े जिलों में गैर-सरकारी संगठनों के बजाय सरकारी अभिकरणों के माध्यम से विकास कार्य आरंभ करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.वाई.) के पिछड़े जिले पहल के अन्तर्गत कवर किए गए जिलों की जिला योजनाएं तैयार करने के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार योजना तैयार करने, उसके कार्यान्वयन और मानीटरिंग सहित प्रत्येक चरण पर लोगों की भागीदारी और पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आईज), गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओज) और स्व-सहायता समूहों को शामिल किए जाने को सुनिश्चित किया जाता है। राज्य सरकारों/जिला प्रशासनों द्वारा जिला योजनाएं तैयार की जाती हैं और उनका कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों का निर्धारण उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अधिकांश स्कीमें, विशेष रूप से निर्माण संबंधी स्कीमें सरकारी विभागों/एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। केवल कुछेक स्कीमें, विशेष रूप से क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण से संबंधित स्कीमें गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा

1899. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(ख) ऐसे लोकप्रिय खेलों की संख्या कितनी है जिनके संबंध में सरकार इन भारतीय खेलों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने हेतु प्रयास कर रही है;

(ग) ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में कितने भारतीय खेलों को मान्यता दी गई है और कितने खेल मान्यता हेतु लंबित है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) भारत सरकार अपनी तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान खेलों के संवर्धन, जिसमें पारंपरिक भारतीय खेल भी शामिल हैं, के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को दी गई सहायता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रयासों को राष्ट्रीय खेल प्रतिमा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों को अपनाने; अखाड़ों को अपनाने; आदिवासी, तटीय, पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष क्षेत्र खेल योजना के माध्यम से सरणिकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खेल प्राधिकरण खेल-कूद को व्यापक आधार प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई प्रतिभा का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंटों तथा पूर्वोत्तर खेल महोत्सव योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) और (ग) कबड्डी और शतरंज भारतीय मूल के वे खेल हैं जो एशियाई खेलों में शामिल हैं। हाकी और कुश्ती दोनों ही ओलंपिक और एशियाई खेलों में शामिल हैं। विभिन्न खेलों को ओलंपिक/एशियाई खेलों में शामिल करने का निर्णय क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और एशिया की ओलंपिक समिति द्वारा लिया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा निवेश, अन्य राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के विचारों तथा अन्य देशों में उस खेल की लोकप्रियता पर विचार करती है।

(घ) इस संबंध में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2003-04	2004-05
1	2	3	4
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ	6.63	14.25
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ	166.82	111.90
3.	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ	15.99	119.36
4.	अखिल भारतीय कराटे-डो परिसंघ	0	0
5.	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद	11.78	30.02
6.	भारतीय एमेच्योर एथलेटिक परिसंघ	70.25	215.08
7.	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ	16.00	12.50
8.	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ	17.75	14.00
9.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ	34.86	25.00
10.	भारतीय तीरंदाजी संघ	68.83	58.95
11.	भारतीय आत्यापात्या परिसंघ	16.50	7.50
12.	भारतीय बैडमिंटन संघ	159.81	160.16
13.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	10.50	5.50
14.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ	43.96	49.61
15.	भारतीय बिलियर्डस और स्नूकर परिसंघ	24.16	23.52
16.	भारतीय साईकल पोलो परिसंघ	10.00	6.75
17.	भारतीय साईकल परिसंघ	28.08	16.38
18.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ	25.39	32.76
19.	भारतीय फेंसिंग संघ	19.60	17.07
20.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ	36.01	18.88
21.	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ	108.42	81.28

1	2	3	4
22.	भारतीय शरीर शौष्ठव परिसंघ	0	0
23.	भारतीय गोल्फ संघ	18.54	32.48
24.	भारतीय हाकी परिसंघ	128.78	194.21
25.	भारतीय कयार्किंग और केनोइंग संघ	27.21	16.06
26.	भारतीय ओलंपिक संघ	58.77	1241.45
27.	भारतीय पोलो संघ	202.42	1.62
28.	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ	17.50	13.00
29.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ	59.95	79.88
30.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ	30.87	110.35
31.	भारतीय जूडो परिसंघ	44.36	56.37
32.	भारतीय खो-खो परिसंघ	12.50	18.92
33.	भारतीय कोर्फ बाल परिसंघ	11.50	12.50
34.	अखिल भारतीय टेनिस संघ	59.18	136.87
35.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ	174.55	218.37
36.	भारतीय नेटबाल परिसंघ	16.46	7.50
37.	भारतीय रोलरस्केटिंग परिसंघ	9.00	15.00
38.	भारतीय रोइंग परिसंघ	48.39	118.43
39.	भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ	19.62	0
40.	भारतीय सेपकटकारो परिसंघ	10.00	7.50
41.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ	21.00	12.00
42.	भारतीय साफ्टबाल परिसंघ	10.00	14.00
43.	भारतीय स्क्वैश राकेट परिसंघ	18.59	119.37
44.	भारतीय तैराकी परिसंघ	60.13	11.76
45.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ	74.91	116.78
46.	भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ	23.22	6.00

1	2	3	4
47.	भारतीय टेनीकोइट परिसंघ	11.50	10.50
48.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ	12.00	7.00
49.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ	11.50	12.50
50.	भारतीय वालीबाल परिसंघ	76.55	32.17
51.	भारतीय महिला क्रिकेट संघ	0	5.00
52.	भारतीय कुश्ती परिसंघ	234.89	225.35
53.	भारतीय यार्टिंग संघ	159.88	159.88
54.	भारतीय वुशू संघ	1.50	10.50
55.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ	12.27	9.64

[अनुवाद]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

1900. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य पाया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अप्रैल, 2005 से क्रियान्वयनाधीन है। यह कार्यक्रम राजस्व समर्थित है क्योंकि यह ग्रामीण वितरण के प्रबंधन का काम फ्रैंचाइजी को सौंप कर राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करता है, जो गैर-सकारी संस्थाएं, उपभोक्ता संघ, सहकारी या निजी उद्यमी हो सकते हैं। इन फ्रैंचाइजियों के लिए थोक आपूर्ति टैरिफ का निर्धारण फ्रैंचाइजी की वाणिज्यिक अर्थक्षमता सुनिश्चित करने के बाद किया जाएगा। फ्रैंचाइजियों की नियुक्ति के लिए कुछ राज्यों ने कार्रवाई पहले ही आरम्भ कर दी है।

रिएक्टरों का निरीक्षण

1901. श्री तथागत सत्पथी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत-अमरीका परमाणु समझौते की शर्तों के रूप में आंतरिक निरीक्षण हेतु रिएक्टरों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा आपत्तियां दर्ज की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ङ) भारत और अमरीका के बीच असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग पर चर्चाओं से संबंधित स्थिति इस विषय पर 27 फरवरी, 2006 को प्रधानमंत्री द्वारा अपनी ओर से दिए गए वक्तव्य में स्पष्ट किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री तथा अमरीकी राष्ट्रपति के बीच हुई वार्ता के पश्चात 2 मार्च, 2006 को जारी भारत-अमरीका संयुक्त वक्तव्य भारत की पृथक्करण योजना पर विचार-विमर्श को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने को रेखांकित करता है और नाभिकीय सहयोग पर 18 जुलाई, 2005 को जारी संयुक्त वक्तव्य में व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं को पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए उत्सुक है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत और अमरीका के बीच तथा भारत और समग्र रूप से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पूर्ण असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग के हमारे साझे उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ने का दोनों देशों को अवसर प्राप्त होगा।

अमरीकी अन्डर सेक्रेटरी का दौरा

1902. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अमरीकी अन्डर सेक्रेटरी ने भारत का दौरा किया और कई मुद्दों पर चर्चा की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवसर पर किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग पर भारत-अमरीका कार्य दल की बैठक में भाग लेने के लिए राजनीतिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री निकोलस बर्न्स ने 19-20 जनवरी, 2006 और 23-24 फरवरी, 2006 को भारत की यात्रा की।

(ख) से (घ) भारत और अमरीका के बीच असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग पर चर्चाओं से संबंधित स्थिति इस विषय पर 27 फरवरी, 2006 को प्रधानमंत्री द्वारा अपनी ओर से दिए गए वक्तव्य में स्पष्ट किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री तथा अमरीकी राष्ट्रपति के बीच हुई वार्ता के पश्चात् 2 मार्च, 2006 को जारी भारत-अमरीका संयुक्त वक्तव्य भारत की पृथक्करण योजना पर विचार-विमर्श को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने को रेखांकित करता है और नाभिकीय सहयोग पर 18 जुलाई, 2005 को जारी संयुक्त वक्तव्य में व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं को पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए उत्सुक है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत और अमरीका के बीच तथा भारत और समग्र रूप से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पूर्ण असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग के हमारे साझे उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ने का दोनो देशों को अवसर प्राप्त होगा।

नेपाल के साथ पारगमन संधि

1903. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नेपाल के साथ पारगमन संधि के संबंध में चर्चा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या पारगमन स्थलों, बिहार जैसे सीमावर्ती राज्यों को नेपाल के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को ले जाने एवं नए रेल संपर्कों जैसे तकनीकी मुद्दों के संबंध में भी चर्चा की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) से (घ) पारगमन संधि पर दोनों सरकारों के बीच चर्चा का पहला दौर काठमांडु में 2-3 दिसम्बर, 2005 को आयोजित किया गया था जबकि दूसरा दौर नई दिल्ली में 4-5 जनवरी, 2006 को संपन्न हुआ।

5 जनवरी, 2006 तक लागू पारगमन संधि के प्रोटोकॉल एवं ज्ञापन में निहित प्रक्रियाओं, मार्गों, पारगमन की शर्तों एवं सीमा-शुल्क व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए चर्चा की गई।

दोनों सरकारों को संधि की धारा XI के तहत आवश्यक समीक्षा प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोटोकॉल और संधि ज्ञापन में निहित प्रक्रियाओं, मार्गों, पारगमन की शर्तों और सीमा शुल्क व्यवस्थाओं का 6 जनवरी, 2006 से 5 अप्रैल, 2006 तक तीन माह की अवधि के लिए विस्तार किया गया है।

ई.सी.एल. द्वारा विस्फोटकों की ढुलाई

1904. **श्री महबूब जाहेदी:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड आसनसोल में नीमचा के निकट खुली बैलगाड़ियों में अपनी कोलियरियों के लिए विस्फोटक सामग्रियों की ढुलाई करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के नीमचा कोलियरी के अधीन नीमचा से अमकोला यूनिट तक विस्फोटक पहुंचाने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग किया गया है। तथापि, इस समय विस्फोटकों पहुंचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के साथ मोटरयुक्त वाहन दिया जा रहा है।

(ग) जैसाकि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, कोयला कंपनी द्वारा पहले ही कार्रवाई

कर दी गई है और ई.सी.एल. की सभी कोलियरियों में विस्फोटकों का परिवहन मोटरयुक्त वाहनों में किया जा रहा है।

सी.जी.एच.एस. औषधालय, वसंत विहार

1905. **श्री जोवाकिम बखला:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली के वसंत विहार में स्थित सी.पी.डब्ल्यू.डी. हाऊसिंग कॉम्पलेक्स में सी.जी.एच.एस. औषधालय का निर्माण करने हेतु आबंटित भूखंड धन की कमी के कारण गत कई वर्षों से बेकार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य हेतु धन कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) 7 अगस्त, 1998 को दिल्ली विकास प्राधिकरण से वसंत विहार में एक प्लाट का अधिग्रहण किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में वसंत विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय को खोलने का प्रस्ताव शामिल कर लिया गया था। तथापि, संसाधनों और कार्मिक शक्ति की तंगी के कारण वसंत विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक नया औषधालय खोलना संभव नहीं होगा क्योंकि इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मौजूदा ढांचे में किसी नए औषधालय को जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

तपेदिक की नई दवा

1906. **श्री राकेश सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के वैज्ञानिकों ने तपेदिक की उपचार अवधि को कम करने हेतु वर्ष 1963 में किसी दवा की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त दवा को लोकप्रिय बनाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) एक भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनी ने औषध कोड नाम एलएल 4858 (स्यूडोटिल) के लिए एक आई.एन.डी. (जांच संबंधी नई औषध) आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें नए अणु एलएल 3858 तथा आइसोनियाजिड, रिफेम्पीसीन एवं पाइराजाइनामाइड शामिल हैं।

इस फर्म ने बताया है कि उपर्युक्त मिश्रित औषध से किए गए पूर्व-नैदानिक तथा जंतु अध्ययनों ने एक सप्ताह में 5 दिन खुराक लेने पर 12 सप्ताह के उपचार के पश्चात प्रतिरोधी अथवा संवेदनशील स्ट्रेन से संक्रमित जंतुओं के फेफड़ें तथा प्लीहा से टयूबरकल बैसिली की 100 प्रतिशत क्लीयरेंस प्रदर्शित की है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त प्रस्ताव का फिलहाल आई.सी.एम.आर. में आई.एन.डी. विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अन्य देशों में मृत होने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाना

1907. **श्री पन्नियन रवीन्द्रन:**

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य देशों में विशेषकर खाड़ी देशों में मृत होने वाले भारतीयों के शवों को स्वदेश वापस लाने हेतु वर्तमान में की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह प्रक्रिया समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए असुविधाजनक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपरोक्त प्रक्रिया में होने वाले अत्यधिक विलंब से मृतक के संबंधियों को परेशानी हो रही है;

(ड) यदि हां, तो इस अवधि को कम करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार का विचार गरीब तबके के लोगों के मामले में इस प्रक्रिया को निःशुल्क करने का भी है; और

(छ) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को कब तक निःशुल्क किए जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्य देशों में रह रहे भारतीयों के लंबित मामले/विवाद

1908. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों विशेषकर खाड़ी देशों में प्रायोजकों/योक्ताओं आदि से विधिक बकायों, मृत्यु-उपरांत लाभों, बीमा-रकम, वेतन बकायों के भुगतान से संबंधित कई मामले और विवाद लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) से (ग) विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एलापैथी को बढ़ावा

1909. श्री देविदास पिंगले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में एलोपैथी को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धन की कमी के कारण चिकित्सा की इस पद्धति की प्रगति नहीं हुई है;

(घ) क्या देश में एलोपैथिक चिकित्सकों की भारी कमी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) हमारे देश में एलोपैथी आयुर्विज्ञान शिक्षा, रोगहर उपचार, विनियामक कार्य ढांचे, औषधों आदि के संदर्भ में मौजूदा स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति का एक प्रमुख घटक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) देश में डाक्टरों की कुल संख्या में कोई कमी नहीं है। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में कुल 6,53,513 एलोपैथी डाक्टर पंजीकृत किए गए हैं। वर्ष 2004 और 2005 (अक्तूबर, 2005 तक) के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में क्रमशः 18541 और 9549 डाक्टर पंजीकृत थे। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार देश में डाक्टर-जनसंख्या अनुपात लगभग 1:1722 है।

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य सभी को उनकी पहुंच के अन्दर, वहनीय और गुणकारी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना और किसी विशेष चिकित्सा पद्धति को अनिवार्यतः बढ़ावा न देना है।

इंडियन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम

1910. डा. रतन सिंह अजनाला:

श्री ए. साई प्रताप:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक नीति अनुसंधान वर्किंग पेपर 3447, नवम्बर, 2004 में यह बताया गया है कि इंडियन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम असफल है क्योंकि यह जन स्वास्थ्य की मूल बातों पर केन्द्रित नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) "भारत की जन स्वास्थ्य प्रणाली - राष्ट्रीय स्तर पर यह कितना अच्छा कार्य करती है?" विषय पर विश्व बैंक नीति अनुसंधान वर्किंग पेपर 3447 में बताया गया है कि प्रणाली की शक्ति ज्यादात्तर जन स्वास्थ्य कार्यों को करने की क्षमता में निहित है। पेपर में कुछ कमजोरियों का उल्लेख किया गया है जिनमें कुछ मौलिक जन स्वास्थ्य कार्यों की अनदेखी करना जैसे जन स्वास्थ्य विनियम और उनका प्रवर्तन, मूल्यांकन पर अपर्याप्त ध्यान देने सहित संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बाधित करने के लिए प्रबंधन कमियां, सेवाओं का गुणवत्ता आश्वासन आदि शामिल हैं। पेपर में यह भी उल्लेख किया गया है कि केन्द्र सरकार को अन्य मुख्य घटकों विशेषकर उप-राष्ट्रीय सरकारों और निजी क्षेत्र एवं समुदायों के साथ और ज्यादा घनिष्ठता के साथ कार्य करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है और इसमें निष्कर्ष निकाला गया है कि

प्राथमिकताओं और बेहतर उपचार प्रणालियों के मूल्यांकन से स्वास्थ्य परिणामों को पर्याप्त रूप से सुधारा जा सकता है।

चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति

1911. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:**
श्री रेवती रमन सिंह:
श्री मनोरंजन भक्त:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवारत/सेवानिवृत्त सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों द्वारा भेजे गए चिकित्सा संबंधी दावों की प्रतिपूर्ति सी.जी.एच.एस. निदेशालय द्वारा विलम्ब से की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 2005 के दौरान आज की तारीख तक प्रतिपूर्ति हेतु भेजे गए ऐसे दावों की संख्या कितनी है; और

(ग) दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवर कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में प्राप्त हुए चिकित्सीय दावों की जांच की जाती है और उन्हें यथासंभव तेजी से निपटाया जाता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के चिकित्सीय दावों की प्राप्ति और निपटान एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 24-2-2006 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में निपटान के लिए 830 चिकित्सीय दावे लंबित हैं। प्रतिपूर्ति दावों के निपटान के लिए शक्तियों का पर्याप्त प्रत्यायोजन किया जाता रहा है। सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के ऐसे चिकित्सीय दावों, जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार होते हैं, के लिए शक्तियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों को दी गई हैं। केवल उन्हीं दावों, जिनके लिए दिशानिर्देशों में ढील अपेक्षित होती है, को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मुख्यालय को भेजना अपेक्षित होता है। पेंशनरों के चिकित्सीय दावों के संबंध में स्थानीय आधार पर दावों का निपटान करने हेतु केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी अपर निदेशकों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के मामले में, ये शक्तियां जोनल कार्यालयों को प्रदान की गई हैं। अब भुगतान मुख्य रूप से निधियों के इलेक्ट्रानिक अंतरण (इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर आफ फंडस) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किए जाते हैं।

हेल्थ ओम्बड्समैन की नियुक्ति

1912. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिले में हेल्थ ओम्बड्समैन की नियुक्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) हेल्थ ओम्बड्समैन संस्थान के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मधुमेह के बारे में जागरूकता अभियान

1913. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने बड़े अभियान के एक भाग के रूप में काफी बड़ी धनराशि खर्च करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो अभियान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अभियान के लिए निजी भेषज कंपनियों तथा प्रमुख अस्पतालों से कोई सहायता मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रभावी परिणामों के लिए इस अभियान के माध्यम से देश के प्रत्येक व्यक्ति की जांच करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सरकार का हृदय रोग, आघात और मधुमेह से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कार्डियोवास्कुलर रोगों (सी.वी.डी.) और मधुमेह के निवारण और नियंत्रण हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने तथा कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। प्रारूप राष्ट्रीय सी.वी.डी., मधुमेह और आघात नियंत्रण कार्यक्रम जिसे पूर्व में योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया था, को व्यापक बनाने हेतु अद्यतन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यक्रम को योजना आयोग और वित्त

मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाने और क्रियाविधियों के पूरा होने के बाद क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लाभों में ह्रदय रोगों, मधुमेह के रोगियों में कमी करना तथा उनका आगे जटिलताओं से बचने हेतु समय से उपचार करना शामिल है।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना

1914. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात स्टेट एनर्जी जेनेरेशन (जी.एस.ई.जी.) लिमिटेड से 10 बिलियन रुपये की अनुमानित लागत से एक 350 मेगावाट वाले गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संयंत्र के कब तक स्थापित होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) गुजरात स्टेट एनर्जी जनरेशन (जी.एस.ई.जी.) ने गुजरात के हजीरा में प्रथम चरण में 1050 करोड़ रुपये की अनमानित लागत से 350 मे.वा. के गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना करने और भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाकर 1000 मे.वा. तक करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) परियोजना 11वीं योजना में स्थापित किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक चिकित्सकों पर प्रतिबंध

1915. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एलोपैथिक पद्धति से उपचार करने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सकों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश के कई राज्यों में आयुर्वेदिक चिकित्सक संबद्ध सरकार की अनुमति से एलोपैथिक पद्धति से उपचार कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सकों को चिकित्सा की दोनों पद्धतियों से उपचार करने की अनुमति देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (च) 1987 की सिविल अपील संख्या 89, मुख्तियार चंद व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अक्तूबर, 1998 को आदेश दिया है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन नियम 2 (ङङ) (iii) के अंतर्गत आयुर्वेद के चिकित्साभ्यासियों द्वारा एलोपैथिक उपचार करने संबंधी अनुमति के बारे में राज्य सरकारों द्वारा जारी अधिसूचनाएं विधिक थीं।

कुछ राज्य सरकारों ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, के अधीन अधिसूचित नियमावली के नियम 2 (ङङ)(iii) की पुनरावृत्ति करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक उपचार करने की अनुमति दी है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी-2002 से संबंधित राष्ट्रीय नीति राज्यों को ऐसी रणनीति पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वे भाचिप चिकित्सकों द्वारा आधुनिक चिकित्सा का अभ्यास करने संबंधी विधियों का पुनः अधिनियम अथवा आशोधन करें ताकि इस विषय से संबंधित मामला स्पष्ट हो जाए। तदनुसार राज्य सरकारों को सुझाव दिए गए हैं।

अमरीका द्वारा पारम्परिक भारतीय दवाओं का पेटेन्ट किया जाना

1916. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने केरलवासियों द्वारा विश्राम के लिए प्रयोग में लाई जा रही पारम्परिक दवा "आरोग्य पचा" को पेटेन्ट करवा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने उक्त दवा के पेटेन्ट को रद्द करवाने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) "आरोग्य पचा" ऐसे पादप का नाम है जिसका वानस्पतिक नाम त्रिकोपास जिलैनीकस एस.एस.पी. त्रावैंकोरिकस है। ऐसे में कोई व्यक्ति इस पादप का पेटेन्ट नहीं कर सकता। ट्रापिकल बॉटेनिक गार्डन एंड रीसर्च इंस्टीट्यूट (टी.बी.जी.आर.आई.), तिरुवनंतपुरम, केरल द्वारा "जीवनी" नामक औषधि का विकास किया गया है जिसमें तीन अतिरिक्त संघटक डालकर "आरोग्य पचा" का प्रयोग किया गया है।

2. **टी.बी.जी.आर.आई.** भारत में जीवनी का पेटेन्ट करती है तथा औषधि के निर्माण की अनुज्ञप्ति कोयम्बटूर आर्य वैद्य फार्मेसी को दी जाती है। इसे भारत तथा विदेश में औषधि के निर्माण और विक्रय का अनन्य अधिकार है। तदनुसार, वह औषधि का निर्माण व विक्रय कर रही है।

3. ट्रेडमार्क जीवनी पर **यू.एस.पी.टी.ओ.** में प्राप्त हुए हैं जिसमें न्यूट्रीसाइंस इनोवेशन्स एल.एल.सी. लिमिटेड कनेक्टिकट द्वारा क्रम सं. 75692281 और ग्रेट अर्थ इन्टरप्राइजेज इन्क न्यूयार्क द्वारा क्रम सं. 75955444 जीवनी जॉल्ट डाली गई है। पूर्व का ट्रेडमार्क 27 अप्रैल, 1999 को दाखिल किया गया और 13 जुलाई, 2001 को परित्यक्त कर दिया गया, बाद का ट्रेडमार्क 8 मार्च, 2000 को दाखिल किया गया और आज भी बरकरार है।

4. सरकार ने अंतरराष्ट्रीय पेटेन्ट कार्यालयों तक पहुंचने के लिए परंपरागत ज्ञान अंकीय पुस्तकालय (टी.के.डी.एल.) का गठन है। इसका उद्देश्य गलत पेटेन्ट प्रदान करने से रोकना है। टी.के.डी.एल. दुर्विनियोजन के खिलाफ रक्षात्मक युक्ति का काम करेगी।

[अनुवाद]

न्यू जेनेरेशन एनर्जी रिसर्च प्रोजेक्ट

1917. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का विचार न्यू जेनेरेशन एनर्जी रिसर्च प्रोजेक्ट में भाग लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) जी हां। भारत ने यू.एस.ए. सरकार द्वारा शुरू किए गए "फ्यूचर जेन प्रोजेक्ट" ए पब्लिक-प्राईवेट पार्टनरशिप में भाग लेने का निर्णय लिया है। परियोजना का लक्ष्य 275 मे.वा. के प्रथम कोल फायर्ड इमिशन फ्री विद्युत संयंत्र, का निर्माण और प्रचालन करने का है। यह 10 वर्षीय अनुसंधान परियोजना है। भारत कुल 950 मिलियन अमरीकी डॉलर लागत वाली परियोजना में 10 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान करेगा और परियोजना की सरकारी संचालन समिति में भाग लेगा।

भारत-पाक के लोगों में आपसी संपर्क

1918. प्रो. एम. रामदास: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत तथा पाकिस्तान के नागरिकों द्वारा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक-दूसरे से मिलने के लिए पेश आ रही परेशानियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों विशेष रूप से जोधपुर में पाबन्दियां हटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) राजस्थान के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में आते हैं। विदेशियों को इन क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए विशेष अनुमति अपेक्षित होती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां

1919. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ वर्तमान में भारत ने कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं की है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) अभी तक भारत सरकार ने 22 देशों नामतः बहरीन,

बेल्जियम, भूटान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हांग-कांग, कोरिया (आर.ओ.के.), मंगोलिया, नेपाल, नीदरलैण्ड्स, ओमान, पोलैण्ड, रूस, स्पेन, स्विट्जरलैण्ड, तुर्की, ट्यूनीशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यू.के., यूनायटेड अरब अमीरात और उजबेकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि को संपन्न किया है। आस्ट्रेलिया, फिजी, इटली, पापुआ न्यू गिनी, पुर्तगाल, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, तंजानिया और थाईलैण्ड के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था मौजूद है।

[हिन्दी]

गैस आधारित विद्युत परियोजना

1920. श्री मोहन सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के दादरी क्षेत्र में निजी क्षेत्र में एक गैस आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी अनुमानित लागत तथा उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ग) उक्त परियोजना से किन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) दादरी क्षेत्र में एक गैस आधारित परियोजना की स्थापना किये जाने का भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया था कि उन्होंने दादरी क्षेत्र में एक गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए रिलायंस एनर्जी जनरेशन लिमिटेड के साथ एक राज्य सहायता करार किया है।

(ख) यह सूचित किया गया है कि परियोजना का विकास दो चरणों में होगा जिनमें प्रत्येक की क्षमता लगभग 3750 मे.वा. होगी। लगभग 3750 मे.वा. क्षमता के प्रथम चरण के संबंध में परियोजना की आरम्भिक लागत लगभग 10000 करोड़ रुपये से सूचित की गई है।

(ग) कम्पनी ने सूचित किया है कि परियोजना से उत्पादित विद्युत उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न यूटीलिटियों को भेजी जायेगी।

नवजात शिशुओं में जन्मजात हृदय रोग

1921. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में बड़ी संख्या में नवजात शिशु जन्मजात हृदय रोग के कारण दम तोड़ देते हैं, जैसा कि दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा नवजात शिशुओं के जन्मजात हृदय रोग से संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार जन्मजात हृदय रोग की घटना करीब 0.8/1000 जीवित जन्म है। देश में अनेक बच्चे जन्मजात हृदय रोग के साथ पैदा होते हैं। उनमें से बहुतों को उन बाल हृदय रोग विज्ञानियों तथा कार्डियक सर्जनों द्वारा विशिष्ट परिचर्या प्रदान किए जाने की जरूरत होती है जिन्होंने विशेषतौर पर बाल हृदय रोग सर्जरी में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। जन्मजात हृदय रोग के साथ पैदा होने वाले बच्चों में अक्सर ही जटिलताएं उत्पन्न होती हैं जिनसे मौत हो जाती है। गंभीर जन्मजात हृदय रोग के साथ जन्म लिए बच्चों के उपचार की व्यवस्था करने वाले केन्द्रों की संख्या सीमित है और इसलिए इन बच्चों में से अधिकांश जन्मजात हृदय रोग से मर जाते हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने नवजात शिशुओं में जन्मजात हृदय रोग की घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करने तथा जन्मजात हृदय रोग की शीघ्र पहचान कराने वाली एक सरल कार्यनीति विकसित करने हेतु अमृता आयुर्विज्ञान संस्थान, कोच्चि में एक अध्ययन शुरू किया है।

[अनुवाद]

गैर-संचारी रोगों का अनुसंधान

1922. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गैर-संचारी रोगों पर अनुसंधान को केन्द्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद गैर-संचारी रोगों से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों के समाधान के साथ-साथ अनुसंधान क्रियाकलापों के माध्यम से रोगों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कार्य करता आ रहा

है। एक विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के अधीन प्रमुख संस्थानों द्वारा भी गैर-संचारी रोगों से संबंधित कई अनुसंधान परियोजनाएं भी चलायी जा रही हैं।

विवरण

वर्ष 2004-06 के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) में निम्नलिखित बड़े अनुसंधान कार्य चलाए/किए गए हैं।

(i) कैंसर

14 जनसंख्या आधारित और 5 हास्पिटल आधारित पंजीकरण केन्द्रों में कैंसर रोगियों के पंजीकरण के माध्यम से कैंसर की घटना और समयान्तराल पर इसकी प्रवृत्ति से संबंधित आकड़ा उपलब्ध कराने से संबंधित परियोजनाएं, भारत में साधारण कैंसर की स्क्रीनिंग सम्बन्धी कैंसर एटलस तैयार करना, ड्रग मेटावोलाइजिंग जीन्स में जेनेटिक पालीमारफिज्म की भूमिका, ओरल कैंसर के प्रति रक्षण, ओरल कैंसर में सामान्य जेनेटिक बदलाव से जुड़ी परियोजनाएं और इंडो-जर्मन परियोजनाएं चलायी गईं।

(ii) ह्रदय संबंधी रोग

आर.एफ./आर.एच.डी. के सामुदायिक स्तर पर नियंत्रण सम्बन्धी जय विज्ञान मिशन मोड प्रोजे क्ट चंडीगढ़, वेल्लोर, कोचीन और इंदौर में चार केन्द्रों पर चलाए जा रहे हैं। परियोजना से संबंधित जानपदिक रोग विज्ञान और टीके सम्बन्धित कार्य पी.जी.आई.एम.ई.आर., चंडीगढ़ और सी.एम.सी., वेल्लोर में पूरे कर लिए गए हैं तथा स्ट्रेन्स की एम्स टाइपिंग और रजिस्टरी का कार्य चल रहा है जिसे एक वर्ष का विस्तार दिया गया है।

(iii) तंत्रिका रोग विज्ञान

इस क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाएं मातृगत कुपोषण और मस्तिष्क विकास में सुभेद्यता और उत्क्रमणीयता की अवधि, भारतीय युवाओं और बच्चों में गंभीर नान-एम्बालिक स्ट्रोक के पूर्वानुकूल हेमोस्टेटिक और मोलक्यूलर प्रभाव, युवा लोगों में आयसैमिक स्ट्रोक के एटिओलाजी में प्रोथ्रोम्बिक स्टेट का योगदान हैं। मिरगी रोग से ग्रस्त नवजातों में शारीरिक संरचना ठीक न होने के जोखिम के अध्ययन के लिए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली और एस.सी.टी.आई.एम.एस.टी., तिरुवनंतपुरम में गर्भवती महिलाओं में मिरगी विषयक रजिस्टरी शुरू की गई है।

(iv) मानसिक स्वास्थ्य

(1) गुजरात में भूकम्प प्रभावित लोगों के मानसिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी जरूरतों और सेवा प्रदानगी से जुड़े माडलों, (2) आत्महत्या की प्रवृत्ति और (3) शहरी मानसिक समस्याएं एवं इनसे जुड़ी सेवा सम्बन्धी जरूरतों से जुड़े टास्क फोर्स प्रोजेक्ट्स का पाइलट अध्ययन कार्य शुरू किया गया था जिनमें से प्रथम दो परियोजनाओं के पाइलट अध्ययन का कार्य पूरा हो गया है।

(v) डायबिटीज मेलिटस

आई.सी.एम.आर. में "गाइडलाइन्स फार द मैनेजमेंट आफ टाइफ II डायबिटीज" प्रकाशित की है जिसका उद्देश्य प्राथमिक परिचर्या को दुरूस्त करना है। आई.सी.एम.आर. का 'कैमेल मिल्क एंड डायबिटीज' पर एक टास्क फोर्स प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव है जिससे डायबिटीज में ऊंट के दूध की भूमिका से सम्बन्धित बहुविषयक दृष्टिकोण का पता लगाया जा सकेगा। प्रारम्भिक और युवा अवस्था में ही डायबिटीज से ग्रस्त लोगों की रजिस्टरी के उपाय भी किए गए हैं।

(vi) गैर संचारी रोगों से सम्बन्धित आंकड़े

आई.सी.एम.आर. चुनिन्दा स्थानों के शहरी, ग्रामीण और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में रह रहे 15-64 वर्ष आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं में चुनिन्दा गैर संचारी रोगों के जोखिमकारी कारणों से सम्बन्धित आंकड़ा तैयार करता रहा है। आयसेमिक हार्ट डिजिजिज, स्ट्रोक, डायक्टीज, कैंसर, हाइपरटेंशन और तम्बाकू प्रयोग सम्बन्धी महामारीगत तथ्यों के संदर्भ में देश में प्रकाशित सभी सामग्रियों की समीक्षा और विश्लेषण कर गैर-संचारी रोगों के भार का आकलन किया गया था। इन रोगों के लिए प्रचलित दर, डी.ए.एल.वाइ. और वाइ.एल.एल. का आकलन डिस्मोड पैकेज एनलिसिस का प्रयोग कर किया गया था।

(vii) पर्यावरणिक स्वास्थ्य

भारत-संयुक्त राज्य के मध्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग को सुगम बनाने की दृष्टि से भारत-संयुक्त राज्य द्वारा पर्यावरण और व्यवसायगत स्वास्थ्य विषयक संयुक्त वक्तव्य

पर हस्ताक्षर किए गए। जिसके तहत पर्यावरणिक और व्यवसायगत तथ्यों के कारण होने वाले रोगों की पहचान, निगरानी और उनकी रोकथाम शामिल है।

(viii) अपंगता

"प्रिवेंशन आफ डिसैबिलिटी एमंग प्री-स्कूल चिल्ड्रेन" विषयक एक बहु-केन्द्रिक परियोजना पूरी कर ली गई है।

जाली पासपोर्ट रैकेट

1923. डा. के. धनराजू:

श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:

श्री महेश कनोडीया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कथित रूप से जाली पासपोर्ट जारी करने वाला रैकेट देश में अभी फल-फूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में कुछ लोगों को इस धंधे में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या कितनी है और उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा खामियों को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) पासपोर्टों में धोखाधड़ी के मामले समय-समय पर प्राधिकारियों की जानकारी में आते रहते हैं।

(ख) और (ग) धोखाधड़ी में संलिप्त लोगों को समय-समय पर राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

(घ) सरकार ने जाली पासपोर्टों के जोखिम को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें मशीन द्वारा पठनीय पासपोर्टों की शुरुआत, डाटाबेस का कंप्यूटरीकरण, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर कंप्यूटर टर्मिनलों की स्थापना और जाली यात्रा-दस्तावेजों की पहचान करने के लिए आप्रवासन अधिकारियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण देना शामिल है। जब कभी जाली पासपोर्टों के मामले प्रकाश में आते हैं, सरकार सुरक्षा अभिकरणों के साथ परामर्श करके ऐसे पासपोर्टों को रद्द कर देती है और ऐसे पासपोर्टों के धारकों को पूर्व अनुमोदन श्रेणी में रखा जाता है।

एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित महिलाएं

1924. श्री के.एस. राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार एच.आई.वी./एड्स के कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है;

(ख) उनमें से एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित महिलाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार एच.आई.वी./एड्स तथा अवांछित गर्भ से बचाने के लिए नव-विकसित महिला कंडोम के उपयोग को प्रोत्साहित/लोकप्रिय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) विगत तीन वर्षों में नाकों को सूचित किए गए एड्स रोगियों की वर्षवार संख्या इस प्रकार हैं:

वर्ष	सूचित किए गए एड्स रोगी
2003	21,587
2004	27,432
2005 (अनंतिम)	18,102

(ख) सूचित किए गए पुरुष और महिला एड्स रोगियों का राज्यवार वितरण विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सामाजिक विपणन संगठनों की प्रायोगिक जांचों ने यह प्रदर्शित किया है कि महिला कण्डोम से महिलाएं एच.आई.वी. जैसे यौन संचारित रोगों से स्वयं को सुरक्षित रखने तथा आवांछित गर्भधारण को रोकने में सक्षम हुई हैं।

महिला कण्डोम विशेषतया उस परिस्थिति में लाभदायक होता है जहां पुरुष सहभागी कंडोम इस्तेमाल करने का अनिच्छुक होता है और असुरक्षित यौन-संबंध पर जोर देता है।

यह निर्णय लिया गया है कि शुरू में 500,000 महिला कंडोमों का प्रापण किया जाए तथा उन्हें सामाजिक विपणन संगठनों के माध्यम से महिला यौन कर्मियों में निःशुल्क अथवा बहुत ही रियायती दर पर वितरित किया जाए ताकि उन्हें एच.आई.वी. अथवा अन्य यौन संचारित संक्रमणों से बचाया जा सके।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान एड्स रोगियों की सूचित की गई संख्या (महिला, पुरुष, बच्चे)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003				2004				2005 (अनंतिम)			
		पुरुष	महिला	बच्चे	कुल	पुरुष	महिला	बच्चे	कुल	पुरुष	महिला	बच्चे	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5	0	0	5	0	0	0	0	1	3	0	4
2.	आन्ध्र प्रदेश	2486	1532	105	4123	2506	1555	94	4155	2394	1430	103	3927
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	40	8	2	50	9	4	0	13	29	8	3	40
5.	बिहार	6	3	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़	130	32	11	173	122	41	55	218	294	110	64	468
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हेवली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	92	13	9	14	53	11	4	68	1013	337	114	1464
11.	गोवा	124	42	8	174	75	33	1	109	98	52	2	152
12.	गुजरात	787	304	33	1124	1095	382	59	1536	1060	365	50	1475
13.	हरियाणा	46	8	0	54	70	15	0	85	143	47	8	198
14.	हिमाचल प्रदेश	32	9	0	41	60	13	2	75	55	17	1	73
15.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	कर्नाटक	157	43	1	201	169	48	5	222	1498	638	83	2219
18.	केरल	396	202	28	626	51	20	2	73	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	105	32	8	145	149	51	9	209	217	89	13	319
21.	महाराष्ट्र	3291	1385	396	5072	3053	1283	365	4701	1823	861	205	2889
22.	मणिपुर	708	390	89	1187	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	8	6	4	18	25	20	9	54	0	0	0	0
25.	नागालैंड	48	28	8	84	140	93	36	269	8	9	1	18
26.	उड़ीसा	1	0	0	1	0	0	0	0	411	89	13	513
27.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पंजाब	20	18	0	38	26	9	2	37	51	15	3	69
29.	राजस्थान	183	69	14	266	172	48	8	228	0	0	0	0
30.	सिक्किम	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	5023	1858	249	7130	9054	5451	766	15271	2258	1421	177	3856
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	287	52	0	339	84	23	2	109	266	65	8	339
34.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	61	16	2	79
35.	पश्चिम बंगाल	487	76	48	611	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	14464	6110	1013	21587	16913	9100	1419	27432	11680	5572	850	18102

ग्लोबल नेवीगेशनल सेटेलाइट सिस्टम

1925. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस ने अंतरिक्ष आधारित ग्लोबल नेवीगेशनल सेटेलाइट सिस्टम (ग्लोनास) के संयुक्त उपयोग हेतु किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भारत और रूस ने रूसी ग्लोबल नौवहन उपग्रह प्रणाली (ग्लोनास) के संयुक्त विकास, प्रचालन और उपयोग के क्षेत्र में दीर्घावधि सहयोग के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) इसके क्रियान्वयन के लिए एक प्रौद्योगिकी सुरक्षोपाय करार को अंतिम रूप दे दिया है। सहयोगात्मक व्यवस्था की विशेषताओं पर विचार-विमर्श की शुरूआत की गई है।

समुद्री तरंगों से विद्युत उत्पादन

1926. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समुद्री तरंगों से विद्युत उत्पादन के लिए देश में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता और इसके लिए अपनी अवसंरचना सुविधाएं प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई, ऐसी सहायता का राज्य-वार, परियोजना-वार और गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिए पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र हेतु एक विशेष कार्यक्रम की संकल्पना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी नहीं। इस संबंध में भारत सरकार, महासागर विकास मंत्रालय ने अब तक गैर-सरकारी संगठनों को किसी परियोजना का निधियन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। इस उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र के लिए महासागर विकास मंत्रालय ने किसी कार्यक्रम की परिकल्पना नहीं की है। तथापि भारत सरकार, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने दुर्गाद्वानी, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में 3.65 मेवा. की प्रदर्शन ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

राष्ट्रमंडल खेलों हेतु अनुमानित निधियां

1927. **श्री अर्जुन सेठी:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2010 में दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कुल अनुमानित निधियां कितनी है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को इसके लिए सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) प्रारंभिक प्राक्कलन के अनुसार, 5165 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है जिसमें खेल गांव, खेलों का आयोजन, आयोजन-स्थल की अवस्थापना, शहरी सुविधाओं का उन्नयन तथा भारतीय दल की तैयारी शामिल है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल 2010, के लिए 1314.40 करोड़ रुपये का बजट प्राक्कलन तैयार किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने योजना आयोग से इस अतिरिक्त योजनागत सहायता को सीधे देने के लिए अनुरोध किया है।

मानव स्वास्थ्य पर कोयला खदान की धूल का प्रभाव

1928. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.) ने हाल ही में मानव स्वास्थ्य पर कोयला खदान की धूल के प्रभाव

की जांच के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के आसपास के कतिपय क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्षों से यह पुष्टि हुई है कि धूल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता

1929. श्री अशोक कुमार रावत:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विदेशी सहायता से क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) उक्त सहायता के तहत अब तक निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है;

(ङ) क्या परियोजनाओं हेतु प्राप्त विदेशी सहायता राशि को खर्च करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के ठेकों की सूची विवरण-I में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों (चालू वर्ष 2005-06 में जनवरी, 2006 तक) के दौरान विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कार्पोरेशन के विभिन्न ऋणों से भारत सरकार के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राप्त विदेशी सहायता के साथ सूरत-मनोर टालवे परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एशियाई विकास बैंक से सीधे प्राप्त ऋण सहायता तथा प्रत्येक परियोजना के लिए व्यय के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2005-06 (फरवरी, 2006 तक) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर खर्च कुल धनराशि इस प्रकार है-

1.	परियोजनाओं पर (बी.ओ.टी. परियोजनाओं के संबंध में निजी क्षेत्र के हिस्से सहित)	4807.72 करोड़ रु.
2.	अनुरक्षण पर	197.40 करोड़ रु.

(घ) विदेशी सहायता से कार्यान्वित विभिन्न ठेकों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की 1527 कि.मी. लम्बाई पूरी की गई है।

(ङ) और (च) विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कार्पोरेशन से लिए गए प्रत्येक ऋण की समापन तिथि (वह तारीख जिस तक ऋण राशि का उपयोग किया जा सकता है) विवरण-III में दी गई हैं।

विवरण-I

विश्व बैंक और एशियाई विकास वित्तपोषण से कार्यान्वित ठेके राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I

विश्व बैंक

क्र.सं.	खंड	रा.रा.सं.	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	आगरा-शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी/1-ए)	2	50.83

1	2	3	4
2.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-1 (पुल)	2	1.02
3.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-2	2	38.987
4.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-3	2	44.708
5.	औरंगाबाद-बाराचट्टी (टीएनएचपी/4-ए)	2	60
6.	इटावा-राजपुर (जीटीआरआईपी/1-सी)	2	72.825
7.	फतेहपुर-खागा (टीएनएचपी/2-सी)	2	77
8.	गोरहर-बरवाअड्डा (टीएनएचपी/5-सी)	2	78.75
9.	हंडिया-वाराणसी (टीएनएचपी/3-सी)	2	72
10.	कानपुर-फतेहपुर (जीटीआरआईपी/2-बी)	2	51.5
11.	मोहनिया-सासाराम (टीएनएचपी/4-बी)	2	45
12.	राजगंज-बरकाटा (जीटीआरआईपी/5-बी)	2	80
13.	सासाराम-डेहरी-ओन-सोन (जीटीआरआईपी/4-सी)	2	30
14.	शिकोहाबाद-इटावा (जीटीआरआईपी/1-बी)	2	59.02
15.	सिकंदरा-भौंटी (टीएनएचपी/2-ए)	2	62
16.	वाराणसी-मोहनिया (जीटीआरआईपी/4-ए)	2	76

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I

एशियाई विकास बैंक

क्र.सं.	खंड	रा.रा.सं.	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	चित्रदुर्ग-सीरा	4	66.7
2.	चित्रदुर्ग बाइपास	4	18
3.	हरिहर-चित्रदुर्ग	4	77
4.	हावेरी-हरिहर	4	56

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II

विश्व बैंक

क्र.सं.	खंड	रा.रा.सं.	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-1)	28	36

1	2	3	4
2.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-2)	28	47
3.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-3)	28	41.925
4.	दीवापुर-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा (एलएमएनएचपी-9)	28	41.085
5.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-4)	28	29
6.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-5)	28	44
7.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-6)	28	43.7
8.	कसिया-गोरखपुर (एलएमएनएचपी-7)	28	40
9.	कोटवा-दीवापुर (एलएमएनएचपी-10)	28	38
10.	मेहसी-कोटवा (एलएमएनएचपी-11)	28	40
11.	मुजफ्फरपुर-मेहसी (एलएमएनएचपी-12)	28	40
12.	यू.पी./बिहार सीमा से कसिया (एलएमएनएचपी-8)	28	41.115

एशियाई विकास बैंक

क्र.सं.	खंड	रा.रा.सं.	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	डीसा-राधनपुर (पैकेज-6)	14	85.4
2.	राधनपुर-गगोधर (पैकेज-5)	15	106.2
3.	गगोधर-गरमोर (पैकेज-4)	15, 8ए	90.3
4.	झांसी बाइपास (यू पी-3)	25	15
5.	झांसी-शिवपुरी (ईडब्ल्यू-2-एमपी-2)	25	35
6.	झांसी-शिवपुरी (यूपी/एमपी-1) (यूपी-11 कि.मी. और एम.पी-30 कि.मी.)	25	41
7.	उरई-झांसी (यूपी-4)	25	66
8.	उरई-झांसी (यूपी-5)	25	50
9.	शिवपुरी बाइपास और मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा तक (ईडब्ल्यू-2-एमपी-1)	25,76	53
10.	ललितपुर-सागर (ए डी बी-II/सी-4)	26	55

1	2	3	4
11.	ललितपुर-सागर (ए डी बी-II/सी-3)	26	38
12.	राजमार्ग चौराहा से लखंडन (ए डी बी-II/सी-8)	26	54
13.	राजमार्ग चौराहा से लखंडन (ए डी बी-II/सी-9)	26	54.7
14.	सागर बाइपास (ए डी बी-II/सी-5)	26	26
15.	सागर राजमार्ग चौराहा (ए डी बी-II/सी-6)	26	44
16.	सागर राजमार्ग चौराहा (ए डी बी-II/सी-7)	26	42
17.	कोटा-चित्तौड़गढ (आर जे-7)	76	63
18.	कोटा-चित्तौड़गढ (आर जे-8)	76	65
19.	राजस्थान/एम पी सीमा से कोटा (आर जे-10)	76	59,85
20.	राजस्थान/एम पी सीमा से कोटा (आर जे-11)	76	70
21.	राजस्थान/एम पी सीमा से कोटा (आर जे-9)	76	43.15
22.	चित्तौड़गढ़ बाइपास (आर जे-6)	76,79	40
23.	गरमोड़ से बामनबोर (पैकेज-III)	8ए	71.4
24.	भिलाडी से पोरबंदर (पैकेज-1)	8बी	50.5
25.	जोधपुर-भिलाडी (पैकेज-II)	8बी	64.5

विवरण-II

31-1-2006 के अनुसार स्थिति

करोड़ रु.

वर्ष	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना निधि की आय						विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना निधि का उपयोग					
	भारत सरकार से प्राप्त धनराशि			एडीबी ऋण (सीधे)		कुल ईएपी आय (4+5+6)	कुल व्यय (पूरक निधि सहित)					
	ईएपी अनुदान	ईएपी	जोड़	मूल ऋण राशि	ब्याज व वचन-बद्धता प्रचार		वि. बैंक परियोजना	जेबीआईसी परि.	एडीबी-iii,v,vi व vii परियोजना	जोड़ (8+9+10)	एडीबी-iv परियोजना	कुल जोड़ (11+12)
2002-2003	1202.00	301.00	1503.00	138.56	8.63	1650.19	674.35	225.03	186.94	1086.31	250.58	1336.89
2003-2004	1159.12	289.78	1448.90	190.54	11.70	1651.14	898.34	124.45	297.68	1320.47	351.68	1672.15
2004-2005	1239.08	360.50	1599.58	117.36	14.91	1731.85	1290.18	32.86	361.43	1684.46	98.15	1782.61
2005-2006 (जन. 06 तक)	2200.00	600.00	2800.00	1.21	10.21	2811.42	1217.76	1.76	635.93	1855.45	118.79	1974.2
जोड़	5800.20	1551.28	7351.48	447.67	45.45	7844.60	4080.62	384.09	1481.98	5946.70	819.20	6765.89

विवरण-III

एजेंसी	ऋण सं.	परियोजना के ब्यौरे	करार की तिथि	ऋण की प्रभावी तिथि	समापन तिथि	ऋण राशि
1	2	3	4	5	6	7
ए डी बी	1747-इंड	सूरत-मनोर टालवे परियोजना	05/10/2000	08/11/2000	30/09/2005	अम. डालर 165,000,000
	1274-इंड	एडीबी 3, कुल 5 सड़क कार्य	12/09/1996		29/06/2002	अम. डालर 245,000,000
	1839-इंड	पश्चिमी परिवहन कॉरीडोर परियोजना	14/12/2001	04/02/2002	31/12/2006	अम. डालर 191,478,791
	1944-इंड	पूर्व-पश्चिम महामार्ग परियोजना	25/08/2003	19/11/2003	31/12/2006	अम. डालर 320,000,000
	2029-इंड	राष्ट्रीय राजमार्ग कोरिडोर सेक्टर-1 परियोजना	27/10/2004	24/01/2005	31/12/2007	अम. डालर 400,000,000
	2154-इंड	राष्ट्रीय राजमार्ग कोरिडोर सेक्टर-2 परियोजना	15/12/2005	20/02/2006	31/12/2008	अम. डालर 400,000,000
					जोड़	**अम. डालर 1,721,478,791**
विश्व बैंक	4764-इन	लखनऊ-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	18/11/2005	28/12/2005	30/06/2010	अम. डालर 620,000,000
	4719-इन	इलाहाबाद बाइपास परियोजना	16/12/2003	15/03/2004	30/08/2009	अम. डालर 240,000,000
	4622-इन	ग्रांड ट्रंक रोड सुधार परियोजना	27/07/2001	21/11/2001	31/12/2006	अम. डालर 9,000,000
	4559-इन	तीसरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	18/08/2000	02/10/2000	30/06/2000	अम. डालर 516,000,000
					जोड़	**अम. डालर 1,965,000,000**
जेबीआईसी	आईडीपी-91	उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद/नैनी में पहुंच मार्गों के साथ यमुना नदी पर पुल का निर्माण	24/01/1994	24/01/1994	11/03/2005	10037 मिलियन येन

1	2	3	4	5	6	7
	आईडीपी-92	चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा खंड-आंध्र प्रदेश में रा.रा. 5 को 355-434 कि.मी. तक विद्यमान दो लेन के खंड को चार लेन का बनाना व सुदृढ़ीकरण	24/01/1994	24/01/1994	11/06/2003	11300 मिलियन येन
	आईडीपी-100	जगतपुर-चंडीखोल खंड-आंध्र प्रदेश में रा.रा. 5 पर चार लेन का बनाना व सुदृढ़ीकरण	28/05/1995	28/05/1995	12/01/2005	5836 मिलियन येन
	आईडीपी-101	उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद-हापुड़ खंड और हापुड़ बाइपास के निर्माण सहित रा.रा. 24 का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	28/02/1995	28/02/1995	12/02/2004	4827 मिलियन येन
					जोड़	32060.00 मिलियन येन

'फीटस-स्टेम सेल' प्रणाली के माध्यम से उपचार पर प्रतिबंध

1930. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न अस्पतालों में 'फीटस स्टेम सेल' प्रणाली के माध्यम से उपचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन अस्पतालों में उपचार की इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भ्रूण स्टेम सेल का उपयोग करते हुए एम्स, नई दिल्ली और उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद में कुछ प्रारंभिक प्रायोगिक कार्य किए गए हैं। भ्रूण स्टेम सेल प्रणाली अभी भी प्रायोगिक स्तर पर है और इसे अभी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के सुरक्षित और प्रभावी विकल्प के रूप में स्थापित किया जाना है। हाल ही में, न्यूटेक मेडिवर्ल्ड, नई दिल्ली ने डा. गीता शेरॉफ के अधीन 100 से ज्यादा रोगियों में इम्ब्राइयोनिक स्टेम सेल थिरेपी की है।

[अनुवाद]

एन.टी.पी.सी. द्वारा मेगा परियोजनाएं

1931. श्री अधीर चौधरी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. का विचार निकट भविष्य में देश में मेगा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी विद्युत परियोजनाओं से उन राज्यों को लाभ होगा जो विद्युत की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए कुल कितना निवेश किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए निधियां जुटाने का स्रोत क्या होगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी, हां। मेगा विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। उन संभावित लाभभोगी राज्यों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है जो मेगा विद्युत परियोजनाओं से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राज्य को विद्युत का आबंटन भारत सरकार द्वारा जारी नीति/दिशा-निर्देश के आधार पर किया जाएगा।

(ङ) एन.टी.पी.सी. ने इन परियोजनाओं का वित्तपोषण ऋण:इक्विटी के माध्यम से 70:30 के अनुपात में करने की परिकल्पना की है। इक्विटी भाग को आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा और ऋण भाग की पूर्ति बाह्य वाणिज्यिक ऋणों एवं घरेलू ऋणों से की जाएगी। इस प्रकार की मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु किए जाने वाले परियोजनावार निवेश विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

मेगा विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना/क्षमता/स्थल
1	2
	पूरी हो चुकी परियोजनाएं
1.	तालचेर एस.टी.पी.पी. स्टेज-II (2000 मेगावाट), उड़ीसा
2.	रिहंद एस.टी.पी.पी. चरण-II (1000 मेगावाट), उत्तर प्रदेश
	निर्माणाधीन परियोजनाएं
3.	विन्ध्याचल एस.टी.पी.पी.-III (1000 मेगावाट), मध्य प्रदेश
4.	सीपत एस.टी.पी.पी.-1 व 2 (1980 मेगावाट) व (1000 मेगावाट)
5.	कहलगांव एस.टी.पी.पी.-II चरण-1 (1000 मेगावाट) व चरण-II (500 मेगावाट) बिहार
6.	बाढ़ एस.टी.पी.पी. (1980 मेगावाट), बिहार
7.	कोलडैम एच.ई.पी. (800 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश
8.	कवास विस्तार (1300 मेगावाट), गुजरात
9.	गांधार विस्तार (1300 मेगावाट), गुजरात
10.	नार्थ करनपुरा एस.टी.पी.पी. (1980 मेगावाट), झारखंड

1	2
	वे नई परियोजनाएं जिन्होंने मेगा विद्युत परियोजनाओं के रूप में अर्हता प्राप्त कर ली है
11.	लोहारीनागपाला एच.ई.पी.पी. (600 मेगावाट), उत्तरांचल
12.	तपोवन विष्णुगाड एच.ई.पी.पी. (520 मेगावाट), उत्तरांचल
13.	नबीनगर टी.पी.पी. (1000 मेगावाट), बिहार
14.	एन्नौर टी.पी.पी. (1000 मेगावाट), तमिलनाडु
15.	राजीव गांधी सी.सी.पी.पी. स्टेज-II (1950 मेगावाट), केरल
16.	हुटोंग एच.ई.पी.पी. स्टेज-II (1250 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश
17.	कलाई एच.ई.पी.पी. स्टेज-II (1200 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश
18.	लारा में समेकित विद्युत परियोजना (4000 मेगावाट), छत्तीसगढ़
19.	डारलीपल्ली में समेकित विद्युत परियोजना (3200 मेगावाट), उड़ीसा

विवरण-II

लाभभोगी राज्यों का ब्यौरा, जो मेगा विद्युत परियोजनाओं से लाभ प्राप्त कर रहे हैं

क्र.सं.	परियोजना/क्षमता/स्थिति	लाभ प्राप्त करने वाले राज्य/संघ शासित क्षेत्र
1	2	3
1.	तालचेर एस.टी.पी.पी. चरण-II (2000 मे.वा.), उड़ीसा	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पांडिचेरी
2.	रिहंद एस.टी.पी.पी. चरण-II (1000 मे.वा.), उ.प्र.	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, चंडीगढ़
3.	विंध्याचल एस.टी.पी.पी.-III (1000 मे.वा.), म.प्र.	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर व नागर व हवेली, दमन व दीव
4.	सीपत एस.टी.पी.पी.-I व II (1980 मे.वा.) व (1000 मे.वा.)	म.प्र., छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव
5.	कहलगांव एस.टी.पी.पी.-II चरण-I (1000 मे.वा.) व चरण-II (500 मे.वा.) बिहार	उ.प्र., राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, चंडीगढ़, म.प्र. महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव
6.	बाढ़ एस.टी.पी.पी. (1980 मे.वा.), बिहार	बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन व दीव
7.	कोलडैम एच.ई.पी. (800 मे.वा.), हि.प्र.	उ.प्र., राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,जम्मू व कश्मीर, चंडीगढ़
8.	कवास विस्तार (1300 मे.वा.), गुजरात	महाराष्ट्र, गुजरात, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव

1	2	3
9.	गंधार विस्तार (1300 मे.वा.), गुजरात	महाराष्ट्र, गुजरात, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव
10.	उत्तरी करनपुरा एस.टी.पी.पी. (1980 मे.वा.), झारखंड	झारखंड, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन व दीव व दादर व नागर हवेली
11.	लोहारीनागर-पाला एच.ई.पी.पी. (600 मे.वा.), उत्तरांचल	लाभभोगी राज्यों को भारत सरकार के विद्यमान दिशा-निर्देशों/नीति के अनुसार विद्युत का आबंटन किया जाएगा।
12.	तपोवन विष्णुगाद एच.ई.पी.पी. (520 मे.वा.), उत्तरांचल	-तदैव-
13.	नबीनगर टी.पी.पी. (1000 मे.वा.), बिहार	-तदैव-
14.	एन्नौर टी.पी.पी. (1000 मे.वा.), तमिलनाडु	-तदैव-
15.	राजीव गांधी सी.सी.पी.पी. स्टेज-II (1950 मे.वा.), केरल	-तदैव-
16.	हुतोंग एच.ई.पी.पी. स्टेज-II (1250 मे.वा.), अरुणाचल प्रदेश	-तदैव-
17.	कलाई एच.ई.पी.पी. स्टेज-II (1200 मे.वा.), अरुणाचल प्रदेश	-तदैव-
18.	लारा में इंटीग्रेटेड पावर प्रोजेक्ट (4000 मे.वा.), छत्तीसगढ़	-तदैव-
19.	दारलीपल्ली में इंटीग्रेटेड पावर प्रोजेक्ट (3200 मे.वा.),उड़ीसा	-तदैव-

विवरण-III

मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए किए जाने वाले परियोजनावार निवेश का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना/क्षमता/स्थिति	अनुमोदित/अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	तालचेर एस.टी.पी.पी. चरण-II (2000 मे.वा.), उड़ीसा	6648.83 (तीसरी तिमाही, 97)
2.	रिहंद एस.टी.पी.पी. चरण-II (1000 मे.वा.), उ.प्र.	3451.97 (तीसरी तिमाही, 98)
3.	विंध्याचल एस.टी.पी.पी.-III (1000 मे.वा.), म.प्र.	4201.50 (चौथी तिमाही, 01)
4.	सीपत एस.टी.पी.पी.-I व II (1980 मे.वा.), व (1000 मे.वा.)	8239.39 (दूसरी तिमाही, 03) 4039.67 (दूसरी तिमाही, 03)

1	2	3
5.	कहलगांव एस.टी.पी.पी.-II चरण-I (1000 मे.वा.) व चरण-II (500 मे.वा.), बिहार	चरण-I 4002.28 (चौथी तिमाही, 02) चरण-II 1866.10 (पहली तिमाही, 03)
6.	बाढ़ एस.टी.पी.पी. (1980 मे.वा.), बिहार	8692.97 (चौथी तिमाही, 04)
7.	कोलडैम एच.ई.पी. (800 मे.वा.), हि.प्र.	4517.15 (चौथी तिमाही, 04)
8.	कवास विस्तार (1300 मे.वा.), गुजरात	3329.56 (चौथी तिमाही, 04)
9.	गंधार विस्तार (1300 मे.वा.), गुजरात	3265.84 (चौथी तिमाही, 04)
10.	उत्तरी करनपुरा एस.टी.पी.पी. (1980 मे.वा.), झारखंड	9477.75 (चौथी तिमाही, 05)
11.	लोहारीनाग-पाला एच.ई.पी.पी. (600 मे.वा.), उत्तरांचल	अंतिम रूप दिया जाना है।
12.	तपोवन विष्णुगाद एच.ई.पी.पी. (520 मे.वा.), उत्तरांचल	अंतिम रूप दिया जाना है।
13.	नबीनगर टी.पी.पी. (1000 मे.वा.), बिहार	अंतिम रूप दिया जाना है।
14.	एन्नौर टी.पी.पी. (1000 मे.वा.), तमिलनाडु	अंतिम रूप दिया जाना है।
15.	राजीव गांधी सी.सी.पी.पी. चरण-II (1950 मे.वा.), केरल	अंतिम रूप दिया जाना है।
16.	हुतोंग एच.ई.पी.पी. चरण-II (1250 मे.वा.), अरुणाचल प्रदेश	अंतिम रूप दिया जाना है।
17.	कलाई एच.ई.पी.पी. चरण-II (1200 मे.वा.), अरुणाचल प्रदेश	अंतिम रूप दिया जाना है।
18.	लारा में इंटीग्रेटेड पावर प्रोजेक्ट (4000 मे.वा.), छत्तीसगढ़	अंतिम रूप दिया जाना है।
19.	दारलीपल्ली में इंटीग्रेटेड पावर प्रोजेक्ट (3200 मे.वा.), उड़ीसा	अंतिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

बच्चों में 'कैंसर' के मामले

1932. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्री रशीद मसूद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिवर्ष बच्चों में कैंसर के 70 हजार मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बच्चों के लिए अलग से कैंसर अस्पतालों और उचित प्रोटोकॉल के अभाव में आधे से अधिक बच्चे प्रारम्भिक चिकित्सा से वंचित रह जाते हैं;

(घ) क्या समय से उचित उपचार की अनुपलब्धता के कारण कैंसर से लगभग पचास हजार बच्चे मर जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार का विचार बच्चों के लिए विशेषतौर पर चिकित्सा प्रदान करके कैंसर से उनकी जान बचाने के लिए एक नीति/प्रोटोकॉल बनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्टरी के

आंकड़ों के आधार पर 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 58,400 नए कैंसर रोगी हैं। वर्ष 1999-2000 में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की अनुमानित संख्या 24,300 है।

आई.सी.एम.आर. के नेशनल कैंसर रजिस्टरी प्रोग्राम के तहत दो तरह की रजिस्टरी की जाती है-

(1) जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्टरी

(2) हास्पिटल आधारित कैंसर रजिस्टरी

हाल ही में कैंसर एटलस प्रोजेक्ट भी निकाला गया है। इन कार्यकलापों से देश में कैंसर रोगियों और उनसे सम्बद्ध पहलुओं से जुड़े आंकड़े प्राप्त हुए हैं। इस आंकड़े में बच्चों के कैंसर भी शामिल हैं। तथापि, केवल रजिस्टरी स्थल से संबंधित आंकड़े ही उपलब्ध हैं।

(ङ) से (छ) कैंसर का उपचार शल्य चिकित्सा, रेडियोथिरेपी, केमोथिरेपी और सहायक परिचर्या द्वारा किया जाता है। बचपन में होने वाले कैंसर का इलाज भी वयस्कों के कैंसर के समान होता है जिसके लिए बहुविशेषज्ञता आवश्यक है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सरकारी अस्पतालों, कुछ निजी अस्पतालों और गैर-सरकारी संस्थाओं को कैंसर परिचर्या के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि

1933. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए आबंटित धनराशि का क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया और वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) 2004-05 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटित निधियों का उपयोग 85 प्रतिशत से अधिक था।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्षवार अनुमोदित परिव्यय और वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपये में)

	2002-03		2003-04		2004-05	
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
स्वास्थ्य	1550.00	1359.81	1550.00	1325.81	2208.00	1772.36
परिवार कल्याण	4930.00	3916.63	4930.00	4409.27	5500.00	4862.09
कुल	6480.00	5276.44	6480.00	5735.08	7708.00	6634.45

[हिन्दी]

कोयला खानों का आधुनिकीकरण

1934. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की कोयला खानों के आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई तथा वर्ष 2006-07 के दौरान कितनी धनराशि जारी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त कोयला खानों में आधुनिकीकरण के लिए बनाए गए समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) खानों के यंत्रीकरण/आधुनिकीकरण के प्रयोजनार्थ कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9175.83 करोड़ रुपए का पूंजीगत प्रावधान किया है।

(ख) इस प्रयोजनार्थ 2005-06 के लिए 1897.52 करोड़ रुपये तथा 2006-07 के लिए 2198.54 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) कोयला खानों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि कोयला कंपनियों के लिए पंचवर्षीय योजना तथा संबंधित वार्षिक योजनाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य पूरे हों। आधुनिकीकरण/यंत्रीकरण कोयला कंपनियों की उत्पादकता/दक्षता को बढ़ाने में सहायता करता है।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सम विकास योजना

1935. श्री कीरेन रिजीजू: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अरुणाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 2005-2006 के दौरान राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के प्रसार के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा लगभग पांच वर्षों के अन्तराल पर कराए जाने वाले पारिवारिक उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण से नवीनतम उपलब्ध आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एन.एस.एस.) के 55वें दौर से प्राप्त हैं जो वर्ष 1999-2000 के दौरान कराया गया था। उक्त सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों की संख्या 3.98 लाख है जिसमें से 3.80 लाख व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में और 0.18 लाख व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में हैं।

(ख) राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.वाई.) की पिछड़े जिला पहल अरुणाचल प्रदेश के एक जिले अर्थात् अपर सुबनसिरि जिले को कवर करती है। इस जिले की जिला योजना पहले से ही अनुमोदित कर दी गई है और जिला योजना के अन्तर्गत कवर की गई स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 3 वर्षों की अवधि में 45.00 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई जानी है। जिला योजना में शामिल स्कीमें, कृषि और संबद्ध सेवाओं, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, अवसंरचना, पर्यावरण और वन तथा सामाजिक क्षेत्रक जैसे क्षेत्रकों की हैं।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि

1936. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री गणेश सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई योजना बनाई है जैसाकि दिनांक 21 जनवरी, 2006 के "लोकमत समाचार" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) प्रस्तावित योजना से किन-किन राज्यों को लाभ होने की संभावना है;

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है तथा उक्त योजना के लिए धनराशि किन स्रोतों से जुटाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 62,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखती है। इस क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का अस्थायी गठन इस प्रकार हैं-

कोयला और लिग्नाइट:	38,000 मेगावाट
गैस (एल.एन.जी.):	6,000 मेगावाट
हाइड्रो:	15,000 मेगावाट
न्यूक्लीयर:	3,000 मेगावाट

(ग) 11वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि से पूरे देश को लाभ होगा क्योंकि इससे वस्तुतः ऊर्जा और व्यस्ततम कमियां कम होने की सम्भावना है।

(घ) डा. उद्देश कोहली, पूर्व सी.एम.डी., पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की अध्यक्षता में 10वीं और 11वीं योजनाओं के दौरान विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण पर समिति ने 11वीं योजना में उत्पादन, पारेषण, उपपारेषण, वितरण और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 499818 करोड़ रुपये की कुल निधि आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है।

(ङ) इस संबंध में, सार्वजनिक क्षेत्र निवेशों को बढ़ावा दिया जाएगा जिसे निजी निवेशों से पूरा किए जाने की आवश्यकता होगी। लोड डिस्पेच को छोड़कर विद्युत क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है। परियोजना के मूल्य को कम करने के लिए और उसके द्वारा उपभोक्ताओं को सस्ती विद्युत की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत यह दिशा-निर्देश जारी किए गए है कि सभी भावी उत्पादन परियोजनाएं प्रतियोगी बोलीमार्ग के अंतर्गत विकसित की जाएंगी। रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन की भूमिका को उत्पादन परियोजनाओं के वित्तपोषण में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के प्रयासों के समर्थन के लिए विस्तारित किया गया है। सरकार ने प्रथम चरण में टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोलीमार्ग पर आधारित प्रत्येक लगभग 4,000 मेगावाट क्षमता की पांच अल्ट्रा वृहत विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की पहल भी की है।

भू-विस्थापितों को रोजगार

1937. **डा. बाबू राव मिडियम:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में भारी पानी संयंत्र के भू-विस्थापितों को रोजगार दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कैडर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितने लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भूमि खोने वाले 174 व्यक्तियों को, भारी पानी संयंत्र, मानुगुरू में निम्नलिखित संवर्गों में नौकरी दी गई है:

उच्च श्रेणी लिपिक	01
अवर श्रेणी लिपिक	08
वैज्ञानिक सहायक	04
ट्रेड्समैन ए तथा बी	14
हैल्पर 'ए'	63
हैल्पर 'ए' (सीएम)	49
हैल्पर 'बी'	26
आया	01
सुरक्षा गार्ड	01
भंडार लिपिक	02
ड्राइवर	05
कुल	174

भूमि खोने वाले 339 व्यक्तियों को, भारी पानी संयंत्र, मानुगुरू में नौकरी के लिए पंजीकृत किया गया है। 165 मामलों अर्थात् (339-174), के संबंध में राज्य सरकार के प्राधिकारियों ने उचित जांच के बाद पाया है कि 45 मामले सही नहीं हैं। शेष 120 मामलों में, एक स्क्रीनिंग कमेटी ने, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य के राजस्व प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि शामिल है, पाया कि केवल 81 मामले नियुक्ति के लिए पात्र हैं बशर्ते रिक्तियां उपलब्ध हों।

राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज

1938. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर बिहार, झारखण्ड तथा महाराष्ट्र से विशेष आर्थिक पैकेज तथा राज्य के उन्नयन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार कुल कितनी धनराशि तथा विशेष पैकेज स्वीकृत किए गए एवं धनराशि जारी की गई;

(घ) विशेष धनराशि के आबंटन के लिए राज्यों के उन्नयन/वर्गीकरण के लिए वर्तमान मानदंड/मानक क्या हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) निम्नलिखित राज्यों से राज्य के उन्नयन हेतु

विशेष आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

राज्य का नाम	प्रार्थित राशि
उत्तर प्रदेश	18,230.00 करोड़ रुपये
उत्तरांचल	130.54 करोड़ रुपये
छत्तीसगढ़	1435.00 करोड़ रुपये
मध्य प्रदेश	उल्लेख नहीं है।
उड़ीसा	13096.00 करोड़ रुपये
झारखंड	38961.00 करोड़ रुपये
पंजाब	2040.00 करोड़ रुपये

(ग) से (ङ) भारत सरकार सामान्यतया राज्य-विशिष्ट विशेष आर्थिक पैकेज हेतु निधियां जारी नहीं करती है। तथापि, जब कभी आवश्यकता होती है, वार्षिक/पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विद्यमान कार्यक्रमों/स्कीमों के माध्यम से राज्य-विशिष्ट आवश्यकता आधारित विशेष प्रबंध किए जाते हैं। तदनुसार, योजना आयोग में कोई स्कीम अथवा संरचना अथवा कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं है, जिसके तहत राज्यों के लिए "विशेष आर्थिक पैकेज" स्वीकृत किया जाता हो।

[हिन्दी]

वीजा नीति को उदार बनाना

1939. श्री टेक लाल महतो:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को उदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने वीजा आवेदन प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने आवेदन स्वीकृत किए गए; और

(घ) वीजा नीति कब तक उदार बना दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) जी नहीं। वर्तमान पर्यटक वीजा व्यवस्था पहले ही काफी उदार है।

(ग) विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऐस्बेसटोसिस से निपटना

1940. श्री एम. अप्पादुरई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐस्बेसटोसिस रोग के लिए देश में सभी सरकारी अस्पतालों तथा चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सा सुविधाएं तथा औषधियां उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐस्बेसटोसिस से अब तक कितने लोगों की मृत्यु हुई है; और

(घ) लोगों को उक्त रोग से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) एस्बेसटोसिस रोग का कोई रोगहर उपचार नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों में सहायक उपचार उपलब्ध है।

(ग) आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान के विभिन्न खनन एवं मिल यूनिटों में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला कि राजस्थान में खनन में एस्बेसटोसिस की व्याप्तता 3% तथा मिल में 5% थी तथा आंध्र प्रदेश में 21% थी। जहां तक एस्बेसटस सीमेंट उद्योग का संबंध है, अहमदाबाद में एस्बेसटोसिस की व्याप्तता 5%, हैदराबाद में 4.5%, कोयम्बटूर में 3.9% तथा मुम्बई में 3% थी। गैर-सीमेंट एस्बेसटस उत्पाद विनिर्माण उद्योग के मामले में भी एस्बेसटोसिस की व्याप्तता 9% थी। एस्बेसटोसिस रोग से हुई मौत के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) कारखाना अधिनियम, 1948 की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत एस्बेस्टस हैंडलिंग उद्योग को उन उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है जिनमें खतरनाक प्रक्रियाएं निहित होती हैं। उक्त अधिनियम के तहत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए विस्तार से वर्णित पर्याप्त उपबंध हैं। इन उपबंधों में स्थान जैसे कि मशीनरी की चौकसी, वैयक्तिक

संरक्षण, बड़े खतरे के प्रति चेतावनी, कार्य की दशा की मानीटरिंग, नियोजनपूर्व तथा आवधिक चिकित्सा जांच तथा स्वास्थ्य रिकार्डों का अनुरक्षण शामिल है। इस अधिनियम को संबंधित राज्य सरकारों के श्रम विभाग के अधीन कारखानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा लागू किया जाता है। इसके अलावा, जहां तक एस्बेसटस उद्योगों के श्रमिकों एवं आसपास की जनसंख्या के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संबंध है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 भी महत्वपूर्ण हैं।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्य

1941. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्य की सिफारिशों पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निष्पादित किये जा सकने वाले कार्यों की विस्तृत सूची क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कुछ कार्यों को सूची में शामिल किया है/सूची से निकाल दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रारंभ से 31 दिसंबर, 2005 तक प्रत्येक राज्य में स्वीकृत तथा पूर्ण किये गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सांसद, प्रतिबंधित कार्यों के अलावा स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन को महत्व देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं।

(ख) और (ग) जी हां, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कुछ कार्य प्रतिबंधित हैं। दिशा-निर्देशों के ब्यौरे विवरण-I और विवरण-II में दिए गये हैं।

(घ) संबद्ध सांसद की अनुशंसा पर जिला प्राधिकारियों द्वारा पात्र कार्यों को स्वीकृत किया जाता है। मंत्रालय को जिला प्राधिकारियों से, मासिक प्रगति रिपोर्ट के रूप में सांसदों द्वारा अनुशंसित, जिला प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या के बारे में सूचना प्राप्त होती है। योजना के प्रारंभ में 31-12-2005 तक संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित किए गए 9,97,998 कार्यों में से 8,91,802 कार्य स्वीकृत किए गए, जिसमें से 7,85,862 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। उत्तर के अनुबंध-II में राज्य-वार विवरण दिया गया है।

विवरण-I

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देश

एमपीलैड्स के अंतर्गत प्रतिबंधित कार्यों की सूची

1. केंद्र, राज्य सरकार, उनके विभागों, सरकारी अभिकरणों, संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबद्ध कार्यालय तथा रिहायशी भवन।
2. कार्यालय तथा रिहायशी भवन तथा निजी, सहकारी और वाणिज्यिक संगठनों से संबद्ध अन्य कार्य।
3. वैसे सभी कार्य जिनमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/इकाई शामिल हो।
4. किसी भी प्रकार के सभी रख-रखाव वाले कार्य।
5. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध विशेष अनुमति वाली संपत्ति तथा पुरातात्विक स्मारक तथा भवनों को **छोड़कर** सभी नवीनीकरण तथा मरम्मत कार्य।
6. किसी भी केंद्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र राहत कोष को अंशदान, अनुदान तथा ऋण।
7. किसी व्यक्ति के नाम के ऊपर रखी गई संपत्ति।
8. केंद्र, राज्य, संघ शासित क्षेत्र तथा स्थानीय स्वशासन से संबद्ध वाहन, अर्थ मूवर तथा अस्पताल उपकरण, शैक्षणिक, खेल, पेयजल तथा सफाई उद्देश्यों को छोड़कर सभी चल वस्तुओं की खरीद। (यह कार्य, जिसके लिए ऐसी वस्तुओं का प्रस्ताव हो, पूंजी लागत के 10 प्रतिशत के अध्यधीन होगा)
9. भूमि अधिग्रहण तथा अधिगृहित भूमि का मुआवजा।
10. किसी भी प्रकार के कार्य अथवा मद की समाप्ति अथवा आंशिक समाप्ति की अदायगी।
11. व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ हेतु संपत्ति।
12. समस्त राजस्व और आवर्ती व्यय।
13. धार्मिक पूजन से संबद्ध स्थल तथा धार्मिक आस्था/समूह द्वारा अधिगृहित भूमि के अंतर्गत कार्य।

विवरण-II

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत (31-12-2005 तक) राज्य-वार अनुशंसित, स्वीकृत और पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	अनुशंसित कार्य सं.	स्वीकृत कार्य सं.	पूर्ण किए गए कार्य सं.
1	2	3	4	5
1.	नामित	5254	4536	3715
2.	आंध्र प्रदेश	90677	86095	75250
3.	अरुणाचल प्रदेश	1725	1529	1406
4.	असम	35493	34967	29486
5.	बिहार	52813	40171	34488
6.	गोवा	819	698	437
7.	गुजरात	82283	70571	64721
8.	हरियाणा	27504	23489	21604
9.	हिमाचल प्रदेश	16434	15933	9252
10.	जम्मू-कश्मीर	9344	8523	6876
11.	कर्नाटक	41614	39755	34173
12.	केरल	19544	16471	13435
13.	मध्य प्रदेश	69700	57426	52333
14.	महाराष्ट्र	71101	47131	39663
15.	मणिपुर	4574	4403	3642
16.	मेघालय	3972	3701	3105
17.	मिजोरम	3172	3172	3064
18.	नागालैंड	1529	1499	1499
19.	उड़ीसा	67343	60844	55269
20.	पंजाब	47112	45279	38712
21.	राजस्थान	53462	50950	47026
22.	सिक्किम	756	747	690

1	2	3	4	5
23.	तमिलनाडु	57827	55611	52550
24.	त्रिपुरा	1272	1250	1042
25.	उत्तर प्रदेश	108989	108131	97610
26.	प. बंगाल	52196	50349	42525
27.	अंडमान निकोबार	594	588	218
28.	चंडीगढ़	1034	630	448
29.	दादर और नागर हवेली	1140	1042	807
30.	दमन द्वीव	1173	543	467
31.	दिल्ली	6050	6042	5406
32.	लक्षद्वीप	76	17	13
33.	पांडिचेरी	1548	989	881
34.	छत्तीसगढ़	30141	22374	20573
35.	उत्तरांचल	11444	11141	10079
36.	झारखंड	18289	15205	13397
	कुल	997998	891802	785862

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

1942. श्री प्रभुनाथ सिंह:

श्री संतोष गंगवार:

श्री विजय कुमार मल्होत्रा:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उन गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए राज्य-वार कितने गांवों का चयन किया गया है; और

(ङ) कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा कार्यक्रम कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) अप्रैल, 2005 में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आरंभ की गई, जिसमें वर्ष 2009 तक देश के सभी गांवों के विद्युतीकरण एवं सभी ग्रामीण घरों को बिजली उपलब्ध करवाने की परिकल्पना की गई। योजना के दिशा-निर्देशों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) लि. की रिपोर्ट के अनुसार 594084 गांवों में से 477013 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, शेष 116038 गांवों का विद्युतीकरण 31-1-2006 तक किया जाएगा। 31-1-2006 तक की स्थिति के अनुसार गांवों के विद्युतीकरण संबंधी राज्यवार स्थिति का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत शेष गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण के अतिरिक्त (गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के 25,000 गांवों के दूरस्थ गांव विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्रदान करने के कार्यक्रम के अंतर्गत कवर गांवों को छोड़कर) पहले से विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण संबंधी कार्य को भी 2009 तक पूरा किया जाना है।

(ङ) कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18-3-2005 के अनुसार, आर.जी.जी.वी.वाई. योजना के परिव्यय का अनुमान 16,000 करोड़ रुपये है। कार्यक्रम के चरण-I के क्रियान्वयन हेतु 5000 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन 10वीं योजनावधि के दौरान पूंजीगत सहायता निधि के रूप में किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन में 2009 तक देश के सभी घरों को बिजली उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामीण बिजली अवसंरचना के सृजन की परिकल्पना की गई है।

विवरण-I

विषय : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना - ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं आवासों के विद्युतीकरण की योजना

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) के अंतर्गत 5 वर्षों में सभी को बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना - ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं एवं आवासों के विद्युतीकरण की योजना" को राष्ट्रपति के अनुमोदन की सूचना दी जाती है।

1. यह योजना रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आर.ई.सी.) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

2. इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की समग्र लागत की 90 प्रतिशत पूंजी, सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।

3. 10वीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के प्रथम चरण का कार्यान्वयन करने हेतु 5000 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी का वर्तमान अनुमोदन दिया गया है।

4. राज्यों को विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी होंगी तथा ग्रामीण एवं शहरी आवासों के बीच आपूर्ति के घंटों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए।

5. योजना के अधीन परियोजनाओं को पूंजी सब्सिडी की पात्रता के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति से पूर्व राज्यों से निम्न प्रतिबद्धताएं प्राप्त करनी होंगी:

   (i) इस योजना के अधीन वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रैंचाइजियों की नियुक्ति, एवं

   (ii) जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन अपेक्षित है, राज्य संगठनों को अपेक्षित राजस्व सब्सिडी का प्रावधान "

6. **योजना का कार्यक्षेत्र**

योजना के अधीन परियोजनाओं को पूंजी सब्सिडी के साथ निम्न प्रावधान करने के लिए वित्तपोषित किया जा सकता है:-

7.1 **ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आर.ई.डी.बी.)**

➤ ब्लाकों में उपयुक्त क्षमता एवं लाइनों के साथ 33/11 केवी (या 66/11 केवी) उप-केंद्रों का प्रावधान, जहां ये विद्यमान नहीं है।

7.2 **ग्राम विद्युतीकरण बुनियादी सुविधाओं (वी.ई.आई.) का सर्जन**

➤ अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण।

➤ अविद्युतीकृत वास-स्थलों का विद्युतीकरण।

➤ विद्युतीकृत गांवों/वास-स्थलों में उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रावधान।

7.3 **विकेंद्रित वितरित उत्पादन (डी.डी.जी.) एवं आपूर्ति**

ऐसे गांवों के लिए जहां ग्रिड से जोड़ना या तो व्यवहार्य नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है, बशर्ते कि इन्हें गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के 25,000 गांवों के अपने दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अधीन गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युतीकरण के लिए शामिल न किया गया हो, परंपरागत स्रोतों से विकेंद्रित उत्पादन एवं वितरण।

7.4 **आर.ई.डी.बी., वी.ई.आई. एवं डी.डी.जी. कृषि एवं निम्नलिखित अन्य गतिविधियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा:**

– सिंचाई पंपसेट

– लघु एवं मध्यम उद्योग

– खादी एवं ग्राम उद्योग

– कोल्ड चेन

– स्वास्थ्य देखभाल

– शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी

यह समग्र ग्रामीण विकास, रोजगार के सर्जन एवं गरीबी उन्मूलन में सहायक होगा।

7.5 **गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण आवासों का विद्युतीकरण:**

सभी ग्रामीण वास स्थलों में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण करने के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानकों के अनुसार उन्हें 100 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी से वित्तपोषित किया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर के आवासों के स्वामियों को अपने कनेक्शन लेने के लिए निर्धारित कनेक्शन प्रभार का भुगतान करना होगा तथा इस प्रयोजन के लिए कोई सब्सिडी उपलब्ध नहीं होगी।

पैराग्राफ 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 मिलाकर घटकों की समग्र सब्सिडी पूर्ण रूप से परियोजना लागत के 90 प्रतिशत के अंदर रखी जानी चाहिए। सभी गांवों एवं आवासों के लिए विभिन्न घटकों का समग्र लागत अनुमान अनुबंध-I में दिया गया है।

7.6 यह परियोजना पूरे देश के लिए है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों एवं मकानों, जहां बिजली पहुंच गई है, का विवरण अनुबंध-II एवं अनुबंध-III में दिया गया है।

8. **फ्रैंचाइजी**

फ्रैंचाइजी, जो गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.), उपभोक्ता संघ, सहकारी समितियां या व्यक्तिगत उद्यमी हो सकते हैं, के जरिए ग्रामीण वितरण के प्रबंधन में, पंचायत संस्थानों को संबद्ध किया जाएगा। फ्रैंचाइजी व्यवस्था उप केंद्र से और उससे बाहर अथवा वितरण ट्रांसफार्मर और वहां से फीडरों की प्रणाली के लिए की जा सकती है।

9. **राजस्व प्रवाह**

उपभोक्ता मिश्रण एवं वर्तमान उपभोक्ता शुल्क एवं संभावित लोड के आधार पर फ्रैंचाइजियों के लिए थोक आपूर्ति शुल्क (बी.एस.टी.), उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के बाद तय किया जाएगा। जहां भी व्यवहार्य है, बी.एस.टी. तय करने के लिए बोली के प्रयास किए जाएंगे। राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.) को राज्य संगठनों द्वारा प्रस्तुत उनके राजस्व अपेक्षा प्रस्तावों में एवं शुल्क निर्धारण के लिए थोक आपूर्ति शुल्क को ध्यान में रखा जाएगा। यदि राज्य सरकार उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को एस.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क पर बिजली देना चाहती है तो उन्हें राज्य संगठनों को विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित राजस्व सब्सिडी प्रदान करनी होगी। योजना को लागू करते समय राज्य सरकारों से निम्न के बारे में पूर्व प्रतिबद्धताएं ले ली जाएं:-

(क) फ्रैंचाइजियों के लिए थोक आपूर्ति शुल्क का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके।

(ख) जैसा कि विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है राज्य संगठनों को राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित राजस्व सब्सिडी का प्रावधान।

10. इस योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के लिए पूंजी सब्सिडी आर.ई.सी. के माध्यम से दी जाएगी। ये पात्र परियोजनाएं उपर्युक्त दर्शाई गई शर्तों को पूरा करने के बाद कार्यान्वित की जाएंगी। उपर्युक्त शर्तों के अनुसार यदि परियोजनाएं संतोषजनक रूप से कार्यान्वित नहीं की जाती तो पूंजी सब्सिडी को ब्याज वाले ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है।

11. ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के निष्पादन में सहायता के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) की सेवाएं राज्य सरकारों को उनकी इच्छा एवं आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जाएंगी। कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन क्षमताओं में संवर्धन की दृष्टि से आर.ई.सी. ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. एवं दामोदर वैली कारपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि जो राज्य इनकी सेवाओं का प्रयोग करने के इच्छुक हों वे इनकी परियोजना प्रबंधन की सुविज्ञता एवं क्षमताओं का लाभ उठा सकें। इसका एक समुचित त्रिपक्षीय करार के जरिए प्रचालन किया जा रहा है।

12. इस योजना के अंतर्गत कुल सब्सिडी की 1 प्रतिशत तक की राशि संबद्ध कार्य/अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, क्षमता निर्माण, सूचना प्रणाली विकास से संबंधित कार्यक्रम के प्रयासों, जागरूकता एवं अन्य प्रशासनिक एवं संबद्ध व्ययों तथा इस ग्राम विद्युतीकरण योजना के प्रायोगिक अध्ययन एवं पूरक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है।

13. इस योजना में वर्तमान "एक लाख गांवों एवं एक करोड़ मकानों का त्वरित विद्युतीकरण" की योजना एवं "ग्रामीण

विद्युतीकरण के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" का विलय हो जाएगा।

14. यह योजना मूल्यांकन के अधीन होगी। 11वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए जिन सुधारों की आवश्यकता होगी, उनकी बृहत् समीक्षा 10वीं योजना के अंत में की जाएगी।

15. उपर्युक्त योजना में शामिल खर्च को वर्ष 2004-05 के लिए विद्युत मंत्रालय अनुदान सं. 73 के अधीन निम्नलिखित शीर्ष एवं बाद के वर्षों के लिए तदनुसार लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

2801	विद्युत (मुख्य शीर्ष)
06.796	ग्रामीण विद्युतीकरण
3-	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन
03.00.33-	सब्सिडी

16. यह वित्त स्कंध की सहमति से उनकी डायरी सं. 3766/2005-जे.एस. एंड एफ.ए., दिनांक 18 मार्च, 2005 द्वारा जारी किया जा रहा है।

ह./-

(अजय शंकर)

अपर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 23715378

सेवा में,

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव।
2. सभी राज्यों के सचिव, विद्युत/ऊर्जा।
3. सभी राज्यों (संगठनों) के अध्यक्ष।
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आर.ई.सी., स्कोप कांप्लेक्स, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि

1. प्रधानमंत्री का कार्यालय, साऊथ ब्लाक, नई दिल्ली।
2. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, (योजना वित्त), नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
5. सचिव, योजना आयोग, नई दिल्ली।
6. सचिव, गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. सचिव, पंचायती राज विभाग, नई दिल्ली।
9. सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी., पावर ग्रिड, डी.वी.सी. के प्रबंध निदेशक।
12. सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव/विशेष सचिव (विद्युत)/अपर सचिव (जी.सी.) के निजी सचिव।
13. विद्युत मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव/सभी निदेशक/सभी उप सचिव।

ह./-

(अजय शंकर)

अपर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 23715378

अनुबंध-I

ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं एवं गांवों के विद्युतीकरण की योजना

योजना का लागत अनुमान

(करोड़ रुपये में)

1. 125,000 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, जिसमें ग्रामीण विद्युत वितरण बैंक बोन (आर.ई.डी.बी.) एवं ग्रामीण विद्युतीकरण बुनियादी सुविधाएं (वी.ई.आई.) तथा ग्रिड से सबसे दूर के आखिरी वाले 10 प्रतिशत मकानों को विद्युतीकृत करने पर 6.50 लाख रु. प्रति गांव की दर से खर्च	8,125
2. गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण आवासों का विद्युतीकरण (आर.एच.ई.) अर्थात् 7.8 करोड़ अविद्युतीकृत आवासों के 30 प्रतिशत यानि	3,510

2.34 करोड़ आवासों को 1,500/- रु. प्रति आवास/वास-स्थल की दर से कुटीर ज्योति कनेक्शन प्रदान करने पर खर्च

3. अविद्युतीकृत वास-स्थलों वाले पहले से विद्युतीकृत गांवों में बैक बोन नेटवर्क के संवर्धन हेतु 4.62 लाख गांवों के लिए एक लाख रु. प्रति गांव की दर से 4,620

कुल (1+2+3) 16,255

योजना के लिए परिव्यय 16,000

मद सं. 1 एवं 3 के लिए 90 प्रतिशत की दर से एवं मद सं. 2 के लिए 100 प्रतिशत की दर से सब्सिडी घटक 14,750

सब्सिडी घटक, जिसे परिव्यय के 1 प्रतिशत की दर से अलग रखा जाना है, ताकि प्रौद्योगिकी विकास आदि गतिविधियां चलाई जा सकें। 160

अनुबंध-II

31-3-2004 को ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	1991 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले गांवों की सं.	विद्युतीकृत गांवों की कुल सं.	शेष अविद्युतीकृत गांव	विद्युतीकृत गांवों का %
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	26586	26565	$	100
2.	अरुणाचल प्रदेश	3649	2335	1314	64
3.	असम	24685	19081	5604	77.30
4.	बिहार	38475	19251	19224	50
5.	झारखंड	29336	7641	21695	26
6.	गोवा	360	360	-	100
7.	गुजरात	18028	17940	$	100
8.	हरियाणा	6759	6759	-	100
9.	हिमाचल प्रदेश	16997	16891	106	99.38
10.	जम्मू-कश्मीर	6477	6301	176	97.28
11.	कर्नाटक	27066	26771	295	98.91
12.	केरल	1384	1384	-	100
13.	मध्य प्रदेश	51806	50474*	1332	97.43
14.	छत्तीसगढ़	19720	18532	1188	94
15.	महाराष्ट्र	40412	40351	$	100

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	2182	2043	139	93.63
17.	मेघालय	5484	3016	2468	55
18.	मिजोरम	698	691	7	99
19.	नगालैंड	1216	1216	-	100
20.	उड़ीसा	46989	37663	9326	80.15
21.	पंजाब	12428	12428	-	100
22.	राजस्थान	37889	37276	613	98.38
23.	सिक्किम	447	405	42	90.60
24.	तमिलनाडु	15822	15822	-	100
25.	त्रिपुरा	855	818	37	95.67
26.	उत्तर प्रदेश	97122	57042	40080	58.73
27.	उत्तरांचल	15681	13131	2550	83.73
28.	पश्चिम बंगाल	37910	31705	6205	83.63
	जोड़ (राज्य)	586463	473892	112401	80.80
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1093	1090	$	100%
	अखिल भारतीय	587556	474982	112401*	80.80%

$ शेष गांव विद्युतीकरण के लिए व्यवहार्य नहीं

* ग्राम विद्युतीकरण की नई परिभाषा (2004-05 से प्रभावी) के अनुसार अविद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या 1,25,000 के आसपास होने का अनुमान है।

अनुबंध-III

ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण-2001 की जनगणना

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण घरों की संख्या	वे घर जिनमें बिजली है	विद्युतीकृत गांवों का %	अविद्युतीकृत घरों का %
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12,676,218	7,561,735	59.65	40.35

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	164,501	73,250	44.53	55.47
3.	असम	4,220,173	697,842	16.54	83,46
4.	बिहार	12,660,007	649,503	5.13	94.87
5.	छत्तीसगढ़	3,359,078	1,548,926	46.11	53.89
6.	दिल्ली	169,528	144,948	85.50	14.50
7.	गोवा	140,755	130,105	92.43	7.57
8.	गुजरात	5,885,961	4,244,758	72.12	27.88
9.	हरियाणा	2,454,463	1,926,814	78.50	21.50
10.	हिमाचल प्रदेश	1,097,520	1,036,969	94.48	5.52
11.	जम्मू-कश्मीर	1,161,357	868,341	74.77	25.23
12.	झारखंड	3,802,412	379,987	9.99	90.01
13.	कर्नाटक	6,675,173	4,816,913	72.16	27.84
14.	केरल	4,942,550	3,238,899	65.53	34.47
15.	मध्य प्रदेश	8,124,795	5,063,424	62.32	37.68
16.	महाराष्ट्र	10,993,623	7,164,057	65.17	34.83
17.	मणिपुर	296,354	155,679	52.53	47.47
18.	मेघालय	329,678	99,762	30.26	69.74
19.	मिजोरम	79,362	35,028	44.14	55.86
20.	नागालैंड	265,334	150,929	56.88	43.12
21.	उड़ीसा	6,782,879	1,312,744	19.35	80.65
22.	पंजाब	2,775,462	2,482,925	89.46	10.54
23.	राजस्थान	7,156,703	3,150,556	44.02	55.98
24.	सिक्किम	91,723	68,808	75.02	24.98
25.	तमिलनाडु	8,274,790	5,890,371	71,18	28.82
26.	त्रिपुरा	539,680	171,357	31.75	68.25
27.	उत्तर प्रदेश	20,590,074	4,084,288	19.84	80.16

1	2	3	4	5	6
28.	उत्तरांचल	1,196,157	602,255	50.35	49.65
29.	पश्चिम बंगाल	11,161,870	2,262,517	20.27	79.73
संघ शासित राज्य					
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप	49,653	33,807	68.09	31.91
2.	चंडीगढ़	21,302	20,750	97.41	2.59
3.	दादरा व नगर हवेली	32,783	27,088	82.63	17.37
4.	दमन व दीव	22,091	21,529	97.46	2.54
5.	लक्षद्वीप	5,351	5,337	99.74	0.26
6.	पांडिचेरी	72,199	58,486	81.01	18.99
	अखिल भारत	138,271,559	60,180,685	43.52	56.48

विवरण-II

31-1-2006 के अनुसार राज्यवार ग्राम विद्युतीकरण

क्र.सं.	स्थिति	2001 की जनगणना के अनुसार बसे हुए गांवों की संख्या	31-3-2005 के अनुसार विद्युतीकृत कुल गांवों की संख्या	आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 2005-06 के दौरान विद्युतीकृत गांव (31-1-06 तक)	शेष अविद्युतीकृत गांव
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	26613	26565	-	$
2.	अरुणाचल प्रदेश	3863	2335	-	1528
3.	असम	25124	19081	-	6043
4.	बिहार	39015	19251	840	18924
5.	झारखंड	29354	7641	-	21713
6.	गोवा	347	347	-	-
7.	गुजरात	18066	17940	-	$
8.	हरियाणा	6764	6759	-	-

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	17495	16891	-	604
10.	जम्मू-कश्मीर	6417	6001	-	416
11.	कर्नाटक	27481	26771	-	710
12.	केरल	1364	1364	-	-
13.	मध्य प्रदेश	52117	50474	-	1643
14.	छत्तीसगढ़	19720	18532	-	1188
15.	महाराष्ट्र	41095	40351	-	-
16.	मणिपुर	2315	2043	-	272
17.	मेघालय	5782	3016	-	2766
18.	मिजोरम	707	691	-	16
19.	नागालैंड	1278	1216	-	-
20.	उड़ीसा	47529	37663	-	9866
21.	पंजाब	12278	12278	-	-
22.	राजस्थान	39753	37276	-	2477
23.	सिक्किम	450	405	-	$
24.	तमिलनाडु	15400	15400	-	-
25.	त्रिपुरा	858	818	-	40
26.	उत्तर प्रदेश	97942	57042	1898	39002
27.	उत्तरांचल	15761	13131	-	2630
28.	पश्चिम बंगाल	37945	31705	40	6200
29.	दिल्ली	158	158		0
	कुल (राज्य)	592991	473145	2778	116038
	कुल यूटी	1093	1090	-	$
	सभी आंकड़े मेगावाट में	594084	474235	2778	116038

$ शेष गांव विद्युतीकरण के लिए व्यवहार्य नहीं हैं।

स्रोत: सी.ई.ए. व जनगणना रिपोर्ट

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कोयला भंडार

1943. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) के अंतर्गत कोयला भंडारों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन भंडारों में कोकिंग कोल तथा गैर-कोकिंग कोल की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) झरिया कस्बे के नीचे स्थित कोयले की मात्रा कितनी है;

(घ) क्या कस्बे से छेड़छाड़ किए बिना इस कोयले को निकालने के लिए कोई उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) दिनांक 1-1-2006 (1200 मी. गहराई तक) की स्थिति के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) के अंतर्गत भू-गर्भीय कोयला भंडारों का क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क. **झरिया कोलफील्ड**

प्राइम कोकिंग कोयला - 4694.89 मिलियन टन

मीडियम कोकिंग कोयला - 5496.66 मिलियन टन

गैर-कोकिंग कोयला - 6654.23 मिलियन टन

कुल झरिया कोलफील्ड - 16845.78 मिलियन टन

(इसमें झरिया कोलफील्ड के गैर-सी.आई.एल. ब्लॉकों के लगभग 3091.72 मिलियन टन भू-गर्भीय कोयला भंडार शामिल है)।

ख. **रानीगंज कोलफील्ड (सी.वी. क्षेत्र)**

प्राइम कोकिंग कोयला - शून्य

मीडियम कोकिंग कोयला - 321.82 मिलियन टन

गैर-कोकिंग कोयला - 1085.35 मिलियन टन

कुल झरिया कोलफील्ड - 1407.17 मिलियन टन

ग. **कुल बी.सी.सी.एल. (क + ख)**

प्राइम कोकिंग कोयला - 4694.89 मिलियन टन

मीडियम कोकिंग कोयला - 5818.48 मिलियन टन

नॉन-कोकिंग कोयला - 7739.58 मिलियन टन

कुल जोड़ - बी.सी.सी.एल. - 18252.95 मिलियन टन

(ख) बी.सी.सी.एल. के अधीन भंडारों में कोकिंग कोयले तथा गैर-कोकिंग कोयले की प्रतिशतता निम्नानुसार है:-

कोकिंग कोयले का प्रतिशत	**गैर-कोकिंग कोयले का प्रतिशत**
झरिया कोलफील्ड	झरिया कोलफील्ड:
प्राइम कोकिंग: 27.86%	
मीडियम कोकिंग: 32.63%	
रानीगंज कोलफील्ड	रानीगंज कोलफील्ड: 77.13%
मीडियम कोकिंग: 22.87%	
कुल:बी.सी.सी.एल.	कुल:बी.सी.सी.एल.: 42.40%
प्राइम कोकिंग: 25.72%	
मीडियम कोकिंग: 31.88%	

(ग) कोयले की जो मात्रा झरिया कस्बे के नीचे है, वह लगभग 160.00 मिलियन टन है।

(घ) 14 बड़े संस्तरों वाली 18 कोयला सीमें हैं और सभी 14 बड़े संस्तरों की कुल मोटाई लगभग 80 मीटर है। इसलिए कस्बे से छेड़छाड़ किए बिना अत्यधिक मोटी सीमों का उत्खनन करना संभव नहीं प्रतीत होता है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु धनराशि

1944. श्री श्रीचन्द्र कृपलानी:

श्री भंवर सिंह डांगावास:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु कोई मानदंड/मापदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को आई.आर.सी. मानदंड के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की मोटाई के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के नवीकरण/मरम्मत और रखरखाव की अनुमानित लागत कितनी है और इस उद्देश्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय सड़क कांग्रेस और भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। किसी विशिष्ट मानक के अभाव की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाता है।

(ग) और (घ) कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग जिन्हें 9वीं और 10वीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने से पहले राज्यीय सड़कें थीं, में सतह की मोटाई, सड़क ज्यामिति, लेन की चौड़ाई, कमजोर और संकरे पुलों आदि जैसे अनेक खामियां थीं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। सड़कों के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, गुणता में सुधार, कमजोर और संकरे पुलों के निर्माण, बाइपासों के निर्माण आदि के रूप में विकास/सुधार कार्य पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात की मात्रा और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न वार्षिक योजनाओं में चरणबद्ध रूप से किए जा रहे हैं।

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा चालू वर्ष (जनवरी, 2006 तक) सहित गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के नवीकरण/मरम्मत और अनुरक्षण के लिए आबंटित/जारी की गई धनराशि 263.74 करोड़ रु. है।

[अनुवाद]

मिलेनियम वृद्धि लक्ष्य

1945. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के संबंध में यू.एन. की एक रिपोर्ट के अनुसार मिलेनियम वृद्धि लक्ष्य तभी हासिल किए जा सकते हैं जब हम गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या में व्यापक रूप से कमी लाएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का वर्तमान स्तर क्या है और मिलेनियम वृद्धि लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या के उत्थान में नेशनल एम्पलॉयमेन्ट पॉवर्टी एक्ट किस सीमा तक सहायक होगा; और

(ङ) मिलेनियम वृद्धि लक्ष्य की तुलना में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत क्या घटक निर्धारित किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) "दि मिलेनियम डिवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2005" शीर्षक से प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, 1990 के दशक में एशिया में अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या में कमी आने का मुख्य कारण चीन में सतत् विकास का होना और भारत में अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि मिलेनियम विकास लक्ष्यों में, गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण, बाल मृत्यु-दर, मातृ स्वास्थ्य, एच.आई.वी./एड्स, पर्यावरण सततता तथा विकास संबंधी वैश्विक भागीदारी इत्यादि सहित बहुत से क्षेत्र शामिल हैं। तथापि, इन अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति आवश्यक रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कमी से संबंधित नहीं है।

(ग) मिलेनियम विकास लक्ष्यों का उद्देश्य वर्ष 1990 के लोगों के अनुपात की तुलना में वर्ष 2015 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात को कम करके आधा करने का है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के फरवरी, 2006 में जारी किए गए "मिलेनियम विकास लक्ष्य-वर्ष 2005 के लिए इण्डिया कन्ट्री रिपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित प्रकाशन के अनुसार अत्यधिक गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात, जो वर्ष 1990 में लगभग 37.5 प्रतिशत था, को वर्ष 2015 तक कम करके 18.75 प्रतिशत तक लाना चाहिए। वर्ष 1990-2000 की स्थिति के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 26.1 प्रतिशत था। दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत को वर्ष 2006-07 तक कम करके 19.3 प्रतिशत तक लाने का है।

(घ) और (ङ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए ऐसा कोई राष्ट्रीय रोजगार गरीबी अधिनियम नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में प्रत्येक परिवार के उन सदस्यों के लिए, जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, 100 दिन के रोजगार की गारंटी संबंधी व्यवस्था है। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई स्कीमों के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी के हकदार होंगे अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मजदूरी दर नियत किए जाने तक, कामगार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य द्वारा कृषि कामगारों के लिए नियत न्यूनतम मजदूरी के हकदार होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों सहित सभी ग्रामीण परिवार यह लाभ उठा सकते हैं। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या पर इस अधिनियम के संभावित प्रभाव का कोई अनुमान नहीं है।

विस्थापित लोगों द्वारा आन्दोलन

1946. **श्री जुएल ओराम:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) के अंतर्गत तलचर और अन्य स्थानों में विस्थापित लोग अपने पुनर्वास के लिए आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) महानदी कोलफील्ड्स लि. कोल इंडिया लि. की पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति का पालन करती है। जब कभी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो पुनर्वास और पुनर्स्थापन का कार्य कोल इंडिया लि. की नीति के अनुसार किया जाता है। इससे संतुष्ट न होने वाले कुछ विस्थापित व्यक्तियों ने समय-समय पर आर्थिक नाकेबंदी/आन्दोलन किए हैं।

(ग) एम.सी.एल. के प्रतिनिधियों और संबंधित जिला के कलेक्टर की समिति के माध्यम से संयुक्त रूप से भू-वंचितों में पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए लाभग्राहियों का पता लगाया जाता है। प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ राजस्व प्रभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में पुनर्वास सलाहकार समिति है, जिसमें एम.सी.एल. के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के अतिरिक्त माननीय संसद सदस्य और एम.एल.ए. भी सदस्य हैं। पुनर्वास सलाहकार समिति की बैठक में, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता है और शिकायतें दूर की जाती हैं।

एम्स में शिशु शल्यक्रिया के मामले

1947. **डा. के.एस. मनोज:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एम्स के शिशु शल्यक्रिया विभाग में कितने बाहरी मरीजों का इलाज किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार, बड़ी शल्यक्रिया और छोटी शल्यक्रिया-वार कितने शिशु शल्यक्रिया आपरेशन किए गए;

(ग) एम्स के शिशु शल्यक्रिया विभाग में बेडों की संख्या कितनी है;

(घ) इस वर्ष के लिए शल्यक्रिया हेतु कितने मामले प्रतीक्षा सूची में है;

(ङ) इस प्रतीक्षा सूची को कब तक समाप्त किए जाने की संभावना है;

(च) क्या एम्स के शिशु शल्यक्रिया विभाग के विकास/सुधार हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (छ) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पानीपत के ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की आपूर्ति

1948. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) पानीपत में ताऊ देवीलाल ताप विद्युत केन्द्र को कम गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उक्त विद्युत केन्द्र को गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पानीपत के ताऊ देवीलाल तापीय विद्युत स्टेशन को घटिया कोयले की आपूर्ति की कोई शिकायत नहीं है। कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है और विद्युत स्टेशनों को कोयले की अच्छी किस्म की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. सहित सभी कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) खनन के समय सम्मिश्रण से बचने के लिए ओवरबर्डन बैंचों को कोयला बैंचों के आगे रखा जाता है।

(2) विद्युत स्टेशनों को शत-प्रतिशत आकारीकृत कोयले का प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए, जहां अपेक्षित है, अतिरिक्त फीडर ब्रेकर्स स्थापित किए जाते हैं।

(3) विभिन्न स्थानों अर्थात कोयला स्टाक-यार्ड, कोयला रख-रखाव संयंत्र में धीमी गति वाले बैल्ट पर और लदे हुए वैगनों पर स्लेटी पत्थर/असंगत सामग्री हटायी जाती है।

क्रायोजीनिक इंजन

1949. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली आयातित क्रायोजीनिक इंजनों पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार क्रायोजीनिक इंजनों के देश में विनिर्माण के लिए कोई अनुसंधान कार्यक्रम चला रही है;

(ग) यदि हां, तो स्वदेशी क्रायोजीनिक इंजनों को विनिर्मित करने की क्षमता कब तक हासिल किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या भारतीय अंतरिक्ष वाहनों को स्वदेशी क्रायोजीनिक इंजनों से प्रक्षेपित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) हम अपने सुदूर संवेदन उपग्रहों को ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) के माध्यम से प्रमोचित करने में आत्म-निर्भर हैं। संचार उपग्रहों के प्रमोचन के संबंध में दो टन भार वर्ग के संचार उपग्रहों को भू-तुल्यकाली अंतरण कक्षा में प्रमोचित करने की क्षमता सहित भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) प्रचालनात्मक है। जी.एस.एल.वी. इस समय इंजन सहित आयातित क्रायोजेनिक चरण का उपयोग करता है।

(ख) और (ग) जी, हां। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन पहले ही विकसित किया जा चुका है और भू-फायरिंग में इनकी अर्हता परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। टैंकों, संघटक मॉड्यूलों जैसे विविध चरण संबंधी अवयवों को भी विकसित किया गया है और चरण को समेकित किया गया है। इस अवस्था के चरणबद्ध परीक्षण की शुरुआत की गई है।

(घ) और (ङ) अपेक्षित अर्हता परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, उड़ान चरण 2006-07 के दौरान उड़ान परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

रोजगार के अवसरों का सृजन

1950. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजनावधि के दौरान प्रत्येक वर्ष दस मिलियन रोजगार अवसर लक्षित करने के लिए डा. एस.पी. गुप्ता द्वारा सुझाई गई रणनीतियों और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू योजनावधि के दौरान आज तक रोजगार के कितने अवसर सृजित किए गए हैं; और

(ग) चालू योजनावधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा सितम्बर 2001 में गठित विशेष दल ने प्रत्येक वर्ष दस मिलियन रोजगार अवसरों को सृजित करने के लिए कार्यनीतियों और कार्यक्रमों के लिए सुझाव दिया था जिसका योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में उपयोग किया गया था। इसकी एक प्रति संसदीय ग्रन्थागार में रखी गयी है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एम.टी.ए.) में यह अनुमान लगाया गया है कि चालू दैनिक स्थिति के आधार पर रोजगार अवसर वर्ष 2001-02 में 344.68 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 362.64 मिलियन हो गए हैं।

मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज में सतत रोजगार रणनीति संबंधी दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है और संगत नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख है। इस दस्तावेज की एक प्रति संसदीय ग्रन्थागार में भी रख दी गई है।

विद्युत उत्पादन लक्ष्य

1951. श्री रायापति सांबासिवा राव:

श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत चालू वर्ष के दौरान 2500 मेगावाट से ज्यादा के विद्युत उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2006-07 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) विद्युत क्षेत्र के खराब निष्पादन का जी.डी.पी. वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) वर्ष 2005-06 के लिए 6984.52 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य की तुलना में अब तक 3015 मे.वा. क्षमता पहले ही चालू की जा चुकी है। 2005-06 की शेष अवधि में 2066 मे.वा. क्षमता की अभिवृद्धि की संभावना है। क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य हासिल नहीं कर पाने के मुख्य कारण निम्नलिखित है:-

(i) टी 1 और टी 2 सुरंगों के बंद नहीं होने के कारण दुलहस्ती एच.ई.पी. के संबंध में कार्यों में धीमी प्रगति तथा टिहरी एच.ई.पी. का आरंभ नहीं होना।

(ii) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संयंत्रों एवं मशीनरी की आपूर्ति में विलंब।

(iii) गैस अनुपलब्धता।

(iv) राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब।

(ग) वर्ष 2006-07 के लिए अनंतिम रूप से 18184 मे.वा. क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) सभी आर्थिक कार्यों में विद्युत एक महत्वपूर्ण घटक है। अतः सुदृढ़ आर्थिक तरक्की के लिए निर्बाध रूप से विद्युत की आपूर्ति होना एक आवश्यक शर्त है। विद्युत की अनुपलब्धता उत्पादकों को कैप्टिव विद्युत उत्पादन के लिए प्रबंध करने को मजबूर करती है, जो महंगा होता है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य की वृद्धि करता है।

(ङ) वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारित क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार है:-

(i) लक्ष्यों का निर्धारण परियोजनाओं को अभिज्ञात कर राज्यों एवं केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र यूनिटिलियों के परामर्श से किया जा रहा है।

(ii) मॉनीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ बनाया गया है। परियोजना प्राधिकारियों को सहायता देने एवं परियोजना कार्य में तेजी लाने के लिए सी.ई.ए. में परियोजना विशिष्ट समन्वयकर्ताओं को अभिज्ञात किया गया है।

(iii) बाधाओं का पता लगाने तथा सुधारकारी उपाय करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(iv) निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं का अधिकारीगण दौरा करते रहते हैं तथा परियोजना प्राधिकारियों के परामर्श से विभिन्न बाधाओं तथा उनका समाधान खोजा जाता है। इसके अलावा राज्य प्राधिकारियों के साथ बड़ी परियोजनाओं के लिए उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(v) बड़े उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन को विलंबित करने वाले बड़े अड़चनों के समाधान के लिए परियोजना स्थल पर कार्यरत बड़े ठेकेदारों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(vi) केन्द्रीय पी.एस.यू., बी.एच.ई.एल. तथा परियोजना प्राधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

कोयला खानों में दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा

1952. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खानों में दुर्घटनाओं से प्रभावित कामगारों के आश्रित परिवारों को मुआवजे में वृद्धि हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) कोयला खानों में दुर्घटनाओं से प्रभावित कामगारों

के आश्रित परिवारों को समय-समय पर यथा संशोधित कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। इस समय, मुआवजे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तथापि, 1-7-2001 से लागू राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एन.सी.डब्ल्यू.ए.)-VII, के अनुसार, कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत देय मुआवजे के अतिरिक्त, कार्य के कारण और रोजगार के दौरान दुर्घटना की वजह से मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में अनुग्रह राशि भुगतान को 25,000 रु. से बढ़ाकर 30,000 रु. कर दिया गया है।

सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में देय जीवन सुरक्षा योजना की राशि भी एन.सी.डब्ल्यू.ए.-VII में 30,000/- रु. से बढ़ाकर 40,000/- रु. कर दी गई है।

[हिन्दी]

झारखंड में सड़क को चार लेनों वाला बनाना

1953. श्री टेक लाल महतो: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड के जिला हजारीबाग के अंतर्गत बराही से पूर्वी सिंघभूम जिले के अंतर्गत बहाडागोडा तक सड़क को चार लेनों वाला बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) उक्त सड़क को चार लेनों वाला बनाने का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) रा.रा. 33 के बाराही (जिला-हजारीबाग)-हजारीबाग-रांची-जमशेदपुर सड़क खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर चार लेन का बनाने के लिए पहचान कर ली गई है। जमशेदपुर-बहाडागोडा (पूर्वी सिंहभूम जिला) जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III का भाग नहीं है, को निधियों की उपलब्धता और कार्य की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर चार लेन का बनाया जाएगा। बाराही-हजारीबाग-रांची खंड को चार लेन का बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है और रांची-जमशेदपुर खंड का कार्य प्रगति पर है। हजारीबाग-रांची सड़क खंड को चार लेन बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III क में शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III क को दिसंबर, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

तपेदिक के खतरे से निपटना

1954. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तपेदिक के मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट स्ट्रेन से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार एन.आई.आई., नई दिल्ली द्वारा हाल ही में जीन थिरेपी में हासिल की गई प्रौद्योगिकी संबंधी उपलब्धि का तपेदिक के खतरे से निपटने में उपयोग करने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) एम.डी.आर.-टी.बी. गलत/अनियमित/अपर्याप्त उपचार के कारण हो सकती है। यह अन्तरराष्ट्रीय रूप से मानी हुई बात है कि यदि अच्छी रोग मुक्ति दर के साथ अच्छा डॉट्स (प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षित लघुकालिक उपचार) कार्यक्रम चल रहा है तो एम.डी.आर.-टी.बी. को उभरने से रोक सकती है। डॉट्स का व्यापक इस्तेमाल करके एम.डी.आर. टी.बी. को इसकी शुरुआत में ही रोकना भारत सरकार की नीति रही है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) जिसके अन्तर्गत डॉट्स कार्यनीति का उपयोग किया जा रहा है, ने अच्छे परिणाम दिखाए हैं और सेवाओं को सुधार कर 10 टी.बी. रोगियों में से 8 से ज्यादा टी.बी. रोगियों को रोगमुक्त किया जा रहा है। कार्यक्रम के अधीन औषधों को प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अन्तर्गत दिया जाता है जिससे संपूर्ण और नियमित उपचार सुनिश्चित होता है, इस प्रकार एम.डी.आर.-टी.बी. को रोकता है। जनवरी, 2006 तक, डॉट्स कार्यनीति से 620 जिलों/रिपोर्टिंग यूनिटों में 1083 मिलियन जनसंख्या (97 प्रतिशत) लाभान्वित हुई है। अब केवल 14 जिलों को आर.एन.टी.सी.पी. कार्यान्वित करनी है। ये जिले तैयारी के अंतिम स्तर पर हैं और वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान पूरा देश आर.एन.टी.सी.पी. के अन्तर्गत कवर कर लिया जायेगा।

आर.एन.टी.सी.पी. नीति इस बात पर जोर देती है कि एम.डी.आर-टी.बी. का पता प्रयोगशाला में ही लगाया जाना चाहिए न कि चिकित्सक द्वारा मनमाने तरीके से क्लीनिक में। इस प्रकार आर.एन.टी.सी.पी. चरण-II के अन्तर्गत, सबसे पहले आर.एन.टी.सी.पी. द्वारा मान्यता प्राप्त गुणवत्ता आश्वासन मध्यस्थ संदर्भ प्रयोगशालाओं (आई.आर.एल.) जो आर.एन.टी.सी.पी. के लिए कल्चर और औषध संवेदी जांच (डी.एस.टी.) सेवाएं प्रदान करेंगी, का एक नेटवर्क स्थापित करने की योजना है। साथ-साथ, अन्तरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार डॉट्स प्लस स्थलों जो एम.डी.आर.-टी.बी. रोगियों को भर्ती करने और उनको परिचर्या प्रदान करने और उनका उपचार करने में सक्षम होंगे, का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में पूरे देश में कुल 24 डॉट्स प्लस स्थल इस दृष्टि से स्थापित किए जाएंगे कि आर.एन.टी.सी.पी. डॉट्स प्लस सेवाएं 2010 तक प्रति वर्ष कम से कम 5000 "नए" एम.डी.आर.-टी.बी. रोगियों का उपचार करने में सक्षम होंगे।

(ख) यह सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान के वैज्ञानिकों ने पांच जीनों की पहचान की है जिनसे माइकोबेक्ट्रीयम क्षयरोग, होता है जो वह बैक्ट्रिया है जिसके कारण क्षयरोग के बढ़ने और संक्रमण को बढ़ने को बल मिलता है। इस समूह के भीतर लक्षित जीन क्षयरोग और अन्य माइकोबेक्ट्रीयल संक्रमणों के विरुद्ध सम्भावित औषध विकास के लिए एक अच्छी कार्यनीति तैयार करेंगे। यह अनुसंधान बहुत आरम्भिक स्तर पर है।

(ग) चूंकि उपरोक्त अनुसंधान आरम्भिक स्तर पर है इसलिए इसके उपयोग के लिए कार्यवाही योजना तैयार करना संभव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य

1955. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की संभावनाओं के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में ये लक्ष्य हासिल किए जाएंगे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं, जहां दिसंबर, 2005 तक निर्धारित लक्ष्यों में से 75 प्रतिशत लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सके हैं; और

(ङ) इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, बाजार मूल्यों (1999-2000 के स्थिर मूल्यों) पर जी.डी.पी. विकास दर, दसवीं योजना अवधि के लिए निर्धारित 8.1 प्रतिशत के समग्र जी.डी.पी. विकास लक्ष्य के मुकाबले दसवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के लिए 7.2 प्रतिशत अनुमानित की गई है। यह उल्लेख किया जाता है कि वास्तविक उपलब्धियों के अनुमान नए आधार वर्ष 1999-2000 के लिए है।

(ख) से (घ) अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य क्षेत्रकों के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लक्ष्य/उपलब्धियां नीचे तालिका में दी गई हैं:

दसवीं योजना अवधि हेतु विकास लक्ष्य/उपलब्धियां

क्र. सं.	क्षेत्रक	दसवीं योजना लक्ष्य (2002-07)	विकास दर (2002-03 से 2005-06)*
1.	कृषि	4.0	1.4
2.	उद्योग	8.7	8.1
3.	सेवाएं	9.3	8.8
4.	जी.डी.पी. (बाजार मूल्यों पर)	8.1	7.2

*1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि दसवीं योजना लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 2006-07 में कृषि क्षेत्रक में 14 प्रतिशत तथा उद्योग एवं सेवाएं क्षेत्रक में 11 प्रतिशत की दर से विकास की आवश्यकता है। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि वर्ष 2005-06 तक मात्र कृषि क्षेत्रक ही दसवीं योजना विकास दर का 75 प्रतिशत हासिल नहीं कर पाया है।

कृषि विकास पर अनियमित मानसून वर्तमान सिंचाई एवं परम्परागत जल संग्रहण ढांचों के खराब रख-रखाव तथा जल संभर विकास हेतु अपर्याप्त तकनीकी दक्षता के अतिरिक्त सिंचाई, विद्युत एवं ग्रामीण अवसंरचना में अपर्याप्त सार्वजनिक

निवेश से बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त एन.पी. एण्ड के. उर्वरकों, अपर्याप्त विस्तार और क्रेडिट सहायता तथा कृषि-प्रसंस्करण सुविधाओं का असंतुलित उपयोग हुआ है।

(ङ) सरकार कृषि क्षेत्रक में विकास दर गिरने से अवगत है तथा कृषि क्षेत्रक की विकास दर में वृद्धि के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन मे निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं : सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना; जल संभर विकास और बंजर/अवक्रमित भूमि का सुधार; विकेन्द्रीकृत सिंचाई पद्धति के कार्यान्वयन हेतु जल हकदारी का प्रावधान; उपयुक्त तकनीकी इनपुट सहित माइक्रो सिंचाई। स्थानीय समुदायों को शामिल करने और भू-स्वामित्व के मुद्दे को हल करने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं की प्रकृति को और अधिक कार्यनीतिक बनाने तथा निजी क्षेत्रक में उपलब्ध दक्षता का दोहन करने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रसंस्करण और विपणन हेतु उपयुक्त अवसंरचनात्मक सहायता सहित गैर-कृषि ग्रामीण कार्यकलापों के साथ-साथ कृषि का बागवानी फसलों के रूप में विविधीकरण प्रस्तावित है। सरकार ने कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों हेतु परिव्यय बढ़ा दिया है। कृषि एवं सहकारिता विभाग का योजना परिव्यय वर्ष 2005-06 में 4179.32 करोड़ (बजट अनुमान) से बढ़ाकर वर्ष 2006-07 में 4800 करोड़ (बजट अनुमान) कर दिया गया है। पशुपालन, डेयरी व्यवसाय एवं मत्स्य पालन विभाग के मामले में मामले में वर्ष 2005-06 के 669.08 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय को बढ़ाकर वर्ष 2006-07 में 777 करोड़ रुपये कर दिया गया है तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के लिए योजना परिव्यय वर्ष 2005-06 में 1150 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2006-07 के लिए 1350 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के लिए बजटीय आवंटन वर्ष 2005-06 में 4800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2006-07 में 7121 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने भी वर्ष 2006-07 के अपने बजट भाषण में किसानों के लिए 7 प्रतिशत ब्याज दर से अल्पावधिक ऋण (क्रेडिट) देने की घोषणा की है। कृषि क्रेडिट जो वर्ष 2004-05 में 125,309 करोड़ रुपये था, के बढ़कर वर्ष 2005-06 में 141,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर जाने की आशा है तथा 2006-07 में इसके और बढ़कर 175,000 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। सिंचाई क्षेत्रक में, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सुधार किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि 'जल प्रयोक्ता' संगठनों के माध्यम से भागीदारी सिंचाई प्रबंधन हो सके।

फ्रांस के राष्ट्रपति का दौरा

1956. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
प्रो. एम. रामदास:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवसर पर हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके फलस्वरूप भारत को क्या लाभ होने की सम्भावनाएं हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, हां। फ्रांस के राष्ट्रपति श्री याक शिराक ने 19-21 फरवरी, 2006 तक भारत का दौरा किया।

(ख) और (ग) इस अवसर पर द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा हुई जिसमें आर्थिक एवं व्यावसायिक सम्पर्क, रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग, नागरिक परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, नागरिक विमानन एवं ऊर्जा शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुधारों और विकास के वित्तपोषण से संबंधित बहुपक्षीय मामलों पर भी चर्चा हुई थी। इससे भारत और फ्रांस के बीच उनके आपसी हित के क्षेत्रों में बेहतर सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

(घ) से (च) जी हां। इस दौरे के दौरान भारत-फ्रांस सहयोग के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कई करारों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए थे।

इसमें रक्षा सहयोग संबंधी एक करार और पर्यटन सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन शामिल है। रक्षा सहयोग संबंधी करार से रक्षा एवं सैन्य क्षेत्रों में सहयोग, रक्षा उद्योग, उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास तथा रक्षा सामग्री की प्राप्ति में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

पर्यटन सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करने, पर्यटन और यात्रा से संबंधित उद्योगों में मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने तथा दीर्घकालीन पर्यटन को विकसित करने के लिए लक्षित है।

यूटेलसेट के लिए संयुक्त रूप से एक उपग्रह का निर्माण करने हेतु इ.ए.डी.एस. आस्ट्रियम के साथ एन्ट्रिक्स (इसरो का व्यावसायिक हिस्सा) द्वारा एक करार हस्ताक्षरित किया गया था। यह एन्ट्रिक्स के तकनीकी एवं निर्यात क्षमताओं की एक अभिस्वीकृति है और इससे इसकी वृद्धि और विकास में आगे भी सहायता मिलेगी।

भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ने एसेक बिजनेस स्कूल, पेरिस के साथ एक एम.ओ.ए. पर हस्ताक्षर किया। यह इनकी वर्तमान साझेदारी को मजबूत बनाएगा और छात्रों तथा अनुसंधान एवं संकाय राहयोग के आदान-प्रदान के माध्यम से इसे अन्य गतिविधियों तक बढ़ाएगा।

ऊर्जा क्षमता और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिसिएन्सी, विद्युत मंत्रालय और इन्वायरमेंट एण्ड इनर्जी मैनेजमेंट एजेन्सी ऑफ फ्रांस के बीच एक सहयोग घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ था। इस सहयोग का तात्पर्य उपभोक्ताओं हेतु किफायती ऊर्जा सहित देश में ऊर्जा क्षमता को समृद्ध करना है।

साइन्सेस पो में एक भारतीय आर्थिक पद स्थापित करने के लिए साइन्सेस पो, पेरिस और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुआ था। भारतीय आर्थिक पद ख्यातिप्राप्त साइन्सेस पो संस्था के फ्रांसीसी छात्रों के बीच समकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बेहतर जागरूकता लाने में मदद करेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास संबंधी एक घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ था। यह घोषणा नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में फ्रांस के साथ भावी सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

उद्यमों के बीच सहयोग के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा अर्थव्यवस्था, वित्त एवं उद्योग मंत्रालय, फ्रांस गणराज्य के बीच एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर हुआ था। आशय पत्र के अन्तर्गत दोनों देश विशेषकर एस.एम.ई. सहित, भारतीय तथा फ्रांससी उद्यमों के बीच उद्योग, व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वित्त तथा निवेश के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने और बढ़ावा देने पर सहमत हो गए हैं।

43 एयरबस वायुयान हेतु इण्डियन एयरलाइन्स और एयरबस द्वारा एक क्रय संविदा पर हस्ताक्षर किया गया था।

बच्चों में कैंसर पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

1957. डा. के.एस. मनोज: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के बाल शल्य चिकित्सा विभाग ने बच्चों में कैंसर पर कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया;

(ग) क्या सरकार ने सम्मेलन के आयोजन के लिए कोई सहायता अनुदान प्रदान किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बालरोग शल्यचिकित्सा विभाग ने "बालरोग संघातिकताएं" विषयक एक अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 29-31 दिसम्बर, 2005 तक किया जिसमें नौ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी आयोजन के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग से 2.5 लाख रुपये का सहायता-अनुदान प्राप्त हुआ था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने भी 1.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी।

चिरकालिक बीमारियों हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

1958. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चिरकालिक बीमारियों हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चिरकालिक रोगियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सरकार का प्रस्ताव हृदय रोगों, आघात (स्ट्रोक) और मधुमेह के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव को कम करने के लिए कार्डियो वास्कुलर रोग (सी.वी.डी.) तथा मधुमेह की रोकथाम और नियंत्रण हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को शुरू तथा क्रियान्वित करने का है।

ऐसा अनुमान है कि चिरकालिक रोग सभी मौतें के 53 प्रतिशत तथा अक्षमता समायोजित जीवन वर्षों (डी.ए.एल.वाई.) के 44 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी हैं। सही-सही आंकड़े पाने के लिए भारत में कोई भी व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अपनी अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से एन.सी.डी., इसकी रोकथाम एवं नियंत्रण समेत विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देती रही है तथा गैर संचारी रोगों को बढ़ाने में योगदान देने वाले घटकों की पहचान करने के लिए अनुसंधानकार्य तथा विविध कार्यकलाप कर रही है।

एम.पी.एल.ए.डी. योजना के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि

1959. श्री रायापति सांबासिवा राव:

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास एम.पी.एल.ए.डी. योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को आबंटित की जाने वाली धनराशि में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एम.पी.एल.ए.डी. योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संसद सदस्यों की भागीदारिता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, निर्वाचित प्रतिनिधियों विशेषकर संसद सदस्यों का मुख्य कार्य विधायी है। कार्यपालिका सभी योजनाओं के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और प्रबोधन का कार्य करती है। कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी है। तथापि, संसद सदस्य, मौजूदा तंत्र, प्रणालियों और पद्धतियों के माध्यम से विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

एन.टी.पी.सी. की विद्युत परियोजनाएं

1960. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) ने महाराष्ट्र में कोई विद्युत परियोजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि राज्य में अत्यधिक कोयले के भण्डार हैं; और

(घ) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन के लिए इन भण्डारों की सम्पूर्ण क्षमता के दोहन के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) मिनिरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ सी.ई.ए. द्वारा किए गए विचार-विमर्श के अनुसार 600 मिलियन टन कोयला भण्डार उपलब्ध है।

(घ) विद्युत उत्पादन के लिए कोयला भण्डार का समुपयोजन उत्पादित कोयले की लागत और उसकी आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्यालयों को अनुदान

1961. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्यालयों हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के कई विद्यालयों को खेलकूद उपकरणों की खरीद और क्रीड़ास्थल के विकास हेतु सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-2005 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि और वास्तविक रूप से खर्च की गई राशि कितनी है?

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) "ग्रामीण स्कूलों को खेल उपस्कर की खरीद और खेल मैदान के विकास के लिए अनुदानों" की योजना के अंतर्गत राज्य-वार निधि का आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि स्कूलों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर 31-3-2005 तक ग्राह्य केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही थी; इसके बाद योजना को राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया। 2004-2005 के दौरान योजना के अंतर्गत खर्च की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2004-2005 (31-3-2005 तक की स्थिति के अनुसार) के लिए ग्रामीण स्कूलों को खेल उपस्कर की खरीद और खेल मैदान के विकास के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2004-2005 जारी की गई राशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.74
3.	असम	22.18
4.	बिहार	7.53
5.	छत्तीसगढ	3.32
6.	दिल्ली	0.00
7.	गोवा	1.08
8.	गुजरात	1.42
9.	हरियाणा	24.17
10.	हिमाचल प्रदेश	10.21
11.	जम्मू-कश्मीर	9.64
12.	झारखंड	0.00
13.	कर्नाटक	12.10
14.	केरल	15.48
15.	मध्य प्रदेश	13.67
16.	महाराष्ट्र	54.19
17.	मणिपुर	1.48
18.	मेघालय	9.37
19.	मिजोरम	0.00
20.	नागालैंड	3.80
21.	उड़ीसा	61.99
22.	पंजाब	0.63
23.	राजस्थान	18.76
24.	सिक्किम	0.00
25.	तमिलनाडु	3.70
26.	त्रिपुरा	0.40
27.	उत्तर प्रदेश	51.11
28.	उत्तरांचल	18.44
29.	प. बंगाल	127.15
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00
31.	चंडीगढ	0.00
32.	दादर व नागर हवेली	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00
34.	दमन व द्वीव	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00
	कुल	482.45

[हिन्दी]

कोयले पर रायल्टी

1962. श्री टेकलाल महतो: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ़ को कोयले के मूल्यों के आधार पर कोयले पर रायल्टी निर्धारित करने का कोई आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो कोयले पर रायल्टी की वर्तमान दर कितनी है और सम्भाव्य संशोधित दर कितनी होगी और संशोधित दर कब तक प्रभावी हो जाएगी;

(ग) रायल्टी की संशोधित दरों के क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) कोयले पर रायल्टी की संशोधित दरों के फलस्वरूप इन राज्यों को अनुमानतः कितना लाभ होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने कोयले पर रायल्टी की दरों को संशोधित किए जाने का अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार ने उन्हें सूचित कर दिया है कि कोयला और लिग्नाइट पर रायल्टी की दरों के संशोधन पर विचार करने के लिए अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में 2-6-2005 को एक समिति का गठन किया गया है। समिति को विभिन्न पणधारियों के विचार/टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। रायल्टी की वर्तमान दरें निम्नलिखित हैं-

(रु. प्रति टन)

कोयला समूह	13-2-1981* से कोयला रायल्टी दरें	16-8-2002 से कोयला रायल्टी दरें
1	2	3
ग्रुप-I कोकिंग कोयला एसजी-I, II, डब्ल्यूजी-I	7.00	250.00
ग्रुप-II		
कोकिंग कोयला डब्ल्यूजी-II,III	6.50	165.00
नॉन-कोकिंग ए,बी		
सेमी-कोकिंग ग्रेड-I,		
सेमी-कोकिंग ग्रेड-II		
ग्रुप-III	5.50	115.00
कोकिंग कोयला डब्ल्यूजी-IV,		
नॉन-कोकिंग-सी		
ग्रुप-IV	4.30	85.00
नॉन-कोकिंग डी, ई		
ग्रुप-V	2.50	65.00
नॉन-कोकिंग एफ, जी		
ग्रुप-VI		90.00
आंध्र प्रदेश में उत्पादित कोयला		

* यह दरें प. बंगाल राज्य सरकार पर लागू होती हैं क्योंकि वे उपकर लगाते रहे हैं।

(ग) खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के अनुसार, सरकार रायल्टी की दर को तीन वर्षों के बाद केवल एक बार ही बढ़ा सकती है। सभी पणधारियों अर्थात कोयला उत्पादक राज्यों, प्रमुख कोयला उपभोक्ताओं के विचारों, तथा देश के समग्र आर्थिक विकास पर ऐसे संशोधन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार कोयले पर रायल्टी की दर को संशोधित करती है। समिति को अभी अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना है।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक जोन को कोयले की आपूर्ति

1963. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र ने केन्द्र सरकार से "मिहान"-विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) में स्थित रक्षित विद्युत संयंत्र हेतु

प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., नागपुर से करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विलंब यदि कोई हो, के क्या कारण हैं; और

(ग) महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध को कब तक मंजूरी मिल जायेगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र एयरपोर्ट विकास कंपनी लि., मुम्बई ने विश्व आर्थिक जोन क्षेत्र, नागपुर में 100 मे.वा. सी.पी.पी. के लिए 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष दीर्घावधि कोयला लिंकेज प्रदान किए जाने का वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) से अनुरोध किया था। तथापि, ऋणात्मक कोयला सन्तुलन होने के कारण, डब्ल्यू.सी.एल. नए लिंकेज स्वीकार किए जाने की स्थिति में नहीं है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में सौर लालटेन

1964. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौर ऊर्जा से चलने वाले संयंत्रों तथा उपकरणों के सार्वजनिक इस्तेमाल में उनके महंगे होने की वजह से तेजी नहीं आ पा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके मूल्यों में कटौती के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ईंधन की खपत में कटौती के उद्देश्य से जनजातीय और वन क्षेत्रों में सौर लालटेन वितरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) जी हां। वर्तमान में सौर ऊर्जा प्रणालियों की प्रारंभिक लागत पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों की लागत की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है जिसके कारण बड़े पैमाने पर उनका प्रयोग सीमित है। यह अंशतः इस तथ्य के कारण है कि सौर ऊर्जा प्रणालियों में महंगी सामग्रियां प्रयोग की जाती हैं जिनमें से कुछ का आयात किया जाता है।

सरकार ने सौर ऊर्जा प्रणालियों की लागत को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं: (i) उनके कार्य-निष्पादन में सुधार और सामग्रियों की खपत को कम करने के लिए अनुसंधान एवं विकास; (ii) चुनिन्दा सौर ऊर्जा प्रणालियों पर सब्सिडी; (iii) प्रयोगकर्त्ताओं और विनिर्माताओं को उदार ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी; (iv) कुछ कच्ची सामग्रियों, संघटकों और उत्पादों पर रियायती आयात शुल्क; (v) उत्पाद शुल्क से छूट; और (vi) पहले वर्ष में 80 प्रतिशत त्वरित अवमूल्यन आदि।

(ग) और (घ) सरकार ने हाल ही में सात पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों के अविद्युतीकृत जनजातीय और वन समीपवर्ती गांवों सहित अविद्युतीकृत गांवों में सौर लालटेनों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने की एक योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के व्यक्तिगत लाभार्थियों, प्रति परिवार एक सौर लालटेन तक सीमित, और लाभ न कमाने वाली संस्थाएं प्रति सौर लालटेन 2400 रु. की सब्सिडी के लिए पात्र हैं। इस संबंध में राज्य एजेंसियों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

खानों को बंद करना

1965. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खानों के बंद करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार इन कोयले की खानों को व्यवहार्य बनाने के लिए कोई प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्स्थापन योजना के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने खनन क्रियाकलापों को आस्थगित करने के लिए 26 खानों की पहचान की है। पहचान की गई खानें नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

क्र.सं.	खान का नाम	बंद के कारण
1.	समला	भंडार का समाप्त होना
2.	केन्द्रा	भंडार का समाप्त होना, अव्यवहार्य
3.	लाचीपुर (आर.डी. यूनिट)	भंडार का समाप्त होना
4.	कौरडीह (13 और 14 पिट)	भंडार का समाप्त होना, व्यवहार्य
5.	मधुसुदनपुर 3 और 4 पिट	भंडार का समाप्त होना
6.	घुसिक (मिसलिया)	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
7.	के.डी. इन्क्लाइन	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं तथा सुरक्षा आधार पर
8.	निंघा	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
9.	मिथापुर	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
10.	पूरे सियरसोल	भंडार का समाप्त होना, आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
11.	सतग्राम इन्क्लाइन	भंडार का समाप्त होना, आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
12.	जेमेहारी	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
13.	तिरथ	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
14.	संग्रामगढ	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
15.	बेगुनिया	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
16.	चकबल्लवपुर	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
17.	मोनोहरबहल	भंडार का समाप्त होना, आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
18.	मिथानी	भंडार का समाप्त होना
19.	चिनाकुरी-I	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
20.	बेजडीह	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
21.	चिनाकुरी-II	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
22.	परबेलिया की भमूरिया इन्क्लाइन	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
23.	गोपीनाथपुर	भंडार का समाप्त होना, अव्यवहार्य
24.	लखीमाटा	आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
25.	कापासारा	सुरक्षा आधार पर भी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं
26.	खोइराबाद	आर्थिक रूप से व्यवहार्य न होने के साथ-साथ सुरक्षा की अनिवार्यता

(ग) और (घ) खनन क्रियाकलापों को बंद करने/आस्थगित रखने हेतु पहचान की गई 26 खानों में से 7 भूमिगत खानों अर्थात सामला, कापासरा, लछीपुर (आर.डी. यूनिट), कौरडीह (11 तथा 12 पिट), भामूरिया इन्क्लाइन (परबेलिया की एक यूनिट), चिनाकुरी-II और खोइराबाद के उत्पादन प्रचालन को भंडार के समाप्त हो जाने, आर्थिक रूप से व्यवहार्य न होने एवं सुरक्षा कारणों से आस्थगित कर दिया गया है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि. ने घाटे में चल रही शेष 19 भूमिगत खानों का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किया है और यह विचार व्यक्त किया है कि मामूली निवेश के बाद भी इन खानों को व्यवहार्य नहीं बनाया जा सकता है। तथापि, इनमें से 13 भूमिगत खानों अर्थात मिथानी, बेजिह, तीरथ, पूरे सियरसोल, जेमाहारी, मीठापुर, बेगुनिया, संग्रामगढ़, मोनोहर बहल, चखल्लवपुर, कुशाडंगा, घुसिक की मुस्लिया यूनिट एवं निंघा को राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम हेतु पश्चिम बंगाल की सरकार को सौंपने के बारे में विचार किया जा रहा है। 6 खानों अर्थात चिनाकुरी-I, सतग्राम इन्क्लाइन, गोपीनाथपुर, लखीमाटा, केन्द्रा तथा मधुसुदनपुर (3 और 4 पिट) को उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

एस.एम.ई. क्षेत्र में योजना आयोग की समीक्षात्मक गतिविधियां

1966. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र से सम्बन्धित योजना आयोग की गतिविधियों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्राम और लघु उद्योग प्रभाग (वी.एस.आई.) के द्विभाजन का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन क्षमता

1967. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी क्षमता के बावजूद पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभी भी कुल विद्युत उत्पादन सिर्फ 1,011 मेगावाट है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की सहायता से पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी विद्युत क्षमता के दोहन हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आयोजित अध्ययन के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में 60 प्रतिशत भार घटक पर 31,857 मेगावाट जल विद्युत क्षमता उपलब्ध है (58,971 मेगावाट संस्थापित क्षमता के बराबर)। 31-01-2006 की स्थिति के अनुसार कुल 1095 मेगावाट संस्थापित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल क्षमता के धीमे विकास के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं-

1. दुर्गम/दुरूह संभावित स्थल
2. कानून-व्यवस्था की समस्या
3. पुन-स्थापन एवं पुनर्वास की समस्या
4. अंत:राज्यीय पहलू
5. भू-वैज्ञानिक जोखिमें
6. निधियों का अभाव एवं लंबी निर्माणाधीन अवधि।
7. राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को कार्यान्वयन हेतु परियोजनाएं सौंपने में अनिच्छा प्रकट करना।
8. अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्टोरेज परियोजनाओं को रन-ऑफ-दि-रिवर परियोजनाओं के रूप में विकसित करने पर बल।
9. विभिन्न लाभार्थियों के मध्य परियोजना लागत के विभाजन में समस्या।
10. निवल वर्तमान मूल्य के कारण अत्यधिक बोझ।
11. भूमि अधिग्रहण समस्याएं।

(ग) और (घ) विद्युत मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत के विकास पर बल देने समेत इसमें निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता

को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर पहल किए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश ने निजी क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाओं का विकास कार्य शुरू किया है-

क्र.सं.	हाइड्रो परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता
1.	नाईंग	1000 मेगावाट
2.	टाटो-II	700 मेगावाट
3.	हिरांग	500 मेगावाट
4.	सियांग लोअर	1600 मेगावाट
5.	सियोम (सियांग मिडल)	1000 मेगावाट

अंतर्राज्यीय सड़कों के लंबित प्रस्ताव

1968. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राज्यीय सड़कों से संबंधित कर्नाटक सरकार के कितने प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) ये प्रस्ताव कब से लंबित हैं;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी और तत्संबंधी प्राक्कलन को कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके और क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्येक वर्ष अंतर्राज्यीय सड़कों के प्रस्ताव सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन के लिए आमंत्रित किए जाते हैं और पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन किया जाता है। कर्नाटक के संबंध में, वर्ष 2005-06 के लिए राज्य सरकार से प्राप्त चार प्रस्तावों में से केंद्र सरकार निधियों की उपलब्धता के अंतर्गत केवल दो प्रस्तावों को ही सैद्धांतिक रूप में मंजूरी प्रदान कर सकी। अतः सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। उपर्युक्त दो अंतर्राज्यीय सड़कों जिनके लिए सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन दिया गया था, के लिए विस्तृत अनुमान राज्य सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

वल्लारपदम में 'जेट्टी'

1969. **श्रीमती अर्चना नायक:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना और कोचीन पत्तन न्यास ने वल्लारपदम में 'जेट्टी' स्थापित करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में बायो-डीजल संयंत्र

1970. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश में बायो-डीजल संयंत्रों की स्थापना हेतु राज्य से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या और कार्रवाई की गई?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) मंत्रालय के बायोफ्यूल प्रायोगिक प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने अखाद्य वनस्पति तेलों के प्रयोग से गांवों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए अगस्त 2004 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में मंडला जिले में ग्राम बसघारी के लिए 19.82 लाख रु. के परिव्यय पर दिसम्बर, 2004 में एक प्रायोगिक प्रदर्शन परियोजना स्वीकृत की।

[अनुवाद]

एम्स में निःशुल्क उपचार हेतु निर्धारित मानदंड

1971. **श्रीमती अर्चना नायक:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एम्स (ए.आई.आई.एम.एस.) में निःशुल्क

उपचार हेतु निर्धन और जरूरतमंद रोगियों की पहचान करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बी.पी.एल. कार्ड को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने अथवा उपयुक्त प्राधिकारी के आय प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी समाचार को राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार-पत्रों में उक्त मानदंड को विज्ञापित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने प्रभारों में छूट प्रदान करने की क्रियाविधि के संबंध में दिनांक 6-2-2006 को परिपत्र जारी किया। इस परिपत्र के अनुसार प्रभारों में छूट किसी नैदानिक/विशिष्ट क्रियाविधि के लिए अथवा सामान्य वार्ड में भर्ती होने वाले गरीबी रेखा से नीचे के उन रोगियों, जिन्होंने समुचित प्राधिकारियों से बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी करवाया हो, को दी जाती है। जहां रोगी के पास बी.पी.एल. राशन कार्ड न हो लेकिन उसकी उसके क्षेत्र के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा संसद सदस्य अथवा चिकित्सा समाज सेवा अधिकारी द्वारा सिफारिश की गई हो, तो प्रभारों में छूट दी जाती है। अन्य स्थितियों में जहां संकाय को विश्वास हो जाए कि रोगी गरीब है और जांच/क्रियाविधि के लिए भुगतान वहन नहीं कर सकता है, तब भी उसे सीधे अथवा चिकित्सा समाज सेवा अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद, जैसा उपचार करने वाले संकाय द्वारा उपयुक्त समझा जाता हो, छूट दी जा सकती है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय अथवा प्रान्तीय समाचार पत्रों में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है क्योंकि निर्धन रोगियों के लिए प्रभारों में छूट की प्रक्रिया से निर्धन रोगी अवगत हैं जो कि वहां पर कुछ समय से है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन

1972. **डा. राम लखन सिंह:**

श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अंतर्देशीय जल परिवहन के संबंध में मध्य प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और उन परियोजनाओं की परियोजना-वार संख्या कितनी है जिन पर अंतर्देशीय जल परिवहन शुरू किया गया है;

(ग) अभी भी लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश की राज्य-सरकार ने निम्नलिखित तीन परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे:

(i) इन्द्रा सागर और रानी अवन्ती बाई सागर जलागारों में आन्तर जलागार-परिवहन को विकसित किए जाने की परियोजना से संबंधित प्रस्ताव;

(ii) गांधी सागर जलागार पर चम्बल नदी में अन्तर्देशीय जल-परिवहन को विकसित किए जाने की परियोजना से संबंधित प्रस्ताव; और

(iii) बन सागर जलागार पर सोन नदी में अंतर्देशीय जल-परिवहन को विकसित किए जाने की परियोजना से संबंधित प्रस्ताव।

ऊपर (i) पर उल्लिखित परियोजना, 31 मार्च, 2005 को संस्वीकृत कर दी गई और उपर्युक्त राज्य-सरकार द्वारा उपर्युक्त परियोजना के निष्पादन से संबंधित कार्य आरंभ कर दिया गया है। ऊपर (ii) पर दर्शाई गई परियोजना, 03 मार्च, 2006 को संस्वीकृत कर दी गई है।

ऊपर क्रम सं. (iii) पर दर्शाई गई परियोजना, वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक संस्वीकृत कर दी जानी संभावित है।

[अनुवाद]

भारत और बांग्लादेश के बीच "एन्क्लेव्स" का आदान-प्रदान

1973. **श्री हितेन बर्मन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश को भू-क्षेत्र में भारतीय एन्क्लेव्स तथा भारतीय भू-क्षेत्र में बांग्लोदेश के एन्क्लेव्स की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन एन्क्लेव्स के आदान-प्रदान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(घ) इन एन्क्लेव्स के आदान-प्रदान के प्रथम प्रस्ताव पर किस तारीख को विचार किया गया था;

(ङ) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(च) क्या केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) एन्क्लेव्स के आदान-प्रदान का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) बंगलादेश में 111 भारतीय एनक्लेव्स और भारत में 51 बंगलादेशी एनक्लेव्स हैं।

(ख) से (घ) दोनों सरकारें 1974 में हस्ताक्षारित भू सीमा करार में इन एनक्लेव्स का आदान-प्रदान करने पर सहमत हुई थीं। तथापि अभी तक एनक्लेव्स का आदान-प्रदान नहीं किया जा सका है।

(ङ) और (च) दिसम्बर 2000 में आयोजित विदेश-सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान 1974 के भू-सीमा करार से संबंधित लंबित मामलों का समाधान करने के लिए संयुक्त सीमा कार्य दलों के गठन का निर्णय लिया गया। इन दलों का गठन जून 2001 में किया गया। इन दलों की दो बैठकें 2-4 जुलाई 2001 तक ढाका में और 26-27 मार्च 2002 तक नई दिल्ली में हुई। हमने इन एनक्लेव्स का संयुक्त सर्वेक्षण किये जाने का अनुरोध किया क्योंकि भू-सीमा करार में प्रावधान है कि इन क्षेत्रों के स्थानांतरित लोगों को नागरिकता का विकल्प दिया जाएगा। बंगलादेश का दृष्टिकोण यह था कि अंतः क्षेत्रों के आदान-प्रदान की सभी आवश्यक प्रक्रियाएं भू-सीमा करार के अनुसरण में पूर्ण कर ली गयी हैं और आदान-प्रदान करने में कोई संवैधानिक अथवा कानूनी बाधाएं नहीं हैं। बंगलादेश पक्ष ने भू-सीमा करार के प्रावधानों के अतिरिक्त जनगणना करने पर विचार किया, उनका मानना था कि सर्वेक्षण/जनगणना एनक्लेव्स का आदान-प्रदान किये जाने के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है।

तथापि अप्रैल 2003 में आयोजित विदेश कार्यालय परामर्शों के दौरान बंगलादेश पक्ष संयुक्त जनगणना और सर्वेक्षण कराने के लिए सहमत हुए बशर्ते कि ये यथोचित समय-सीमा के भीतर की जाएं। जुलाई 2005 में हमने बंगलादेश सरकार को सूचित किया कि इस कार्य को करने में कुल 1600 कार्य दिवस लगेंगे जब दोनों पक्षों में एनक्लेव्स का सर्वेक्षण पूरा करने के लिए 13 टीमों की तैनाती की जाए। जून 2005 में आयोजित विदेश कार्यालय परामर्शों के दौरान संयुक्त सीमा कार्यकारी दलों की बैठकें बहाल करने का निर्णय लिया गया ताकि इनमें एनक्लेव्स के आदान-प्रदान सहित सीमा से जुड़े अन्य मसलों का समाधान किया जा सके। अक्तूबर, 2005 में आयोजित गृह सचिव स्तरीय वार्ता में बंगलादेश पक्ष संयुक्त सीमा कार्यकारी दल की बैठकों का आयोजन करने पर सहमत हुए। बैठकों की तारीखों के संबंध में कार्य किया जा रहा है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए योजना आबंटन

1974. श्री एस. अजय कुमार: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2006-07 हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वार्षिक योजना आबंटन को बढ़ाने के उद्देश्य से केरल से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव का कब तक अनुमोदन किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु केन्द्रीय सहायता

1975. डा. अरुण कुमार शर्मा:
श्री थावरचन्द गेहलोत:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत क्षेत्र के सुधार हेतु आबंटित, जारी तथा उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता की कुल धनराशि राज्य-वार कितनी है;

(ख) राज्य सरकारों, विशेष रूप से असम द्वारा सहायता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या असम राज्य विद्युत बोर्ड (ए.एस.ई.बी.) तथा पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन ने अन्य राज्यों को विद्युत बेचने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी करने, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने, राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने तथा उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) शुरू किया है। इस कार्यक्रम के दो घटक हैं अर्थात (i) निवेश घटक तथा (ii) प्रोत्साहन घटक। निवेश घटक के अंतर्गत उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता के रूप में निधियां जारी की जाती हैं। ए.पी.डी.आर.पी. के प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत ऐसी यूटिलिटियों को नकद हानि में हासिल कमी का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है, जो आधार वर्ष 2000-01 के अनुसार अपनी नकदी हानियों में कमी करते हैं।

स्वीकृत परियोजनाओं की लागत, जारी निधियों, और राज्यों द्वारा ए.पी.डी.आर.पी. के निवेश घटक के अंतर्गत समुपयोजित निधियों तथा प्रोत्साहन घटक के तहत जारी निधियों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत राज्यों को अब तक 1405.065 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है जिसमें से 90 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी के रूप में जारी की गई है और 10 प्रतिशत ऋण घटक है। परियोजनाओं की लागत और 1-3-2006 तक जारी निधियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

निधियों की धीमी गति से समुपयोजन होने के कारण निम्नवत है-

(i) आरंभ में टर्न की आधार पर ए.पी.डी.आर.पी. परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों के पास अनुभव की कमी।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा रा.वि.बो./यूटिलिटियों को ए.पी.डी.आर.पी. निधियां हस्तांतरित करने में विलंब।

(iii) निविदा, मूल्यांकन और ठेका प्रदान करने की प्रक्रिया में विलंब।

(iv) कार्य करने के लिए उपस्करों/ठेकेदारों की अनुपलब्धता।

(v) कार्यान्वयन के प्रभारी अधिकारियों का क्रमिक स्थानांतरण।

(vi) वैद्युत उपस्करों और स्टील की लागत में आकस्मिक वृद्धि।

(vii) ए.पी.डी.आर.पी. के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की परियोजना कार्यान्वयन अवधि 24 माह से 36 माह है जिसमें निविदा आमंत्रित करने और ठेका प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए अपेक्षित समय सम्मिलित नहीं है।

(ग) और (घ) पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अन्य राज्यों को विद्युत बेचने के लिए पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन और असम राज्य विद्युत बोर्ड के बीच वर्तमान में कोई करार नहीं हुआ है।

विवरण-I

ए.पी.डी.आर.पी. के निवेश घटक के अंतर्गत राज्यों को जारी निधियां और स्वीकृत परियोजनाओं की लागत

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की लागत	ए.पी.डी.आर.पी. घटक	जारी निधियां	उपयोग हुई निधियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	101	1460.36	648.47	566.76	967.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	82.69	78.09	36.68	10.34
3.	असम	15	650.73	601.54	158.85	159.24
4.	बिहार	15	854.05	370.10	313.18	260.50

1	2	3	4	5	6	7
5.	छत्तीसगढ़	7	407.70	181.53	159.21	133.28
6.	दिल्ली	6	922.61	283.41	105.51	863.23
7.	गोवा	7	294.01	130.20	113.40	116.68
8.	गुजरात	13	1083.22	470.94	400.26	708.45
9.	हरियाणा	18	431.95	192.48	168.99	210.79
10.	हिमाचल प्रदेश	12	322.77	306.89	225.94	177.55
11.	जम्मू-कश्मीर	6	1100.13	1021.61	408.50	301.48
12.	झारखंड	8	423.65	182.85	153.87	136.90
13.	कर्नाटक	35	1186.31	514.30	435.45	798.69
14.	केरल	52	863.63	331.18	230.55	285.15
15.	मध्य प्रदेश	48	663.20	230.74	129.87	163.69
16.	महाराष्ट्र	35	2231.58	692.01	349.01	812.44
17.	मणिपुर	5	141.62	127.73	2.67	2.67
18.	मेघालय	9	227.44	210.53	58.38	36.38
19.	मिजोरम	7	108.74	100.76	78.01	28.96
20.	नागालैंड	3	122.27	114.33	68.58	42.84
21.	उड़ीसा	7	592.22	185.07	74.02	51.68
22.	पंजाब	26	715.57	268.26	178.74	259.06
23.	राजस्थान	29	1193.25	491.23	385.82	621.21
24.	सिक्किम	4	164.19	163.24	154.73	126.82
25.	तमिलनाडु	41	948.12	457.94	441.82	724.14
26.	त्रिपुरा	7	146.74	135.83	37.64	14.35
27.	उत्तर प्रदेश	36	1091.30	340.09	164.22	247.33
28.	उत्तरांचल	6	310.08	303.15	240.76	220.47
29.	पश्चिम बंगाल	21	442.20	130.64	92.92	192.11
	कुल	583	19182.33	9265.14	5934.34	8674.39

ख. ए.पी.डी.आर.पी. के प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत राज्यों को जारी निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	नकद हानियों में कमी का वर्ष	नकद हानियों में कमी	जारी निधियां
1.	आंध्र प्रदेश	2002-03	530.22	265.11
2.	गुजरात	2001-02	472.76	236.38
		2002-03	296.16	148.08
3.	हरियाणा	2001-02	210.98	105.49
4.	केरल	2002-03	129.88	64.94
5.	महाराष्ट्र	2001-02	275.78	137.89
6.	राजस्थान	2001-02	275.42	137.71
7.	पश्चिम बंगाल	2002-03	146.00	73.00
		2003-04	605.52	302.76
8.	पंजाब	2003-04	90.56	45.28
		कुल	3033.28	1516.64

विवरण-II

भारत में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन की स्थिति (28-2-2006 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं को वित्तपोषण	
		स्वीकृत परियोजनाओं की लागत	जारी निधियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	160.95	
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.48	
3.	असम	55.67	
4.	बिहार	1287.70	381.976
5.	छत्तीसगढ़	84.56	6.500
6.	गोवा		
7.	गुजरात	46.92	
8.	हरियाणा	77.00	
9.	हिमाचल प्रदेश	25.02	
10.	जम्मू-कश्मीर	72.47	
11.	झारखंड		3.500
12.	कर्नाटक	375.39	37.976
13.	केरल	221.76	
14.	मध्य प्रदेश	430.63	
15.	महाराष्ट्र	84.70	

1	2	3	4
16.	मणिपुर	46.71	
17.	मेघालय		
18.	मिजोरम	38.21	
19.	नागालैंड	16.07	
20.	उड़ीसा	41.07	3.500
21.	पंजाब	22.97	
22.	राजस्थान	406.77	9.329
23.	सिक्किम		
24.	तमिलनाडु		
25.	त्रिपुरा		
26.	उत्तर प्रदेश	2151.64	787.422
27.	उत्तरांचल	220.59	59.441
28.	पश्चिम बंगाल	385.04	115.421
	कुल	6271.32	1405.065

गिरफ्तार किए गए लोगों से संयुक्त पूछताछ

1976. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नशीली दवाओं तथा हथियारों के तस्करी के आरोप में पकड़े गए व्यक्तियों से संयुक्त रूप से पूछताछ करने के लिए म्यांमार के साथ हाल ही में बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उग्रवादियों तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों से संबंधित मामलों की भी चर्चा की गई; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां। 13 से 17 अक्तूबर, 2005 तक यांगोन में 11वीं राष्ट्रीय स्तर-वार्ता के दौरान भारत सरकार के गृह सचिव और म्यांमा संघ के गृह मामलों के उप मंत्री के बीच हुई वार्ता के दौरान भारत-म्यांमार सीमा पर गिरफ्तार किए गए विद्रोहियों की संयुक्त पूछताछ के संबंध में चर्चा की गई थी।

(ख) से (घ) भारतीय पक्ष ने संयुक्त पूछताछ के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने और म्यांमार द्वारा पकड़े गए भारतीय बागियों को कोंसली सहायता प्रदान करने से संबंधित जो सुझाव रखे उनसे म्यांमा पक्ष सहमत था। म्यांमार पक्ष ने अपनी सरकार की इस वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की कि भारत में शस्त्र और गोला-बारूद ले जाने हेतु शस्त्र तस्करों को वे अपने भू-प्रदेश का प्रयोग नहीं करने देंगे और उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि नशीली दवाओं के आरोप में भारत और म्यांमा में गिरफ्तार हुए म्यांमा और भारत के राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनके ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं ताकि म्यांमा और भारत में साथ ही साथ उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

ग्रीन फ्यूल रिवोल्यूशन को बढ़ावा देना

1977. श्री अनन्त नायक: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ईंधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए "ग्रीन फ्यूल रिवोल्यूशन" को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या अनुसंधान क्रियाकलाप किए गए हैं?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) नई तथा अक्षय ऊर्जा से पारंपरिक ऊर्जा का अनुपूरण हो रहा है और इस समय देश की प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में इसका हिस्सा 30 प्रतिशत से अधिक है। इस संबंध में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा तेल के प्रतिस्थापन के रूप में वैकल्पिक ईंधनों जैसे हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और कुछ सिंथेटिक ईंधनों के विकास को सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, ग्रिड इंटरएक्टिव और ऑफ-ग्रिड अक्षय विद्युत के विकास; शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों; और ऐसे गांवों, जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रिड-कनेक्टिविटी प्राप्त होने की संभावना नहीं है, को बिजली और/अथवा रोशनी के प्रावधान हेतु अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के लिए भी सहायता दी जाती है।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा नई तथा अक्षय ऊर्जा के संबंध में लगभग 600 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता दी गई है। हाइड्रोजन ऊर्जा के नागरिक प्रयोगों हेतु प्रयासों को तेज करने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया गया जिसने अभी हाल ही में सरकार को राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप प्रस्तुत किया है। इस रोड मैप में वर्ष 2020 तक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के विकास और संस्थापना हेतु उपाय निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय को एक राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति तैयार करने का कार्य सौंपा गया है जिसका उद्देश्य परिवहन, पोर्टेबल और स्थैतिक अनुप्रयोगों के लिए बायोफ्यूल का उत्पादन करना, रिफाइनिंग, भंडारण, वितरण और प्रणालियों/युक्तियों के लिए एक समेकित दृष्टिकोण को अपनाना होगा। इसके अलावा, इस मंत्रालय ने देश में सौर ऊर्जा के लिए एक तकनीकी केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए ग्वालपहाड़ी, गुड़गांव में सौर ऊर्जा केन्द्र की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), चैन्नई द्वारा देश में पवन ऊर्जा के लिए एक तकनीकी बिंदु के रूप में कार्य किया जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान जिसे जालंधर, पंजाब में संस्थापित किया जा रहा है, देश में बायोऊर्जा, बायोफ्यूल और सिंथेटिक ईंधन के लिए एक तकनीकी केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

बाइ-पासों का निर्माण

1978. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाई पासों के शीघ्र निर्माण हेतु तमिलनाडु से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाई-पासों का निर्माण कब तक शुरू होने की संभावना है तथा इन्हें पूरा करने के लिए क्या समयावधि निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) वार्षिक योजना 2005-06 के दौरान तमिलनाडु सरकार ने दस प्राक्कलन प्रस्तुत किए हैं जिनमें पांच प्राक्कलन रा.रा. 66, 67, 68, 208 और 209 पर बाइपासों के साध्यता अध्ययन और पांच प्राक्कलन रा.रा. 208 और 209 पर बाइपासों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी हैं। इनमें से दो प्राक्कलन रा.रा. 208 पर श्री विलीपुथुर और राजापलायम बाइपास तथा रा.रा. 209 पर सत्यमंगलम बाइपास के साध्यता अध्ययन के लिए और दो प्राक्कलन रा.रा. 209 पर ओड्डानचत्रम और छत्रपति बाइपासों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए मंजूर कर लिए गए हैं। रा.रा.-66, 67 और 68 को बी.ओ.टी. आधार पर 4 लेन का बनाने के लिए साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत शुरू की गई हैं। इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाइपासों का निर्माण उपर्युक्त अध्ययन के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

(ग) बाइपासों को पूरा करके चालू करने का समय बताना अभी संभव नहीं है क्योंकि यह साध्यता अध्ययनों के निष्कर्ष, भूमि अधिग्रहण कार्य को पूरा करने, निधियों की उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

अंतरिक्ष मलबा

1979. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष मलबे के 9000 टुकड़ों से खतरा पैदा हो गया है जो अगले कुछ वर्षों में और गम्भीर हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त समस्या का हल करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) लगभग 9000 सूचीबद्ध पिंड कक्षा में विद्यमान हैं, जो कि निम्न भू-कक्षाओं के लिए 10-20 से.मी. से अधिक व्यास वाले और उच्चतर कक्षाओं में लगभग 1 मीटर वाले पिंड हैं। इनमें से केवल 5 प्रतिशत प्रचालनात्मक अंतरिक्षयान हैं और शेष अंतरिक्ष मलबे हैं। इन सूचीबद्ध पिंडों में लगभग 210 पिंड प्रति वर्ष की रैखिक दर से वृद्धि हुई है। इसके अलावा, लघुतर आकार के (10 से.मी. से कम व्यास वाले) मलबे काफी अधिक संख्या में मौजूद हैं, जो कि प्रचालनात्मक अंतरिक्षयान के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तथापि, उपग्रहों और प्रमोचक राकेटों को होने वाले जोखिम की संभावना काफी कम है।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रमोचक राकेटों के मामले में, प्रमोचन के ठीक पहले संघट्टन की संभाव्यता का आकलन किया जाता है और तदनुसार प्रमोचन गवाछ को व्यवस्थित किया जाता

है। हमारे सक्रिय उपग्रहों के साथ सूचीबद्ध अंतरिक्ष मलबे के निकटस्थ उपागमों का मूल्यांकन किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो संघट्टन पथ से उपग्रहों का समुचित रूप में युक्तिचालन किया जाता है। इसके अलावा, अंतरिक्ष मलबे के सृजन को कम करने के लिए प्रमोचक राकेट में खर्च हुए चरणों को निष्क्रिय बनाने, डिजाइन के माध्यम से प्रचालनात्मक मलबे को कम करने और ग्रेव-यार्ड कक्षा के उपयोगी मिशन के अंत में उपग्रहों को पुनः कक्षा में स्थापित करने जैसे उपाय भी प्रारंभ किए गए हैं।

[हिन्दी]

मर्चेंट नेवी पोत विस्फोटकों का गायब होना

1980. श्री महेश कनोडीया:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

श्री रघुवीर सिंह कौशल:

श्री अशोक कुमार रावत:

श्री शिशुपाल पटले:

श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान में चट्टानों तथा पहाड़ों को तोड़ने के लिए रखे गए 100 टन विस्फोटक, मर्चेंट नेवी पोत से गायब हो गए, जैसा कि 29 दिसम्बर, 2005 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या सुरक्षा एजेन्सियां उक्त विस्फोटकों को ढूंढ निकालने में सफल हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विस्फोटक गलत हाथों में न पड़ें, सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) 22 दिसंबर, 2005 को, हांडूरास में पंजीकृत एक पोत, एम.वी. यूजीनिया मुंबई से समुद्री यात्रा पर निकला, जिसमें अफगानिस्तान में सीमा-सड़क-संगठन से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन में प्रयोग किए जाने हेतु, 6 कंटेनरों में 105.753 मीट्रिक टन विस्फोटक, जहाजी माल के रूप में भरे थे। 22 दिसंबर की रात में, डैक पर रखा एक कंटेनर, खराब मौसम की वजह से जहाज के एक तरफ टेढ़ा हो जाने से मुंबई तट पर समुद्र में गिर गया। 23 दिसंबर की रात में, उपर्युक्त पोत के मुंबई-पत्तन पर वापस आते समय, शेष 5 कंटेनर भी समुद्र में गिर गए।

(ग) इस बारे में दो संगठनों द्वारा जांच किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, एक में नौवहन-महानिदेशालय के वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा और दूसरी में पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र द्वारा जांच की जा रही है।

(घ) वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा की गई जांच से अनंतिम रूप से उजागर हुई जानकारी के अनुसार उपर्युक्त कंटेनर गलत और अपर्याप्त तरीके से बांधे जाने के कारण गिर गए।

(ङ) और (च) छह कंटेनरों में से चार कंटेनर समुद्र-तल से निकाल लिए गए हैं और हैदराबाद में विस्फोटकों के आपूर्तिकर्ता को भेज दिए गए हैं। नौवहन प्राधिकारियों द्वारा शेष दो कंटेनरों को तेजी से और शीघ्रता से ढूंढे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें गलत हाथों में नहीं पड़ने दिया जा सके। जहां तक ऐसी घटनाएं फिर नहीं होने देने की दृष्टि से सुरक्षोपायों की व्यवस्था का प्रश्न है, समुद्रीय प्रशासन, वाणिज्यिक समुद्री विभाग की जांच के परिणामों के आधार पर रक्षा-मंत्रालय से परामर्श करके आवश्यक कार्रवाई करेगा।

[अनुवाद]

बजटित राशि का न्यून उपयोग

1981. श्री मोहन रावले: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का सुधार" शीर्ष के तहत बजटित राशि के पर्याप्त रूप से न्यून उपयोग हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वास्तविक बजट अनुमान प्रदान करने का प्रयास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) 2003-04 के दौरान, शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक व्यय, 1.86 करोड़ रु. के बजट अनुमान तथा 1.60 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान के मुकाबले 1.29 करोड़ रु. था। प्रमुख विषय शीर्षों- (i) विदेश यात्रा व्यय, (ii) व्यावसायिक सेवाएं, में समुचित प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण, और (iii) मशीनरी तथा उपकरण में, मूल्यों में गिरावट के कारण व्यय कम था। 2004-05 के दौरान, शीर्ष के अंतर्गत वास्तविक व्यय, 0.89 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान तथा 0.99 करोड़ रु. के बजट अनुमान के मुकाबले 0.77 करोड़ रु. था। व्यय मुख्य रूप से विदेश यात्रा के अंतर्गत बचत, और कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित अध्ययन के कारण सीमान्त रूप से कम था।

(ग) और (घ) योजना स्कीम के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित व्यय को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिए बजट अनुमान वास्तविक रूप से उपलब्ध कराए गए हैं। 2005-06 के दौरान, 1.25 करोड़ रु. के बजट अनुमान के मुकाबले, अब तक वास्तविक व्यय 0.86 करोड़ रु. से अधिक हो चुका है और बजट अनुमान पूरे किए जाने की आशा है। वर्ष 2006-07 के लिए, प्रस्तावित बजट अनुमान 1.38 करोड़ रु. है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

1982. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री काशीराम राणा:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री उदय सिंह:
श्री हितेन बर्मन:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री अनन्त नायक:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड:
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल कितनी लंबाई का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) अभी तक राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्यवार कितनी लंबाई का निर्माण किया जा चुका है;

(ग) राज्य सरकारों ने केंद्रीय सड़क निधि से कुल कितनी धनराशि की मांग की है और केंद्र सरकार ने कितनी धनराशि जारी की है तथा अभी तक राज्यवार कितनी वास्तविक धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार को राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है तथा शेष प्रस्तावों की इस समय राज्यवार क्या स्थिति है;

(च) क्या विभिन्न राज्यों से गुजरने वाले कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हैं और उन पर तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य सरकारों तथा सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए संचयी लक्ष्यों और उपलब्धियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I पर दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां संपूर्ण परियोजनाओं की हैं और राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और II के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं-

स्कीम	10वीं पंचवर्षीय (2002-03 से 2006-07) के दौरान लक्ष्य	10वीं पंचवर्षीय योजना (जन-06 तक) के दौरान उपलब्धियां
एनएचडीपी चरण-I और II	8339 कि.मी.	4131 कि.मी.

(ग) केंद्रीय सड़क निधि से धनराशि, निधि में जमा राशि तथा उपयोग के आधार पर जारी की जाती है। जमा धनराशि, जारी धनराशि और व्यय की गई धनराशि के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) फरवरी, 2004 में की गई पिछली घोषणा के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं। इस समय और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के बजाए पहले ही राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास पर बल दिया जा रहा है। इसलिए फरवरी, 2004 के बाद कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

(च) से (ज) विभिन्न राज्यों में वर्षा व बाढ़ के कारण कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्गों, क्षति का विवरण और समय अवधि जिसमें इनकी मरम्मत कर दिए जाने की संभावना है, के राज्यवार ब्यौरे विवरण-IV पर दिए गए हैं।

विवरण-I

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-03 से 2006-07) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य का नाम	दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए लक्ष्य (किमी.)	दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्धियां (जनवरी, 2006 तक) (किमी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1325	1282
2.	अरुणाचल प्रदेश	96	59
3.	असम	849	794
4.	बिहार	1273	821
5.	चंडीगढ़	15	1
6.	छत्तीसगढ़	5264	853
7.	दिल्ली	45	15
8.	गोवा	126	68
9.	गुजरात	855	621
10.	हरियाणा	764	801
11.	हिमाचल प्रदेश	1029	516
12.	जम्मू-कश्मीर	84	22
13.	झारखंड	618	541
14.	कर्नाटक	1231	957
15.	केरल	847	763
16.	मध्य प्रदेश	2166	1543
17.	महाराष्ट्र	1502	1607
18.	मणिपुर	269	182
19.	मेघालय	297	243
20.	मिजोरम	237	163
21.	नगालैंड	168	109
22.	उड़ीसा	1099	777
23.	पांडिचेरी	22	0
24.	पंजाब	808	701
25.	राजस्थान	1714	1618
26.	तमिलनाडु	1240	965
27.	त्रिपुरा	149	82
28.	उत्तर प्रदेश	2124	1676
29.	उत्तरांचल	615	266
30.	पश्चिम बंगाल	618	522

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य का नाम	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-03 से 2005-06) के दौरान केंद्रीय सड़क निधि की जमा राशि (करोड़ रु.)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-03 से 31 जनवरी, 2006 तक) के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत जारी धनराशि (करोड़ रु.)	व्यय की गई धनराशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	364.94	303.12	394.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	46.04	36.13	42.70
3.	असम	68.13	88.28	100.08
4.	बिहार	119.87	56.84	61.95
5.	चंडीगढ़	9.93	8.09	8.09
6.	छत्तीसगढ़	95.48	59.59	80.85
7.	दिल्ली	122.92	8.16	10.28
8.	गोवा	19.67	3.98	4.37
9.	गुजरात	280.89	248.08	301.76
10.	हरियाणा	154.91	112.87	149.21
11.	हिमाचल प्रदेश	47.86	36.51	44.24
12.	जम्मू-कश्मीर	135.45	86.26	90.72
13.	झारखंड	76.93	15.11	39.36
14.	कर्नाटक	261.13	279.34	324.00
15.	केरल	124.80	83.26	83.26
16.	मध्य प्रदेश	267.24	210.78	253.24
17.	महाराष्ट्र	460.59	300.10	402.81
18.	मणिपुर	14.20	9.03	11.92
19.	मेघालय	19.78	17.84	24.14
20.	मिजोरम	12.78	7.68	15.60
21.	नगालैंड	10.64	9.53	12.35
22.	उड़ीसा	133.27	91.18	91.18

1	2	3	4	5
23.	पांडिचेरी	10.00	5.93	5.96
24.	पंजाब	179.32	125.77	145.74
25.	राजस्थान	336.76	312.19	374.45
26.	सिक्किम	5.14	5.15	6.47
27.	तमिलनाडु	291.16	253.96	336.23
28.	त्रिपुरा	8.61	6.37	8.24
29.	उत्तरांचल	46.78	22.58	44.21
30.	उत्तर प्रदेश	401.51	286.23	506.40
31.	पश्चिम बंगाल	160.62	134.49	134.49

विवरण-III

फरवरी, 2004 के बाद नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	सड़कें/खंड का विवरण	लंबाई कि.मी.
1	2	3	4
I.	आंध्र प्रदेश	1. नेल्लोर-अतमाकुर-बदवेल-माइदुकुरे-गुटी	314
		2. हैदराबाद-रामगुंडम-मनचेरियल-चंदा	330
		3. हैदराबाद-श्रीसैलाम-डोरनाला-नांदयाल	300
		4. गुंडुगोलानु-नालाजेरिया-देवारापल्ली-वर्नागिरि सड़क	83
		5. कृष्णापट्टनम पत्तन-नेल्लोर-चेलकारा के समीप चित्रदुर्ग	470
		6. हैदराबाद-मेडाक-बोधन-बसर-लक्सटीपेट	395
		7. काकीनाडा-द्वारापुडी-राजमुंदरी-कोवुर-सूर्यपेटा	300
		8. राजामुंदरी-मारेदुमिली-चिंतुरु-भोपालपट्टनम	400
		9. कुरनूल-अतमाकुर-डोरनाला-धोकापल्ली-पेरीचरला-गुंटूर	300
		10. कोडाड-मिरयालागुडा-देवाराकोंडा-तंदूर-चिंचोली	240
		11. बेल्लारी-अदोनी-रानीचुट-महबूबनगर-जडचेरला	200
		12. कलिंगापट्टनम-श्रीकाकुलम-रायगढ़ से रा.रा. 20	120

1	2	3	4
		13. सिरोंचा-महादेवपुर-टूंगातूरथी-इरपेडु-रेनीगुंडा	650
		14. अंकापल्ली-आनंदपुरम	50
		15. कुप्पम-गुडीपल्ली-कोलार से रा.रा. 209	70
		16. कोदाद-खम्माम-थोकर-वारंगल-जगीतयाल	290
		17. अनंतपुर-उरवाकोंडा-बेल्लारी	78
		उप जोड़	**4590**
II.	असम	1. धोदर अली	250
III.	गुजरात	1. सारखोज-सन्नद-विरमगम-रा.रा. 8ए के समीप मलिया	186
		2. हिम्मतनगर-मेहसाणा-राधनपुर राज्यीय राजमार्ग	165
		3. वड़ोदरा-पोर-नासिक सड़क रा.रा. 8ए के साथ रा.रा. 6 के साथ जोड़ना	245
		4. अहमदाबाद-ढोलका-वतमान	80
		5. नाडियाड-कपाडवंज-मोडासा को रा.रा. 8 को जोड़ने के लिए	135
		6. शामलाजी-मोदसा-गोधरा-वापी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	506
		7. वड़ोदरा-दाभोल-छोटनदेपुर से एम पी सीमा	125
		8. भरुच-अंकलेश्वर-सगबारा से महाराष्ट्र सीमा	90
		9. हिम्मतनगर-इदेर-खेदब्रह्मा-अंबाजी से अबू सड़क	130
		10. जाफराबाद-राजुला-अवरकुंदला-पटाडी-सामी-राधनपुर	440
		11. गणदेवी-माणिकपुर-महाराष्ट्र सीमा तक चिंचली	120
		12. वडसाड-परदी-कपराड़ा महाराष्ट्र सीमा	60
		13. गांधीनगर-देहगम-बयाड-जलोड से राजस्थान सीमा	200
		14. गांधीनगर-गोराना-विसानगर-अंबाजी-अबू सड़क	170
		15. भचाऊ-भुज-पंचो सड़क	220
		16. बगोदरा-धनदुका-वालभीपुर-राजुला-जाफराबाद	265
		17. बागोदरा-धनदुका-भावनगर	130
		18. रा.रा. 8 पर भावनगर-वातामन-पडारा-कर्जन	200
		19. मलिया-जामनगर-ओखाद्वारका	340
		उप जोड़	**3806.00**

1	2	3	4
IV.	दादरा एवं नगर हवेली	दमन-वापी-सिलवासा-खानवेल-त्रिअंबकेश्वर-नासिक	190.00
V.	हरियाणा	1. अंबाला छावनी (रा.रा. I) से साहा (रा.रा. 73)	15
		2. साहा (रा.रा. 73) से शहाबाद (रा.रा. I)	16
		3. उकलाना (रा.रा. 65)-सुरेवालचल से टोहना-पटरन (रा.रा. 71)	29.40
		उप जोड़	**60.40**
VI.	हिमाचल प्रदेश	1. होशियारपुर-भनखांडी	
		2. झलरा-उना-भोटा-जोहा-रीवालसर-मंडी सड़क	180.00
VII.	कर्नाटक	1. बिलीकेरे-हासन-बेल्लूर-टारोलेरे	220
		2. सीरा-गौरविदनौर-श्रीनिवासपुरा-मुलबगल	210
		3. हेबसुर-धारवाड़-रामनगरम (लोंडा)	82
		4. हुंगुंड-लिंगुसुगर-रायचूर-गढवेलोन से रा.रा. 7	205
		5. मैसूर-विलीकेरे-मेडाकेरी-पुटटूर-बी सी सड़क	216
		6. चन्नानारायण पटना-श्रवण बेलगोला-हिरीसावे	40
		7. श्रवण बेलगोला-नीलमंगला-मडडूर	95
		8. मैसूर-मालावल्ली	52
		9. बगलकोट-गुलेडागुड्डा-बादामी-येलबुर्गा-कुनकुर	130
		10. कडूर-कन्नंगड (एस एच 64)	220
		11. बंगलौर से हिंदुपुरा वाया विदुर स्वथा	82.10
		12. मैसूर-मालावल्ली सड़क	45
		13. बिलीकेरे-हासन-होसपेट-मानवी-रायचूर सड़क	612
		14. मैसूर-श्रीरंगपटना-हिरीयूर-बिदार सड़क	743
		15. बंगलौर-मैसूर-माडीकेरे-पुटटूर सड़क	361
		16. बेलगाम-यारागल्ली-मुदगल-महबूबनगर सड़क	338
		17. धारवाड़-रामनगर सड़क	52
		18. बंटवाल-मुदीगेरे-बेल्लूर-सीरा-राज्यीय सीमा	487
		19. जेवारगी-हाटीगुडुर-लिंगासुगुर-सिंधनूर-बेल्लारी	248

1	2	3	4
		20. डोड्डावालापुर-नंदी-विजयपुरा-वारंगल-कोलार	82
		21. हासन-बेल्लूर-हालीबेडू	-
		उप जोड़	**4518.10**
VIII.	केरल	तिरुर-कोटाकल-मालापुरम-मंजेरी-गुंडालूपेट सड़क	164
IX.	महाराष्ट्र	1. तटीय सड़क (गुजरात में लोकपेट-केरल में कोचीन)	733.87
		2. अकोला-नांदेड़-डुगूलूर-रायचूर	457.00
		3. कोल्हापुर-सोलापुर-लातूर-नांदेड-यनटोल-वर्धा-नागपुर	1190.870
X.	मेघालय	1. नांग्स्टाइन-तूरा सड़क	218
		2. अगिया-मेघीपाड़ा-फुलबाबरी-बारेनगपारा	224
		उप जोड़	**442**
XI.	नगालैंड	1. असम में बोकाजन रंगमापानी-नगालैंड में किफिरे	278
		2. हाफलौंग-माहूर-लाइके-नगालैंड में कोहिमा	182
		3. नगालैंड में ट्यूनसांग-नागीनीमोरा-असम में शिवसागर	265
		उप जोड़	**725**
XII.	उड़ीसा	1. कटक-पारादीप	82.00
		2. संबलपुर-राउरकेला सड़क	162.50
		3. जगतपुर-केंद्रपाड़ा-चांदवाली-भद्रक सड़क	152.18
		4. फुलबनाखारा-चारीचक-गोप-कोर्णाक-पुरी	104.00
		5. बरहामपुर-कोरापुट सड़क	313.60
		6. काखीया-जजपुर-अरदी-भद्रक सड़क	92.50
		7. जोसीपुर-रायरंगपुर-तिरिनगी सड़क	40.49
		8. कर्मनिधि-सुबडेगा-तालसोरा-लूहाकेरा	37.00
		9. राउरकेला-रैनबहल-कानीबहल सड़क	111.00
		10. कुकुरभूका-लांजीबरना-सलंग बहल सड़क	31.00
		11. जालेश्वर-बटगांव-चांदनेश्वर सड़क	35.60
		12. धेनकनाल-नारनपुर सड़क	100.00

1	2	3	4
		13. जयपुर-मलकानगिरि-मोतू सड़क	323.00
		उप जोड़	**1584.87**
XIII.	राजस्थान	1. मथुरा-भरतपुर सड़क	40
		2. नसीराबाद-देवली सड़क	95
		3. कोटपुतली-सीकर सड़क	125
		4. खैरवाड़ा-डूंगडूंगपुर-बांसवाड़ा-रतलाम सड़क	210
		5. स्वरूपगंज-कोटरा-सोम-खोरवाड़ा सड़क	147
		6. फलूदी-नागौर सड़क	140
		7. श्रीडूंगरगढ़-सरदारशहर-पुलासर-जसरासर	115
		8. सवाईमाधोर-शिवपुरी (एम पी)	44
		9. कोशी-कामा-डीग-भरतपुर-रूपवास-धौलपुर	139
		10. गौमती-चौराहा-दिसूरी-सादरी-अहोर-जालौर-बरमर	306
		11. फलूदी-बालोदरा-जालोर-सिरोही	343
		12. नागौर-डीदवाना-खुर-सीकर	176
		13. कीर्की चौकी-भिंडर-सैउलम्बर-असपुर-दुर्गापुर	146
		14. होडेल-पुनहाना-नाहरतपुर-व्यबास-धौलपुर	202
		15. चांदबाजी-चोमू-रा.रा. 8 पर बागरू	171
		16. सिरोही-मांडर-डीसा (गुजरात)	68
		17. गुड़गांव-अलवर-सरिस्का-दौसा-सवाईमाधोपुर	248
		उप जोड़	**2715**
XIV.	सिक्किम	1. नथुला से सिक्किम वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग	
XV.	पांडिचेरी	1. कराईकल-नेदुनगाडू-कुम्बकोनम-तंजोर सड़क	
		2. कराईकल-पेरालम-मायीलाडुथुरई-सिरकाली सड़क	
		3. कराईकल-पेरालम-तिरुवरुर सड़क	
		4. करईकल के साथ सिरकाली-सेमबनरकोइल-अकूर संपर्क सड़क	
XVI.	तमिलनाडु	1. साथी-अथानी-भवानी सड़क (राज्यीय राजमार्ग सं. 82)	52.80
		2. अविनाशी-तिरुपुर-पालाडम-पोलाची-मीनकरई सड़क	99.60

1	2	3	4
		3. त्रिची-चिदंबरम सड़क	135.40
		4. त्रिची-नमक्कल सड़क	77.40
		5. तिरुचारापल्ली-लालगुडी-कालागुडी-उदयानपालया-गंजईकोंडा-चालापुडी-मी-काटूमनगाडी-चिदंबरम	140.00
		6. तंजावुर-अदनाकोटटई-पुडकोटई	60.00
		उप जोड़	**565.20**
XVII.	त्रिपुरा	कुकीतल से सबरुम वाया धर्मनगर-अमरपुर, रुपाईचारी	310
XVIII.	उत्तर प्रदेश	1. कुरावली-मैनपुरी-करहल-इटावा सड़क	73.158
		2. सिरसागंज-करहल-किसनी-विधुना-चौबेपुर सड़क	161.53
		3. बरेली-बदाऊं-बिलसी-गजरौला	262.39
		4. लखनऊ-रायबरेली-इलाहाबाद सड़क	185.139
		5. जगदीशपुर-गौरीगंज-अमेठी-प्रतापगढ़ सड़क	79.00
		6. फतेहपुर-रायबरेली-जगदीशपुर-फैजाबाद	181.960
		7. लुम्बिनी दुघी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	101.00
		उप जोड़	**143.232**
XIX.	पश्चिम बंगाल	1. बोलपुर-बर्दवान सड़क	52
		2. पश्चिम बंगाल में बलगलिया और बिहार सीमा से पूर्णिया	102
		उप जोड़	154

विवरण-IV

राष्ट्रीय राजमार्गों को होने वाली क्षति के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य का नाम	रा.रा. संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों को होने वाली क्षति की सीमा	मरम्मत कार्य पूरा होने की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4,5,7,9,16,18,43,63, 202,205,214,214ए, 219,221,222	बी टी सतह, पुलियाएं, विंग वाल्स को क्षति, पोट होल्स, सड़क की सतह में कटाव, बाढ़ क्षति मरम्मत, साधारण मरम्मत आदि।	जुलाई-06

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	153	सड़क सतह में पोट होल्स, पेचेज, दरारें। पुलियाओं को क्षति, पैरापिट वाल्स आदि।	मार्च-07
3.	असम	31,31बी,31सी,36,37, 38,39,51,54,61,62, 152,153,154	पोट होल्स, रैन कट्स, एस पी टी पुलों की ढलान मरम्मत, पटरी का कटाव, सीडी संरचनाओं की दरारें आदि।	मार्च-07
4.	बिहार	19,28,28ए,28बी,30, 30ए,31,57,57ए,77,80, 81,82,83,84,85,98,99, 101,103,104,105,106, 107,110	पोट होल्स सहित साधारण मरम्मत, गड्ढे, पुलियाओं की क्षति आदि।	जून-06
5.	छत्तीसगढ़	6,12ए,43,78,200,216 और 221	बाढ़ क्षति, पोट होल्स, सड़क सतह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त।	दिस.-06
6.	गोवा	4ए,17,17ए,17बी	भारी वर्षा तथा भुस्खलन के कारण क्षति, आर पार जल निकासी की हेड वाल तथा पैरापिट दीवारों को क्षति, आस पास के शोल्डर व तटबंधन बह गए और कैरिवे का डूबना।	क्षति की मरम्मत कर दी गई है और सड़क अब यातायात योग्य स्थिति में है
7.	गुजरात	एन ई1, 6,8ए,8सी,8डी, 8ई,15 और 59	पोट होल्स, पेचेज टोव रिटेनिंग वाल को क्षति, चुनिंदा खंडों में क्षतिग्रस्त सतह, शोल्डरों में मिट्टी का कटाव अपरदन, पुलियाओं व पुलों को क्षति आदि।	जून-06
8.	हरियाणा	10,21ए,22,65,71,71ए, 82,73	भारी वर्षा के कारण क्षति। पोटहोल्स, दरारें, दबे हुए शोल्डर।	जुलाई-06
9.	हिमाचल प्रदेश	20,21,21ए,22,70,72,88	पोटहोल्स, दरारें, दबे हुए शोल्डर।	जुलाई-06
10.	झारखंड	23,31,32,33,75,78,80, 99 और 100	पोटहोल्स, पटरियों का कटाव और आर पार जल निकासी कार्यों का क्षति आदि।	जून-06
11.	कर्नाटक	4,4ए,7,9,13,17,48,63, 67,206,207,209,212 और 218	पोटहोल्स, पेच मरम्मत, पटरी में कटाव, अंडुलेशन का सुधार, ढांचों को क्षति, संरक्षण कार्य आदि।	जुलाई-06
12.	केरल	17,47,47ए,49,208,212, 218,220	भारी वर्षा तथा भुस्खलन के कारण क्षति, गड्ढे, पेच, शोल्डरों का कटाव आदि।	मई-06
13.	मध्य प्रदेश	3,7,12,12ए,26,27,59, 59ए,69,75,78,86 और 92	अपर्याप्त क्रस्ट के कारण जल भराव, गड्ढे, पेच मरम्मत, अपर्याप्त सतही ड्रेनेज, बिटुमन सतह में दरार, आर ओ बी को क्षति।	दिस.-06

1	2	3	4	5
14.	महाराष्ट्र	3,4,4बी,6,7,9,13,17, 50,69,204,211बी,222	सामान्य मरम्मत, गड्ढे, भारी वर्षा तथा भुस्खलन के कारण क्षति, हैडवाल और आर पार जल निकासी कार्यों पैरापिट दीवार को क्षति, पुल, साइड शोल्डर को क्षति और तटबंधों का बहना व मार्ग का डूबना।	मई-06
15.	मणिपुर	39बी,150	बाढ़ क्षति, गड्ढे, पेच, पटरी कटाव आदि।	मार्च-07
16.	मेघालय	40,40ई,44,51,52,62	गड्ढे, पेच, सड़क की सतह पर दरारें। पुलियाओं, पैरापिट दीवारों आदि को क्षति।	मार्च-07
17.	मिजोरम	44ए,150 और 154	पोट होल्स, सड़क की सतह पर दरारें। पुलियाओं, पैरापिट दीवारों आदि को क्षति।	मार्च-07
18.	नगालैंड	36 और 61	पोट होल्स, सड़क की सतह पर दरारें। पुलियाओं, पैरापिट दीवारों आदि को क्षति।	मार्च-07
19.	उड़ीसा	5,5ए,6,23,42,43,75, 200,201,203,215, 217 और 224	बाढ़ क्षति	जून-06
20.	पंजाब	1ए, 71	भारी वर्षा के कारण क्षति। पोट होल्स, दरारें, डिप्रेस्ड शोल्डर, पुलों पर मरम्मत आदि।	जुलाई-06
21.	राजस्थान	3,8,11	पोट होल्स	मार्च-06
22.	तमिलनाडु	4,5,7,7ए,45,45ए,45बी, 45सी,46,47,47बी,49, 57,66,67,67ई,68,205, 207,208,209,210,219, 220	जल निकासी, पोट होल्स। बिटुमन की परत, शोल्डरों, सड़कों, पैरापिट दीवारों तथा सड़क चिन्हांकनों आदि को क्षति।	जून-06
23.	उत्तर प्रदेश	7,11,19,24,26,27,28, 28बी,28सी,29,56,58, 72ए,73,74,75ई,76,76ई, 86,87,91,91ए,92,93, 96,97,119	पुल पहुंच मार्गों के ऊंचे तटबंध में बारिश से हुए कटाव की मरम्मत, गड्ढे, पेच मरम्मत, बोगी एक्शन, बुरी तरह से असमतल सतह, पुलियाओं को क्षति आदि।	जून-06
24.	उत्तरांचल	58,72,74,87,94,119, 121,123,125	पोट होल्स, कुछ खंडों में सड़क बह गई, पुलियाएं, रिटेनिंग दीवारें, विंग दीवारें क्षतिग्रस्त हुई।	जुलाई-06
25.	पश्चिम बंगाल	2,6,31,31सी,32,35, 55,60,81,117	गड्ढे, बारिश से कटाव से, ढलान, [illegible] शोल्डर, पुलियाओं को सामान्य क्षति, एसपी टी पुलों की मरम्मत, उच्च तटबंधों की मरम्मत और आरई वाल का डूबना/धंसना आदि।	मार्च-07

बिजली की कमी

1983. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार राज्यवार कितनी जल विद्युत और ताप विद्युत उत्पादन होता है;

(ख) प्रत्येक राज्य में मांग की तुलना में बिजली की कितनी कमी है;

(ग) गत पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र हेतु कितनी राशि आवंटित की गई; और

(घ) बिजली की कमी के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) अप्रैल-जनवरी, 2006 की अवधि के दौरान देश में ताप विद्युत केन्द्रों एवं जल विद्युत केन्द्रों का राज्यवार ऊर्जा उत्पादन विवरण-I में दिया गया है।

(ख) अप्रैल-जनवरी, 2006 अवधि के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति की राज्यवार स्थिति विवरण-II के रूप में बताई गई है।

(ग) पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए 1,60,700 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

(घ) राष्ट्रीय विद्युत नीति में "वर्ष 2012 तक सभी के लिए विद्युत की संकल्पना है।

विवरण-I

वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य वार जल और ताप विद्युत उत्पादन (जनवरी, 2006 तक)

क्षेत्र	राज्य	प्रकार	अप्रैल, 05 से जनवरी, 06 तक वास्तविक उत्पादन (आंकड़े मि.यू. में)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	चंडीगढ़	थर्मल	0
	दिल्ली	थर्मल	9134.76
	हरियाणा	थर्मल	10045.51
		हाइड्रो	226.3
	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	14888.46
	जम्मू-कश्मीर	थर्मल	9.38
		हाइड्रो	6004.93
	पंजाब	थर्मल	12500.33
		हाइड्रो	10476.73
	राजस्थान	थर्मल	17691.79
		न्यूक्लीयर	3754.31
		हाइड्रो	624.44
	उत्तर प्रदेश	थर्मल	59056.04

1	2	3	4
		न्यूक्लीयर	1898.18
		हाइड्रो	1095.3
	उत्तरांचल	हाइड्रो	3819.4
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	थर्मल	20716.33
		हाइड्रो	321.69
	गोवा	थर्मल	271.13
	गुजरात	थर्मल	41131.8
		न्यूक्लीयर	2198.28
		हाइड्रो	2441.54
	मध्य प्रदेश	थर्मल	26079.78
		हाइड्रो	4696.54
	महाराष्ट्र	थर्मल	48265.18
		न्यूक्लीयर	2951.44
		हाइड्रो	6467.85
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	थर्मल	45106.31
		हाइड्रो	7146.11
	कर्नाटक	थर्मल	8491.02
		न्यूक्लीयर	2425.79
		हाइड्रो	8970.92
	केरल	थर्मल	393.53
		हाइड्रो	6157.14
	लक्षद्वीप	थर्मल	22.67
	पांडिचेरी	थर्मल	226.86
	तमिलनाडु	थर्मल	33432.04
		न्यूक्लीयर	1396.56

1	2	3	4
		हाइड्रो	5369.6
पूर्वी क्षेत्र	अंडमान व निकोबार	थर्मल	125.98
	द्वीप समूह	हाइड्रो	5.18
	बिहार	थर्मल	5523.78
		हाइड्रो	58.28
	झारखंड	थर्मल	7157.25
		हाइड्रो	129.51
	उड़ीसा	थर्मल	23323.71
		हाइड्रो	4193.79
	सिक्किम	थर्मल	0.13
		हाइड्रो	355.07
	पश्चिम बंगाल	थर्मल	36411.24
		हाइड्रो	509.81
पूर्वोत्तर क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो	1317.52
	असम	थर्मल	2201.63
		हाइड्रो	1042.91
	मणिपुर	थर्मल	0
		हाइड्रो	510.28
	मेघालय	थर्मल	652.65
	मिजोरम	थर्मल	0
	नागालैंड	हाइड्रो	175.35
	त्रिपुरा	थर्मल	895.76
		हाइड्रो	54.77
	भूटान से आयात	हाइड्रो	1713.46

विवरण-II

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति (अनंतिम)

(आंकड़े मि.यू. निवल में)

(क) ऊर्जा की कमी

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 05 से जनवरी, 06			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी (-)	
			(मि.यू.)	(%)
1	2	3	4	5
चंडीगढ़	1,090	1,088	-2	-0.2
दिल्ली	18,690	18,387	-303	-1.6
हरियाणा	20,240	18,503	-1,737	-8.6
हिमाचल प्रदेश	3,552	3,519	-33	-0.9
जम्मू-कश्मीर	7,252	6,394	-858	-11.8
पंजाब	30,893	28,233	-2,660	-8.6
राजस्थान	26,391	25,519	-872	-3.3
उत्तर प्रदेश	46,649	36,534	-10,115	-21.7
उत्तरांचल	4,280	4,156	-124	-2.9
उत्तरी क्षेत्र	**159,037**	**142,333**	**-16,704**	**-10.5**
छत्तीसगढ़	10,664	10,343	-321	-3.0
गुजरात	47,497	43,537	-3,960	-8.3
मध्य प्रदेश	30,362	26,470	-3,892	-12.8
महाराष्ट्र	84,008	69,724	-14,284	-17.0
दमन व दीव	1,099	1,099	0	0.0
दादर व नगर हवेली	2,098	2,098	0	0.0
गोवा	1,940	1,940	0	0.0
पश्चिम क्षेत्र	**177,668**	**155,211**	**-22,457**	**-12.6**
आंध्र प्रदेश	42,629	42,263	-366	-0.9

1	2	3	4	5
कर्नाटक	27,484	27,395	-89	-0.3
केरल	11,227	11,185	-42	-0.4
तमिलनाडु	44,445	44,312	-133	-0.3
पांडिचेरी	1,384	1,384	0	0.0
लक्षद्वीप	20	20	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**127,171**	**126,539**	**-632**	**-0.5**
बिहार	6,650	6,023	-627	-9.4
डीवीसी	8,280	8,199	-81	-1.0
झारखंड	3,339	3,210	-129	-3.9
उड़ीसा	12,560	12,409	-151	-1.2
पश्चिम बंगाल	20,630	20,280	-350	-1.7
सिक्किम	177	176	-1	-0.6
अंडमान व निकोबार #	200	139	-61	-30.5
पूर्वी क्षेत्र	**51,636**	**50,297**	**-1,339**	**-2.6**
अरुणाचल प्रदेश	173	171	-2	-1.2
असम	3,403	3,197	-206	-6.1
मणिपुर	439	424	-15	-3.4
मेघालय	1,169	984	-185	-15.8
मिजोरम	192	180	-12	-6.3
नागालैंड	357	341	-16	-4.5
त्रिपुरा	627	565	-62	-9.9
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**6,360**	**5,862**	**-498**	**-7.8**
अखिल भारत	521,872	480,242	-41,630	-8.0

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्टैन्ड-एलोन प्रणाली तथा इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

नोट- पूरी की गई ऊर्जा तथा ऊर्जा उपलब्धता विभिन्न राज्यों में कुल खपत को प्रदर्शित करते है (पारेषण हानियों समेत)। आयात करने वाले राज्यों की खपत में कुल निर्यात का परिकलन किया गया है।

व्यस्ततमकालीन मांग और उपलब्धता (अनंतिम)

(आंकड़े मेगावाट निवल में)

(ख) व्यस्ततमकालीन कमी

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 05 से जनवरी, 06			
	व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-)	
			(मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5
चंडीगढ़	240	240	0	0.0
दिल्ली	3,722	3,600	-122	-3.3
हरियाणा	4,333	3,931	-402	-9.3
हिमाचल प्रदेश	788	749	-39	-4.9
जम्मू-कश्मीर	1,475	1,240	-235	-15.9
पंजाब	7,731	6,158	-1,573	-20.3
राजस्थान	5,285	4,671	-614	-11.6
उत्तर प्रदेश	8,175	6,588	-1,587	-19.4
उत्तरांचल	991	857	-134	-13.5
उत्तरी क्षेत्र	**28,154**	**25,200**	**-2,954**	**-10.5**
छत्तीसगढ़	1,889	1,737	-152	-8.0
गुजरात	9,783	7,610	-2,173	-22.2
मध्य प्रदेश	6,558	5,136	-1,422	-21.7
महाराष्ट्र	16,069	12,360	-3,709	-23.1
दमन व दीव	324	324	0	0.0
दादर व नगर हवेली	387	387	0	0.0
गोवा	354	354	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**31,772**	**25,257**	**-6,515**	**-20.5**
आंध्र प्रदेश	8,224	8,154	-70	-0.9

1	2	3	4	5
कर्नाटक	5,574	5,442	-132	-2.4
केरल	2,539	2,519	-20	-0.8
तमिलनाडु	7,989	7,865	-124	-1.6
पांडिचेरी	250	250	0	0.0
लक्षद्वीप	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**22,609**	**21,915**	**-694**	**-3.1**
बिहार	1,300	1,116	-184	-14.2
डीवीसी	1,441	1,426	-15	-1.0
झारखंड	669	623	-46	-6.9
उड़ीसा	2,432	2,396	-36	-1.5
पश्चिम बंगाल	4,218	4,111	-107	-2.5
सिक्किम	47	45	-2	-4.3
अंडमान व निकोबार #	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	**9,546**	**9,160**	**-386**	**-4.0**
अरुणाचल प्रदेश	75	73	-2	-2.7
असम	733	673	-60	-8.2
मणिपुर	113	109	-4	-3.5
मेघालय	266	205	-61	-22.9
मिजोरम	76	72	-4	-5.3
नागालैंड	90	87	-3	-3.3
त्रिपुरा	171	155	-16	-9.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**1,329**	**1,192**	**-137**	**-10.3**
अखिल भारत	91,187	80,631	-10,556	-11.6

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्टैन्ड-एलोन प्रणाली तथा इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

नोट- पूरी की गई ऊर्जा तथा ऊर्जा उपलब्धता विभिन्न राज्यों में कुल खपत को प्रदर्शित करते है (पारेषण हानियों समेत)। आयात करने वाले राज्यों की खपत में कुल निर्यात का परिकलन किया गया है।

[अनुवाद]

एमरजेंसी केयर सेंटरों की स्थापना हेतु विशेष पैकेज

1984. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी केयर सेंटरों की स्थापना करने हेतु विशेष पैकेज को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य के लिए संस्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में और अधिक केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) "क्षमता निर्माण के लिए सहायता" प्लान स्कीम के अंतर्गत दुर्घटना और आपाती सेवाओं के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित राज्य सरकारों के अस्पतालों को अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऐसी किसी परियोजना के लिए अतिरिक्त व्यय और वेतन/उपभोज्यों पर व्यय संबंधित राज्य सरकार को वहन करना होता है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गयी वित्तीय सहायता की राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	सरकारी जनरल अस्पताल, काकीनाडा	150.00 लाख रु.
		किंग जार्ज अस्पताल, विशाखापटनम	150.00 लाख रु.
2.	गुजरात	जनरल अस्पताल, पालनपुर	150.00 लाख रु.
		बनासकांता, जनरल अस्पताल, सूरत	150.00 लाख रु.
		जनरल अस्पताल, जामनगर	150.00 लाख रु.
3.	हरियाणा	जनरल अस्पताल, यमुनानगर	150.00 लाख रु.
4.	केरल	मेडिकल कालेज अस्पताल, कौट्टायम	146.25 लाख रु.
5.	मध्य प्रदेश	जिला अस्पताल, शहडोल	148.83 लाख रु.
		जिला अस्पताल, रतलाम	148.83 लाख रु.
		जिला अस्पताल, गुना	150.00 लाख रु.
6.	राजस्थान	जिला अस्पताल, भरतपुर	150.00 लाख रु.
		जिला अस्पताल, सीकर	150.00 लाख रु.
7.	तमिलनाडु	सरकारी अस्पताल, ताम्बरम	150.00 लाख रु.
		सरकारी अस्पताल, मेलूर	150.00 लाख रु.
		सरकारी हेडक्वार्टर्स अस्पताल, तेनसाकी	150.00 लाख रु.
		सरकारी अस्पताल, पद्मनामापुरम	150.00 लाख रु.

1	2	3	4
		सरकारी अस्पताल, कुड्डालौर	150.00 लाख रु.
		सरकारी हेडक्वार्टर्स अस्पताल, नामक्कल	150.00 लाख रु.
		सरकारी हेडक्वार्टर्स अस्पताल, वेल्लोर	150.00 लाख रु.
8.	नागालैंड	सिविल अस्पताल, वोखा	143.26 लाख रु.
		सेमूनियू सीएचसी, कोहिमा	149.65 लाख रु.
9.	दादरा और नागर हवेली	श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल, सिलवासा	150.00 लाख रु.
10.	झारखंड	जिला अस्पताल, हजारीबाग	150.00 लाख रु.
11.	हिमाचल प्रदेश	क्षेत्रीय अस्पताल, कुल्लू	150.00 लाख रु.
		कुल योग:	3586.82 लाख रु.

*जारी की जा रही है।

पथकर हेतु दिशानिर्देश

1988. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर की वसूली के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में दिशानिर्देश/नीति तैयार करने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) इस समिति के कब तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) वसूलने के लिए कार्यकारी एजेंसियों (राज्य लोक निर्माण विभागों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) को शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें मुख्यतया प्रयोक्ता शुल्क की दरों, छूट देने से इंकार करना, प्रयोक्ताओं को परेशान करने और गैर-कानूनी वसूलियों के बारे में उद्यमियों/ठेकेदारों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया है। प्रचालन मामलों संबंधी इस प्रकार की शिकायतों की जांच की जाती है और संबंधित कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ड) मौजूदा मानकों के अनुसार पथकर वसूलने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर वसूलने के लिए भावी नीति दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की हैं।

रोगों पर निगरानी रखने हेतु भारत-अमरीका समझौता

1986. श्री रायापति सांबासिवा राव:

श्री जे.एम. आरुन रशीद:

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका ने विभिन्न रोगों पर निगरानी रखने के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में गैर सरकारी संगठनों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो उनके लिए क्या भूमिका अभिकल्पित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। संक्रामक रोगों के पैदा होने और पुनः पैदा होने तथा निगरानी पर भारत-यूएस के सहयोग से विस्तार पर दिनांक 7 जून, 2005 को भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राज्य अमरीका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के बीच एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) इस सहयोग में संक्रामक रोगों के पैदा होने, रोग निगरानी को सुदृढ़ करने, निवारण और नियंत्रण तथा प्रभावी प्रकोप जांच तथा अनुक्रिया के संबंध में सहयोगी अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। रोग नियंत्रण और निवारण केंन्द्र (सी.डी.सी.), यू.एस.ए. और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सहयोगी पक्ष हैं। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में राज्य सरकारों और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की संस्थाओं सहित अन्य उत्कृष्ट भारतीय संस्थाएं रोग निगरानी के नेटवर्क में अनिवार्य भागीदारों के रूप में हैं।

(ग) और (घ) संयुक्त वक्तव्य के भाग के रूप में दोनों देशों में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया जाएगा। अन्य क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भागीदारों को जरूरत पड़ने पर पैदा हो रहे संक्रामक रोगों, सुदृढ़ रोग निगरानी आदि के संबंध में सहयोगी अनुप्रयुक्त अनुसंधान में शामिल किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.01 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.1½ बजे

(इस समय श्री अशोक प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे एक घोषणा करनी है। यह क्या है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस आसन से एक घोषणा करनी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मुझे घोषणा नहीं करने दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

(दो) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम महिलाओं को हार्दिक बधाई देते हैं। महिलाएं हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत हैं और महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे कि महिलाओं की उपेक्षा करने से समाज में प्रगति नहीं हो सकती है। महिलाओं के सशक्तीकरण, मजबूती और प्रतिष्ठा में ही देश और समाज की उन्नति संभव है।

इस अवसर पर महिलाओं से संबंधित विभिन्न सामाजिक बुराइयों को मिटाने और महिलाओं के उत्थान तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिज्ञा करें।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): मैं निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) वर्ष 2006-2007 के लिए रक्षा मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3790/06]

(दो) वर्ष 2006-2007 के लिए रक्षा सेवा प्राक्कलन।

...(*व्यवधान*)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3791/06]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से, मैं निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) वर्ष 2006-2007 के लिए गृह मंत्रालय (खंड I)।

(दो) वर्ष 2006-2007 के लिए गृह मंत्रालय (विधानमंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र) (खंड II)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3792/06]

...(*व्यवधान*)

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ट्रेडिंग मार्जिन का नियतन) विनियम, 2006 जो 27 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(5)/2003-सी.ई.आर.सी. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के अंतर्गत जारी टैरिफ नीति जो 6 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 23/2/2005-आर. एण्ड आर. (खंड III) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3793/06]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2004-2005 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3794/06]

(3) (एक) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3795/06]

(5) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 47(अ) जो 3 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 2006 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 48(अ) जो 3 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2006 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 49(अ) जो 3 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास (गैर-अंशदायी भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 2006 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3796/06]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): मैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3797/06]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2005, जो 3 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 290 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 13 जनवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 13(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2005, जो 3 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 291 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 2004, जो 25 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2004, जो 18 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2004, जो 18 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 434 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2003, जो 18 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 429 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2004, जो 18 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 430 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2004, जो 18 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 437 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2004, जो 18 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 438 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 2004, जो 25 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 444 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2004, जो 18 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 435 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2004, जो 18 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 436 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) सा.का.नि. 530(अ) जो 11 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 3 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(चौदह) सा.का.नि. 331(अ) जो 11 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 3 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चौदह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3798/06]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य अपमिश्रण निवारण (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2005, जो 21 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 731(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 2006, जो 9 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 8(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3799/06]

(2) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (पूर्व में राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि के नाम से जानी जाने वाली) के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3800/06]

(4) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3801/06]

(6) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2005 जो 21 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 733(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धिपत्र जो 16 फरवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 65(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2006 जो 19 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 26(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3802/06]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): मैं, कोयला मंत्रालय की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3803/06]

...*(व्यवधान)*

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रेनिंग आफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार ट्रेनिंग आफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3804/06]

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1742(अ) जो 10 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में बाईपास के निर्माण (सतारा-पुणे खण्ड) सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण (चार लेन वाला बनाने) प्रबन्धन, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 1760(अ) जो 15 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में पुणे-नासिक रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 को चार लेनों वाला बनाने तथा मजबूती प्रदान करने के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क के संग्रहण और उसे अपने पास रखने के लिए मैसर्स ए.टी.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई अथवा इसके अधिकृत विधिक प्रतिनिधि को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1767(अ) जो 16 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (पानागढ़-पलसिट खण्ड) के निर्माण, प्रबन्धन, अनुरक्षण और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 1745(अ) जो 12 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के निर्माण, प्रबन्धन, अनुरक्षण और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 27(अ) जो 9 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 पर संगमनेर के बाइपास के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 11(अ) जो 4 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, प्रबन्धन, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सात) का.आ. 14(अ) जो 4 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1206(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ. 15(अ) जो 4 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग के निर्माण, प्रबन्धन, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 13(अ) जो 4 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, प्रबन्धन, अनुरक्षण और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दस) का.आ. 44(अ) जो 16 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण (चौड़ा बनाने) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक से चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3805/06]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03½ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं 20 दिसम्बर, 2005 को हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की पांचवीं बैठक का कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुए बम विस्फोट

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

***गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, वाराणसी में कल सायं हुए दो विस्फोटों, एक संकटमोचन मंदिर और दूसरा कैंट रेलवे स्टेशन में, के संबंध में वक्तव्य देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

राज्य सरकार से प्राप्त प्रारंभिक सूचना के अनुसार सायं करीब 6.20 बजे, लगभग एक साथ दो बम विस्फोट हुए। इन विस्फोटों में एक महिला और एक बच्चे समेत 14 व्यक्ति मारे गए और 103 घायल हुए...*(व्यवधान)* सभी घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है...*(व्यवधान)*

मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रु. तथा जो मामूली रूप से घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपये देने की घोषणा की गई है...*(व्यवधान)*

श्रीमती सोनिया गांधी, अध्यक्षा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और मैंने, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दोनों विस्फोट स्थलों का दौरा किया और अस्पतालों में जाकर घायल व्यक्तियों से उनका हाल-चाल पूछा...*(व्यवधान)* हम निर्दोष लोगों पर आतंक के इन अमानवीय और संवेदनहीन कृत्यों की निंदा करते हैं और संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करते हैं...*(व्यवधान)* निश्चित रूप से देश में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए मंदिर को लक्ष्य बनाया गया है...*(व्यवधान)*

केन्द्र सरकार ने इन विस्फोटों के तत्काल पश्चात् स्थिति की समीक्षा की और राज्य सरकारों को साम्प्रदायिक शांति और सद्भावना सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बढ़ाने और सभी एहतियाती उपाय करने के प्रति सुग्राही बनाया...*(व्यवधान)* लोगों को धैर्य और शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है...*(व्यवधान)* शांति और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाराणसी में अतिरिक्त बल (आर.ए.एफ. की 5 कम्पनियां और पी.ए.सी. की 10 कम्पनियां) तैनात किए गए हैं...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार, राज्य सरकार से निरंतर संपर्क बनाए हुए है और स्थिति की गहनता से निगरानी कर रही है...*(व्यवधान)*

राज्य सरकार ने इन विस्फोटों की जांच विशेष कार्य बल को सौंपी है। इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है...*(व्यवधान)* राज्य सरकार विस्फोटों के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार उन्हें हर संभव मदद और सहायता प्रदान करेगी...*(व्यवधान)*

मैं, माननीय सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है...*(व्यवधान)* हम सभी को यह सुनिश्चित करना है कि कुछ हताश राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा आतंक के ऐसे कृत्य देश में शांति, लोक व्यवस्था और साम्प्रदायिक सद्भावना को भंग न कर पायें और वे हिंसा का मुकाबला करने और उसे नियंत्रित करने के हमारे संकल्प को कम करके न आंके...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल, 9 मार्च, 2006 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 9 मार्च, 2006/18 फाल्गुन, 1927 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*(ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 3806/06)

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री मोहन सिंह	242
2.	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव श्री शिशुपाल पटले	243
3.	चौधरी लाल सिंह	244
4.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	245
5.	श्री दुष्यंत सिंह श्री टेक लाल महतो	246
6.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	247
7.	श्री के.एस. राव	248
8.	श्री जी. करुणाकर रेड्डी	249
9.	श्री रायापति सांबासिवा राव	250
10.	श्री हंसराज जी. अहीर	251
11.	डा. सत्यनारायण जटिया श्री रघुनाथ झा	252
12.	श्री अजय चक्रवर्ती श्री दलपत सिंह परस्ते	253
13.	श्री जे.एम. आरुन रशीद श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल	254
14.	डा. के.एस. मनोज श्री प्रबोध पाण्डा	255
15.	श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी श्री महेश कनोडीया	256
16.	श्री चंद्रकांत खैरे श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	257
17.	श्री जुएल ओराम	258
18.	श्री अशोक कुमार रावत	259
19.	श्री सुबोध मोहिते	260
20.	श्री रेवती रमन सिंह श्री इकबाल अहमद सरडगी	261

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	1986
2.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	1888
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1917, 1950, 1963, 1966
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	1915, 1949, 1960, 1964
5.	अजय कुमार, श्री एस.	1871, 1974
6.	अजनाला, डा. रतन सिंह	1910
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	1852, 1940
8.	आठवले, श्री रामदास	1876, 1898
9.	आजमी, श्री इलियास	1871
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1847, 1913, 1982
11.	बर्मन, श्री हितेन	1973, 1982
12.	बर्मन, श्री रनेन	1846
13.	बखला, श्री जोवाकिम	1905
14.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	1908
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	1911
16.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1840, 1912, 1948

1	2	3
17.	चक्रवती, श्री स्वदेश	1843
18.	चक्रवर्ती, श्री अजय	1926
19.	चौरे, श्री बापू हरी	1895
20.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1896
21.	चिन्ता मोहन, डा.	1866
22.	चौधरी, श्री पंकज	1875
23.	चौधरी, श्री अधीर	1851, 1931
24.	डांगावास, श्री भंवर सिंह	1944
25.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	1893
26.	धनराजू, डा. के.	1889, 1923
27.	घोत्रे, श्री संजय	1895
28.	गढवी, श्री पी.एस.	1874
29.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	1885, 1936, 1958, 1985
30.	गांधी, श्रीमती मेनका	1842, 1866, 1919
31.	गंगवार, श्री संतोष	1848, 1942
32.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	1899, 1975, 1982
33.	जगन्नाथ, डा. एम.	1876, 1939
34.	जयाप्रदा, श्रीमती	1976
35.	जोगी, श्री अजीत	1360
36.	कनोडीया, श्री महेश	1923, 1980
37.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1928, 1952, 1961, 1965
38.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	1970, 1972
39.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1845, 1978

1	2	3
40.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1844, 1916, 1980
41.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	1859, 1944
42.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1866
43.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1959
44.	महतो, श्री बीर सिंह	1841, 1873
45.	महताब, श्री भर्तृहरि	1857
46.	महतो, श्री टेक लाल	1939, 1953, 1962
47.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1942
48.	माने, श्रीमती निवेदिता	1885, 1936, 1958, 1985
49.	मनोज, डा. के.एस.	1852, 1947, 1957
50.	मसूद, श्री रशीद	1874, 1890, 1932
51.	मिडियम, डा. बाबू राव	1887, 1937
52.	मेघवाल, श्री कैलाश	1844
53.	मेहता, श्री आलोक कुमार	1889
54.	मैन्या, डा. टोकचोम	1879
55.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	1970
56.	मोहन, श्री पी.	1861, 1889
57.	मोहिते, श्री सुबोध	1849
58.	मोल्लाह, श्री हन्नान	1980
59.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1862, 1938
60.	नायक, श्री अनन्त	1883, 1889, 1977, 1982
61.	नायक, श्रीमती अर्चना	1971, 1969

1	2	3
62.	निखिल कुमार, श्री	1864
63.	ओराम, श्री जुएल	1867, 1946
64.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1872, 1932
65.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	1889, 1943, 1982, 1854
66.	पाठक, श्री ब्रजेश	1882, 1983
67.	पाटील, श्री बालासाहिब बिखे	1897
68.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	1874
69.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	1870, 1982
70.	पटले, श्री शिशुपाल	1980
71.	पिंगले, श्री देविदास	1909
72.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	1926, 1932
73.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1873, 1982
74.	रामदास, प्रो. एम.	1855, 1918
75.	राणा, श्री काशीराम	1877, 1982
76.	राव, श्री के.एस.	1924
77.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1925, 1951, 1959, 1986
78.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	1907
79.	रावले, श्री मोहन	1858, 1981
80.	रावत, श्री अशोक कुमार	1881, 1929, 1956, 1980
81.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	1911, 1955, 1982
82.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1880, 1982
83.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1922
84.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	1900

1	2	3
85.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1877, 1896
86.	रिजीजू, श्री कीरेन	1884, 1935
87.	साई प्रताप, श्री ए.	1889, 1910
88.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1903, 1951
89.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	1975
90.	सरोज, श्री तूफानी	1891
91.	सत्पथी, श्री तथागत	1901
92.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1942, 1980
93.	सेठी, श्री अर्जुन	1889, 1927
94.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1921, 1930
95.	शर्मा, श्री मदन लाल	1874
96.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1856, 1938, 1941, 1956, 1982
97.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1881, 1929, 1956
98.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1968
99.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1980
100.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	1863, 1945
101.	सिंह, श्री गणेश	1868, 1936
102.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1885, 1936, 1958, 1985
103.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	1878, 1934
104.	सिंह, श्री मोहन	1920
105.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1892, 1942, 1954
106.	सिंह, श्री राकेश	1906
107.	सिंह, डा. राम लखन	1972

1	2	3
108.	सिंह, श्री रेवती रमन	1911, 1979
109.	सिंह, श्री सुग्रीव	1854, 1943
110.	सिह, श्री उदय	1982
111.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह	1923
112.	सुब्बा, श्री एम.के.	1967
113.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1853
114.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	1871
115.	सुरेन्द्रम, श्री चेंगरा	1865, 1894
116.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1850, 1914
117.	थामस, श्री पी.सी.	1886
118.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1857, 1950, 1980, 1982
119.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1889, 1893, 1902, 1959, 1986
120.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1907
121.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1874, 1931, 1933, 1984
122.	यादव, श्री बालेश्वर	1897
123.	यादव, श्री गिरिधारी	1982
124.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1929, 1956
125.	यादव, श्री मित्रसेन	1869
126.	यादव, श्री राम कृपाल	1867
127.	जाहेदी, श्री महबूब	1904

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	
परमाणु ऊर्जा	260
कोयला	242, 257
विदेश	254
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण :	244, 247, 248, 252, 253, 256
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	246, 249
प्रवासी भारतीय कार्य	255
पंचायती राज	245
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	
योजना	261
विद्युत	243, 259
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	250, 258
अंतरिक्ष	251
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	
युवक कार्यक्रम और खेल	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	
परमाणु ऊर्जा	1844, 1849, 1937
कोयला	1904, 1928, 1934, 1943, 1946, 1948, 1952, 1962, 1963, 1965
विदेश	1942, 1853, 1856, 1863, 1871, 1875, 1881, 1893, 1896, 1901, 1902, 1903, 1908, 1918, 1919, 1923, 1939, 1956, 1973, 1976
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1840, 1845, 1847, 1860, 1864, 1867, 1870, 1872, 1873, 1874, 1877, 1882, 1884, 1886, 1887, 1889, 1890, 1894, 1897, 1905, 1906, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1915, 1916, 1921, 1922, 1924, 1930, 1932, 1933, 1940, 1947, 1954, 1957, 1958, 1971, 1964, 1966

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	1852, 1892, 1926, 1964, 1970, 1977
प्रवासी भारतीय कार्य	1848, 1854, 1855, 1862, 1907
पंचायती राज	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	1843, 1861, 1883
योजना	1841, 1846, 1851, 1889, 1898, 1935, 1938, 1945, 1950, 1955, 1966
विद्युत	1850, 1865, 1866, 1868, 1891, 1895, 1900, 1914, 1917, 1920, 1931, 1936, 1942, 1951, 1960, 1967, 1975, 1983
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	1857, 1858, 1869, 1879, 1880, 1885, 1929, 1944, 1953, 1968, 1969, 1972, 1974, 1978, 1980, 1982, 1985
अंतरिक्ष	1925, 1949, 1979
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	1941, 1959, 1981
युवक कार्यक्रम और खेल	1876, 1878, 1888, 1899, 1927, 1961.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/16/5/2006 (एन.)

232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के :
प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।